[ 2021 ] 4 एस. सी. आर 771

AMAZON.COM एनवी निवेश होल्डिंग्स एलएलसी

वी.

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एंड ओआरएस।

( सिविल अपील सं। 4492-4493 2021 का)

अगस्त 06,2021

[ आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एसएस। 17 ( 1 ) और (2)-मध्यस्थ द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय

न्यायाधिकरण-मध्यस्थता के तहत आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा "पुरस्कार"

की सीट

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नियम-भारत में मध्यस्थता कार्यवाही और एस. आई. ए. सी. नियमों द्वारा शासित-कहा गया पुरस्कार, यदि कोई आदेश यू/एस। 17 ( 1 ) – आयोजित किया गया: एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार को यू/एस का आदेश कहा जा सकता है। 17 ( 1 ) - मध्यस्थता अधिनियम द्वारा किसी विवाद का फैसला संस्थागत नियमों के अनुसार करने के लिए पूर्ण पक्षीय स्वायत्तता दी जाती है जिसमें आपातकाल भी शामिल हो सकता है।

अंतरिम आदेश देने वाले मध्यस्थ, जिन्हें "पुरस्कार" के रूप में वर्णित किया गया है-ऐसे आदेश दीवानी अदालतों में भीड़ को कम करने और पक्षों को शीघ्र अंतरिम राहत देने में सहायता करते हैं-ऐसे आदेश यू/एस के लिए संदर्भित हैं और बनाए जाते हैं। 17 ( 1 ) -सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थता नियम।

एस. 37 - अपील योग्य आदेश यू/एस द्वारा पारित किए गए। 17 ( 2 ) में

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय को लागू करना-इसके खिलाफ यू/एस के खिलाफ अपील। 37 - आयोजित किया गया: यू/एस में कोई अपील नहीं है। 37 आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश को लागू करने के आदेश के खिलाफ यू/एस बनाया गया। 17 ( 2 ) अधिनियम से।

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मध्यस्थता नियम

केंद्रः आर. 1.3 - आपातकालीन मध्यस्थता-आयोजित का स्पष्टीकरणः एस. आई. ए. सी. नियमों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि इससे पहले भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन नियमों के तहत किया जाता है, तत्काल अंतरिम राहत

आर द्वारा परिभाषित एक "आपातकालीन मध्यस्थ"-एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया जा सकता है। 1.3 मतलब अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 के अनुसार एक मध्यस्थ-आपातकालीन मध्यस्थ के पास एस. आई. ए. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित सभी शक्तियां हैं, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी शामिल है-आपातकालीन मध्यस्थ के पास ऐसी अंतरिम राहत का आदेश देने की शक्ति है जो वह समझता है।

आवश्यक है, और लिखित रूप में अपने निर्णय के संक्षिप्त कारण देना है

- पैराग्राफ 10 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद,

न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार, संशोधन या खाली कर सकता है- आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा जारी किया गया ऐसा अंतरिम आदेश या पुरस्कार पक्षों को तब तक बाध्य करता रहेगा जब तक कि इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित या खाली नहीं किया जाता है, एक बार इसका गठन होने के बाद, जब तक कि न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय नहीं देता है या जब तक दावा वापस नहीं लिया जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: ऑर्ड XLIII, r. 1 ( आर)-आदेशों से अपील-आदेश के तहत अपील की बनाए रखने की क्षमता। XLIII, r. 1 ( आर),

जब मध्यस्थता अधिनियम के तहत किए गए आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार का प्रवर्तन आदेश- समझाया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (6), 2 (8), 19 (2) और 21 को पढ़ने से पता चलता है कि

मध्यस्थता कार्यवाही एक स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित की जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 2 (6) यह स्पष्ट करती है कि पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निर्धारित करने के लिए एक संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, धारा 2 (8) के तहत, पक्ष की स्वायत्तता एक समझौते की सीमा तक जाती है जिसमें मध्यस्थता नियमों द्वारा शासित होना शामिल है। उपरोक्त समझौते। इसी तरह, धारा 19 (2) के तहत, पक्षकार अपनी कार्यवाही के संचालन में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। धारा 21 में प्रावधान है कि किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। यह खंड है

स्पष्ट रूप से पार्टियों द्वारा समझौते के अधीन। [ पारस 11,12] [801-ई-एच]

1.2 मध्यस्थता नियमों को लागू करने के लिए सहमत होकर

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एस. आई. ए. सी. नियम) के अनुसार, तत्काल मामले में मध्यस्थता कार्यवाही एस. आई. ए. सी. के पंजीयक द्वारा मध्यस्थता की पूर्ण सूचना प्राप्त होने की

तारीख से शुरू हुई है, जो इंगित करेगा कि एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत मध्यस्थता कार्यवाही बहुत शुरू होती है। उक्त नियमों के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले। इस मामले में, जब धारा 17 (1) AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

भविष्य की वापसी सीमित

" माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान ", उक्त अभिव्यक्ति पर्याप्त लोचदार होगी, जब अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें आपातकालीन मध्यस्थता कार्यवाही शामिल होती है, जो एस. आई. ए. सी. नियमों के नियम 3 के तहत पंजीयक द्वारा मध्यस्थता की सूचना प्राप्त होने के बाद ही शुरू होती है। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने के साथ-साथ एक आपातकालीन मध्यस्थ के खिलाफ कोई स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थ नहीं है। यह दिखाएगा कि एक आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश, यदि संस्थागत नियमों के तहत प्रदान किए जाते हैं, तो मध्यस्थता अधिनियम द्वारा कवर किए जाएंगे। [ पारस 12,13] [802-सी-एफ]

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। देवास मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड (2014) 11 एस. सी. सी. 560: [ 2013 ] 6 एस. सी. आर. 453; भारत एल्यूमीनियम कं. v. कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवाएँ

इंक. (2016) 4 एस. सी. सी. 126: [ 2016 ] 1 एससीआर 364; पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड वी. जीई पावर कन्वर्जन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 331; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम। एम. हकीम 2021 एससीसी ऑनलाइन

एस. सी. 473 का उल्लेख किया गया।

1.3 अनुबंध के पक्षकार, तत्काल मामले में, एस. आई. ए. सी. नियमों और आपातकाल के पुरस्कार से सहमत होकर

मध्यस्थ ने मध्यस्थता अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान को दरकिनार नहीं किया है। मध्यस्थता अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार के प्रावधान के लिए सहमत होने से रोकता है। इसके विपरीत, जब ठीक से पढ़ा जाता है, तो अधिनियम की विभिन्न धाराएँ जो संस्थागत नियमों द्वारा शासित होने का चयन करने में पार्टी की स्वायत्तता की बात करता है, वह यह स्पष्ट कर देगा कि उक्त नियम पक्षों के बीच अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए लागू होंगे, एक ऐसी स्थिति जिसका मध्यस्थता अधिनियम द्वारा निषिद्ध होने की जगह, विशेष रूप से इसके द्वारा समर्थन किया जाता है। [ पैरा 17] [807-जी-एच; 808-ए-बी]

सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर

लिमिटेड (2017) 2 एससीसी 228: [ 2016 ] 9 एससीआर 83 -

प्रतिष्ठित।

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 2 (1) (डी) में परिभाषित "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बात करता है जो पक्षों के बीच गठित किया जाता है और जो अंतरिम दे सकता है।

और अंतिम राहत, "अधिनियम की योजना को देखते हुए", जैसा कि [2021] 4 एस. सी. आर. में निहित है।

उपर्युक्त अनुभाग। हालाँकि, प्रत्येक अन्य परिभाषा खंड की तरह, धारा 2 (1) (डी) में निहित परिभाषा केवल लागू होती है। " जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो "। यह देखते हुए कि धारा 2 (1) (ए) में "मध्यस्थता" की परिभाषा का अर्थ है कोई भी मध्यस्थता, चाहे वह स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित हो या नहीं, जब पढ़ा जाए

धारा 2 (6) और 2 (8) के साथ, यह स्पष्ट होगा कि अंतरिम आदेश भी जो नियमों के तहत आपातकालीन मध्यस्थों द्वारा पारित किए जाते हैं धारा 17 (1) को उचित रूप से पढ़ने पर किसी स्थायी मध्यस्थ संस्था को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "मध्यस्थता कार्यवाही" शब्द किसी भी परिभाषा द्वारा सीमित नहीं हैं और इस प्रकार एस. आई. ए. सी. नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में एक आपातकालीन मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही शामिल है। [ पैरा 19] [808-एफ-एच; 809-ए]

1.5 धारा 17 (1) का मूल एक पक्ष द्वारा आवेदन है।

अंतरिम राहत के लिए। धारा 17 (1) में, जब अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो मध्यस्थ संस्थानों के नियमों के अनुप्रयोग को बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिन पर पक्षकार सहमत हो सकते हैं। यह स्थिति होने के कारण, कम से कम जहां तक धारा 17 (1) का संबंध है, "मध्यस्थ न्यायाधिकरण", जब संस्थागत नियम लागू होते हैं, तो एक आपातकालीन मध्यस्थ को शामिल करेगा, धारा 17 का संदर्भ "अन्यथा आवश्यक"-संदर्भ अंतरिम उपाय हैं जो मध्यस्थों द्वारा आदेश दिए जाते हैं। एक ही उद्देश्य और संदर्भ

यह धारा 9 (3) पर भी लागू होगी जो यह स्पष्ट करती है कि अदालत एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर विचार नहीं करेगी जब तक कि अदालत यह नहीं पाती कि

ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो प्रदान किए गए उपचार को प्रदान नहीं कर सकती हैं।

धारा 17 के तहत प्रभावी। चूंकि धारा 9 (3) और धारा 17 एक योजना का हिस्सा हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 2 (1) (डी) के तहत परिभाषित "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" लागू नहीं होगा और धारा 9 (3) में उल्लिखित मध्यस्थता न्यायाधिकरण धारा 17 (1) में बताए गए "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" की तरह होगा जिसमें संस्थागत नियमों के तहत नियुक्त एक आपातकालीन मध्यस्थ शामिल होगा।

[ पैरा 20] [809-बी-ई]

फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम। गुरुमुख दास सलूजा (2004) 3

एससीसी 155: [ 2004 ] 1 एस. सी. आर. 404-संदर्भित।

1.6 भले ही एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों की धारा 25.2

समझौता (एफ. आर. एल. की धारा 15.2 के साथ समान सामग्री)

शेयरधारकों का समझौता) एस. आई. ए. सी. नियमों को AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. V. के अधीन बनाता है।

मध्यस्थ को इन नियमों के दायरे में शामिल किया गया है और एक आपातकालीन मध्यस्थ, जैसा कि परिभाषित किया गया है, का अर्थ है अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ। इससे यह स्पष्ट होता है कि एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 25.2 में उल्लिखित "मध्यस्थता" में एस. आई. ए. सी. नियमों के अनुसार नियुक्त एक मध्यस्थ शामिल होगा, जिसमें बदले में एक आपातकालीन मध्यस्थ शामिल होगा। एस. आई. ए. सी. नियम आपातकालीन मध्यस्थ की अवधारणा से संबंधित हैं। [ पारस 22-24] [811-C-F]

1.7 एस. आई. ए. सी. नियमों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि नियमों के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले, तत्काल अंतरिम राहत "आपातकालीन मध्यस्थ" द्वारा दी जा सकती है। एक "आपातकालीन मध्यस्थ" को इन नियमों के नियम 1.3 द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है -

अनुसूची 1 का पैरा 3। अनुसूची 1 के पैराग्राफ 7 के तहत, आपातकालीन मध्यस्थ के पास एस. आई. ए. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित सभी शक्तियां हैं, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के तहत, आपातकालीन मध्यस्थ के पास ऐसी अंतरिम राहत का आदेश देने की शक्ति होगी जिसे वह आवश्यक समझे, और अपने निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण लिखित रूप में दे सकता है। के तहत पैराग्राफ 9, अंतरिम आदेश उनकी नियुक्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाना है, जब तक कि समय नहीं बढ़ाया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, एक बार पैराग्राफ 10 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार, संशोधन या खाली कर सकता है। इस तरह

आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा जारी अंतरिम आदेश या पुरस्कार पक्षों को तब तक बाध्य करता रहेगा जब तक कि इसे संशोधित या खाली नहीं किया जाता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण, एक बार इसका गठन होने के बाद, जब तक कि न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय नहीं देता या जब तक दावा वापस नहीं लिया जाता। अनुसूची 1 के पैराग्राफ 10 में यह भी प्रावधान है कि आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई भी अंतरिम आदेश या पुरस्कार केवल तभी बाध्यकारी नहीं रहेगा जब ऐसे आदेश या पुरस्कार के 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया जाता है। पैराग्राफ 12 के तहत, पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस तरह के आदेश किए जाने की तारीख से पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे और [2021] 4 एस. सी. आर.

अंतरिम आदेश को तुरंत और बिना किसी देरी के लागू करें। [ पैरा 25] [814-सी-जी]

1.8 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) में आपातकालीन मध्यस्थ के आदेशों को सम्मिलित करना। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करने और 2015 के संशोधन अधिनियम के बाद मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करने के लिए न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने 30 जुलाई, 2017 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की-"श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट"। महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्थित मध्यस्थताओं के लिए आपातकालीन पुरस्कारों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 17 (2) की व्याख्या करना संभव है, और

सिफारिश की गई कि अधिनियम को केवल इसलिए संशोधित किया जाए ताकि यह मान्यता के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप हो।

और एक आपातकालीन पुरस्कार लागू करना। [ पारस 26,28,29] [814-जी-एच; 818-बी-सी; 819-डी]

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य। वी. एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स

( मॉरीशस) लिमिटेड (2021) 4 एस. सी. सी. 713 संदर्भित।

रैफल्स डिजाइन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. एडुकॉम्प

प्रोफेशनल एजुकेशन लिमिटेड 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5521 [ 2016 ] 234 डी. एल. टी. 349-अनुमोदित।

1.9 संक्षेप में, एस. आई. ए. सी. नियमों द्वारा क्या प्रदान किया गया है और

जहाँ तक न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का संबंध है, अन्य संस्थागत नियम धारा 9 (2) और 9 (3) में परिलक्षित होते हैं। द.

धारा 9 (2) और 9 (3) की शुरूआत से पता चलता है कि इसका उद्देश्य अदालतों को धारा 9 याचिकाओं से भर जाने से रोकना था जब

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन दो अच्छे कारणों से किया जाता है-(i) कि बंद अदालत प्रणाली को भीड़भाड़ से मुक्त किया जाना चाहिए, और (ii) कि एक बार गठित होने के बाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण समय पर और प्रभावी तरीके से अंतरिम राहत देने में सक्षम होगा। धारा 17 को उसी 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था (जो

धारा 17 को प्रतिस्थापित करने के लिए उप-धारा (2) और (3) को धारा 9 में लाया गया ताकि धारा 17 (1) धारा 9 (1) की दर्पण छवि हो, जिससे यह स्पष्ट हो कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण पूरी तरह से उसी शक्ति से लैस है जो एक अदालत को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए है। साथ ही,

धारा 17 (2) को जोड़ा गया था ताकि ऐसे आदेशों की प्रवर्तनीयता का प्रावधान किया जा सके, जैसे कि वे किसी अदालत द्वारा पारित आदेश हों, AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v.

जिससे धारा 17 को धारा 9 के बराबर लाया जा सके। [ पारस 32,34] [820-जी-एच; 821-जी-एच]

1.10 एक आपातकालीन मध्यस्थ का "पुरस्कार", अर्थात, आदेश, निस्संदेह एक ऐसा आदेश होगा जो इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है,

अर्थात्, न्यायालय प्रणाली में भीड़भाड़ कम करने और पक्षकारों को ऐसे मामलों में तत्काल अंतरिम राहत देने के लिए जो इस तरह की राहत के योग्य हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि पार्टी की स्वायत्तता का अधिनियम द्वारा सम्मान किया जाता है और यह है कि

अन्यथा एक आपातकालीन मध्यस्थ के खिलाफ कोई रोक नहीं है

नियुक्त, यह स्पष्ट है कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश, जो एक बार ठीक से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश की तरह है

गठित किया गया है, जिसमें पक्षों को सुना जाना है और कारण दिए जाने हैं, वे संस्थागत नियमों के भीतर आते हैं जिन पर पक्षकार सहमत हुए हैं, और परिणामस्वरूप अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ने पर धारा 17 (1) द्वारा कवर किया जाएगा। [ पैरा 35] [822-ए-सी]

उस संबंध में बनाए गए नियम, कि उसके बाद यह आपातकालीन मध्यस्थ के फैसले से बाध्य नहीं होगा। एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 12 पर सहमत होने के बाद, पार्टी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार यह कहते हुए कि यह एक अकृतता है जब ऐसा पक्ष स्पष्ट रूप से इस तरह के पुरस्कार की बाध्यकारी प्रकृति के लिए सहमत होता है और आगे उक्त अंतरिम आदेश को तुरंत और बिना देरी के पूरा करने का कार्य करता है। [ पैरा 36] [822-सी-ई]

1.12 नियम 3 में केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं यदि वह निर्धारित करता है कि एस. आई. ए. सी. को करना चाहिए।

आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए आवेदन स्वीकार करें। एक बार जब आपातकालीन मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश करता है, तो उसे नियम 7 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां दी जाती हैं और उसे एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत किसी भी अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होता है। समान रूप से, नियम 9 किसी भी तरह से आपातकालीन मध्यस्थ की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है।

यह केवल उस समय सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर एक अंतरिम आदेश या पुरस्कार दिया जाना है, जिसे पंजीयक द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम आदेश या पुरस्कार जो अंततः आपातकाल द्वारा दिया जाता है मध्यस्थ को केवल पंजीयक द्वारा इसके "प्रपत्र" के रूप में अनुमोदित किया

जाना है न कि गुण-दोष के आधार पर। इसके अलावा, नियम 10 किसी भी [2021] 4 एस. सी. आर.
में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपातकालीन मध्यस्थ। यह निवेदन कि एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत एक आपातकालीन मध्यस्थ एक स्वतंत्र न्यायिक नहीं है इसलिए, नियमों के तहत गठित और नियम 3,9 और 10 पर निर्दिष्ट और निर्भर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की तरह निकाय को खारिज कर दिया जाता है। यह निवेदन कि मध्यस्थता, वैचारिक रूप से, एक है

दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का निष्कासन और इसलिए, केवल वही जो निष्कासन प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है यदि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के साथ व्यवहार कर रहा था, तो यहां किसी भी निहितार्थ के लिए कोई जगह नहीं है, अदालत के पक्ष में पाया जा सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अतीत के साथ एक पूर्ण विराम है और अब इसे एक निष्कासन क़ानून के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक क़ानून के रूप में देखा जाना चाहिए जो मध्यस्थता के उपचार का समर्थन करता है ताकि दीवानी अदालतों को रोक दिया जा सके जो आज के परिवेश में बेहद बोझ हैं। वास्तव में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5

प्रस्तुतिकरण को तब भुगतान किया जाता है जब वह उस समय लागू अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करता है और यह बताता है कि अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया हो। इसलिए, जब मध्यस्थता की बात आती है तो मध्यस्थता अधिनियम नागरिक विवादों को हल करने के एक पसंदीदा साधन के रूप में निष्कासन के सिद्धांत को बदल देता है।

[ पारस 37,38] [822-एफ-एच; 823-बी-डी]

कृष्णादेवी मालचंद कामठिया बनाम। बॉम्बे

पर्यावरण कार्रवाई समूह (2011) 3 एस. सी. सी. 363: [ 2011 ] 3 एससीआर 291; अनीता इंटरनेशनल बनाम। तुंगाबादरा शुगर वर्क्स मजदूर संघ (2016) 9 एस. सी. सी. 44: [ 2016 ] 6 एस. सी. आर. 635; तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम। हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (1997) 3 एससीसी 443 [1997] 2 एससीआर

152 - संदर्भित किया गया।

री फ्रैंकलिन और स्वाथलिंग के मध्यस्थता में, [1929] 1 Ch।

238 संदर्भित किया गया। न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता का कानून और

सुलह (छठा संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस)-संदर्भित।

1.13 कोई भी पक्ष, संस्थागत नियमों द्वारा शासित होने के लिए सहमत होने के बाद, आपातकाल से पहले की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है

मध्यस्थ और, हारने के बाद, मुड़ें और कहें कि पुरस्कार एक शून्य या गैर-न्यायिक है जब AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v में कुछ भी नहीं है।

भविष्य की वापसी सीमित

मध्यस्थता अधिनियम जो एक आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश को बनाए जाने से रोकता है। धारा 17, जैसा कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आलोक में समझा गया है, स्पष्ट रूप से इस स्थिति की ओर ले जाती है कि ऐसा आपातकालीन पुरस्कार धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत दिया जाता है। और धारा 17 (2) के प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है। [ पैरा 40] [827-डी-एफ]

किरण सिंह बनाम। चमन पासवान [1955] 1 एस. सी. आर. 117; सी. आई. टी. बनाम। पर्ल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स (पी) लिमिटेड (2004) 4 एससीसी 597: [ 2004 ] 1 पूरक। एससीआर 339

प्रतिष्ठित।

दीवानी अदालतों में भीड़भाड़ कम करना और पक्षों को शीघ्र अंतरिम राहत प्रदान करना। इस तरह के आदेश संदर्भित किए जाते हैं और किए जाते हैं मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत। [ पैरा 41] [827-एफ-जी]

2.1 आदेश XXXIX, नियम 2 (3) और 2 (4) का पठन जैसा कि यह मूल रूप से था, और आदेश XXXIX, नियम 2-ए जैसा कि इसके बाद है

1976 के संशोधन अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के तहत "निर्धारित" किया गया है कि इसका क्या परिणाम होगा जब

एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश और/या संपत्ति के प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने के आदेश का उल्लंघन किया जाता है। परिणाम में उल्लेख किया गया है

धारा 94 (ग) और (घ) स्वयं और आदेश XXXIX द्वारा जारी की गई है। [ पैरा 48] [834-जी-एच; 835-ए]

आधुनिक स्टील्स लिमिटेड बनाम। उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स (पी) लिमिटेड (2007) 7 एस. सी. सी. 125: [ 2007 ] 8 एस. सी. आर. 212; भारतीय खाद्य निगम बनाम। सुख देव प्रसाद (2009) 5 एससीसी

665 [ 2009 ] एससीआर 1107; यू. सी. सुरेंद्रनाथ बनाम

माम्बलीज़ बेकरी (2019) 20 एस. सी. सी. 666 का उल्लेख किया गया है।

2.2 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित आदेश, आदेश XXXIX, नियम 2-ए में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, इसलिए, उचित रूप से केवल मध्यस्थता अधिनियम के लिए संदर्भित हैं।

[ पैरा 50] [836-डी]

2.3 यह अच्छी तरह से तय है कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति जो धारा 9 (1) और धारा 17 (1) दोनों में आती है, एक [2021] 4 एस. सी. आर. है।

अभिव्यक्ति जो प्रकृति में व्यापक है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों महत्व है। इसके साथ ही,

धारा 9 (1) और धारा 17 (1) में आने वाली "कोई भी कार्यवाही" भी प्रवर्तन कार्यवाही में लेने के लिए पर्याप्त व्यापक अभिव्यक्ति होगी। [ पारस 51,53] [836-ई; 839-जी]

बांदेकर ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड वी. प्रसाद वासुदेव केनी 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 707; थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (1999) 9 एस. सी. सी. 334: [ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 461; बी. सी. सी. आई. बनाम कोच्चि क्रिकेट (पी) लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 287 [2018] 2 एससीआर 829; श्री बालगणेशन धातु बनाम। एम. एन. षण्मुघम चेट्टी (1987) 2 एससीसी 707: [ 1987 ] 2 एससीआर 1173; लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम। एम. के. गुप्ता (1994) 1 एस. सी. सी. 243 [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 615; भारत संघ बनाम। ए. बी. शाह (1996) 8 एससीसी 540: [ 1996 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 620 संदर्भित है।

2.4 ठीक से पढ़ें, अभिव्यक्तियाँ "के संबंध में" और

" किसी भी कार्यवाही में आदेशों को लागू करने की शक्ति शामिल होगी। जो धारा 9 (1) के तहत बनाए गए हैं, और अंतरिम आदेश देने के लिए आकस्मिक शक्तियों तक सीमित नहीं हैं। इस प्रकार, यदि किसी भी पक्ष द्वारा धारा 9 (1) के तहत किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो धारा 9 (1) के तहत ऐसे आदेश देने वाले न्यायालय के लिए उसे लागू करने की कार्यवाही उपलब्ध है। इसलिए, इन शक्तियों का पता सीधे अधिनियम की धारा 9 (1) से लगाया जा सकता है-जो तब सिविल प्रक्रिया संहिता तक ले जाती है। इस प्रकार, आदेश XXXIX नियम 2-ए के तहत किया गया आदेश

धारा 9 के तहत किए गए आदेश का प्रवर्तन भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के लिए संदर्भित होगा। [ पैरा 54] [842-सी-ई]

2.5 इस तथ्य को देखते हुए कि 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 17 (1) में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियां प्रदान की हैं जो एक अदालत को दी गई हैं, यह अभिनिर्धारित करना विसंगत होगा कि यदि न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और फिर उसे लागू किया गया था

न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए के संदर्भ में, ऐसा आदेश धारा 17 के लिए संदर्भित नहीं होगा। धारा 17 (2) की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को लागू करने पर पहले का कानून बहुत बोझिल पाया गया था।

[ पैरा 55] [842-ई-जी] AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम। भविष्य की वापसी सीमित

अलका चंदेवार बनाम। शमशुल इशरार खान (2017) 16

एस. सी. सी. 119 [2017] 6 एस. सी. आर. 533-संदर्भित।

स्वयं अपने आदेशों को लागू करता है, जो केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अदालत द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अदालत, जब वह धारा 17 (2) के तहत कार्य करती है, तो उसी तरीके से कार्य करती है जैसे वह धारा 9 (1) के तहत किए गए अदालत के आदेश को लागू करने के लिए कार्य करती है। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का आदेश लागू हो जाता है सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 17 (2) के तहत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 17 (2) एक कानूनी कल्पना पैदा करती है। यह कल्पना केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की जा रही अपीलों तक विस्तारित करना एक बड़ी छलांग होगी।

उक्त कल्पना को अधिनियमित करने में विधायिका द्वारा परिकल्पना की गई। [ पैरा 56,57] [844-जी-एच; 845-ए-बी]

परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आईसीडीएस लिमिटेड (2006) 13 एससीसी

322 ; राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और

निवेश निगम बनाम। हीरा और रत्न

विकास निगम लिमिटेड (2013) 5 एस. सी. सी. 470: [ 2013 ] 4 एस. सी. आर. 331; ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड v. फिन्सबरी बरो काउंसिल 1952 एसी 109: [ 1951 ] 2 सभी

ई. आर. 587 (एच. एल.)-संदर्भित।

2.7 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अंतरिम आदेशों को लागू करने के लिए धारा 17 (2) के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना केवल अदालत के आदेश के रूप में प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इस तरह के आदेशों की अपीलों को शामिल करने के लिए इस कल्पना का विस्तार करना विधायिका के स्पष्ट इरादे से परे जाना है। सिविल संहिता के तहत "शब्दों पर जोर देने में प्रस्तुति

धारा 17 (2) में "प्रक्रिया", इस प्रकार, प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए एक सीमित कल्पना के रूप में कोई आधार नहीं रखती है, जिसे एक जीनी के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जो एक वैधानिक प्रावधान से जारी किया गया है और जिसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जो कभी भी विधायिका के विचार में नहीं होंगे। [ पैरा 59] [847-एफ-एच; 848-ए] 2.8 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 द्वारा बनाई गई कल्पना एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन तक सीमित है, जिसमें महत्वपूर्ण

परिणाम यह है कि एक पुरस्कार को लागू करने के लिए एक आवेदन एक आवेदन [2021] 4 एस. सी. आर. है।

मध्यस्थता अधिनियम के तहत और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के तहत एक आवेदन नहीं (जिस मामले में, ऐसा आवेदन) सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 द्वारा आदेश XXI के तहत एक निष्पादन आवेदन के रूप में शासित किया गया होगा, न कि

सीमा अधिनियम के अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के तहत आवेदन)। [ पैरा 60] [850-एफ-जी]

भारत संघ बनाम। वेदांता लिमिटेड (2020) 10 एस. सी. सी. 1-आश्रित पर।

2.9 उक्त अधिनियम की उचित व्याख्या पर, एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा एक पुरस्कार/आदेश धारा द्वारा कवर किया जाएगा। 17 मध्यस्थता अधिनियम, जब अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ ठीक से पढ़ा जाता है। [ पैरा 62] [851-डी-ई]

2.10 धारा 36 की व्याख्या इस न्यायालय के समक्ष नहीं है-धारा 9 के साथ पठित धारा 17 की व्याख्या है। जहाँ तक धारा 17 का संबंध है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की योजना धारा 9 के तहत दीवानी अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की योजना को प्रतिबिंबित करती है। धारा 9 के साथ पठित धारा 17 के प्रावधानों और धारा 36 के विपरीत के बीच यह महत्वपूर्ण अंतर इस तर्क को पुष्ट करता है।

[ पैरा 64] [852-ए-बी]

डेलीम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड बनाम। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम विस्ट्रा आई. टी. सी. एल. 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1521: ( 2019 ) 6 बॉम सी. आर. 805; ग्लोबल एशिया वेंचर कं. v. अरूप परिमल देब 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 13061 ; पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम अटवाल राइस एंड जनरल मिल्स (2017) 8 एससीसी 116: [ 2017 ]

8 एस. सी. आर. 198-संदर्भित।

3.1 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 37 एक पूर्ण संहिता है जहाँ तक आदेशों और पुरस्कारों के तहत की गई अपीलों का संबंध है।

मध्यस्थता अधिनियम संबंधित हैं।

यह आगे AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम रहा है।

भविष्य की वापसी सीमित

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा गैर-बाधा खंड को जोड़कर इसे मजबूत किया गया है।

[ पैरा 69] [854-सी-डी]

कांडला निर्यात निगम बनाम। ओ. सी. आई. निगम (2018) 14 एस. सी. सी. 715: [ 2018 ] 1 एस. सी. आर. 915; डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. ओ. एन. जी. सी. (2020) 15 एस. सी. सी. 706; बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. बनाम। एनएचपीसी (2020) 4 एससीसी 234-संदर्भित।

3.2 धारा 37 2015 के संशोधन अधिनियम से अछूती नहीं रही। वास्तव में, अपीलों की एक नई श्रेणी एक नया उपखंड जोड़कर उक्त प्रावधान में शामिल किया गया था।

( 1 ) ( ए)। धारा 17 को उसी संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किए जाने के बावजूद, धारा 17 (1) को अंतरिम उपायों के रूप में धारा 9 (1) की दर्पण छवि बनाकर और उसके परिणामस्वरूप धारा 17 (2) को जोड़कर, महत्वपूर्ण रूप से, धारा 37 (बी) (2) में कोई बदलाव नहीं किया गया ताकि इसे आदेश XLIII, नियम 1 (आर) के अनुरूप बनाया जा सके। उक्त धारा ने केवल एक आदेश से अपील करना जारी रखा

धारा 17 के तहत कोई अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कोई भी अनुदान देना या देने से इनकार करना

धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय केवल धारा 17 (1) (i) और 17 (1) (ii) के तहत अंतरिम उपायों के अनुदान या गैर-अनुदान को संदर्भित करेगा। वास्तव में, धारा 17 (2) के प्रारंभिक शब्द, अर्थात्, "धारा 37 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन" भी। यह विधायिका की इस समझ को दर्शाता है कि धारा 37 के तहत अपील में पारित किए गए आदेश केवल धारा 17 (1) से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी जा सकती है, जिस मामले में धारा 17 की उप-धारा (2) तब अपील में पारित आदेश को लागू करने के लिए लागू होती है। इसके अलावा, विधायिका ने धारा 37 (1) (बी) के तहत आदेश XLIII, नियम 1 (आर) के अनुरूप लाने के लिए धारा 9 के तहत किसी भी उपाय को देने या देने से इनकार करने में कोई संशोधन नहीं किया। इससे जो बात स्पष्ट है वह यह है कि प्रवर्तन कार्यवाही अपील के दायरे में नहीं आती है।

प्रावधान। [ पारस 73,74] [858-एफ-जी; 859-ए-ई]

चिंटेल्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भयाना बिल्डर्स (पी) लिमिटेड (2021) 4 एस. सी. सी. 602-प्रतिष्ठित।

3.3 आपातकालीन मध्यस्थ के प्रवर्तन के आदेश के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत कोई अपील नहीं की जाती है।

अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत किया गया आदेश। नतीजतन, सभी अंतरिम [2021] 4

इस न्यायालय के आदेश खाली हैं। डिवीजन बेंच के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 76] [861-बी]

दक्षिण दिल्ली नगर निगम बनाम। टेक महिंदर

( 2019 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 11863-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2013 ] 6 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा।

[ 2016 ] 1 एससीआर 364

संदर्भित किया गया है

पैरा।

[ 2016 ] 9 एससीआर 83

प्रतिष्ठित

पैरा।

[ 2004 ] 1 एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

( 2021 ) 4 एस. सी. सी. 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[ 2011 ] 3 एससीआर 291

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[ 2016 ] 6 एससीआर 635

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[ 1997 ] 2 एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[ 1955 ] 1 एससीआर 117

प्रतिष्ठित

पैर

ा 4

[ 2004 ] 1 पूरक। एससीआर 339

पैर

ा 4

प्रतिष्ठित

[ 2007 ] 8 एस. सी. आर. 212

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[ 2009 ] एससीआर 1107

संदर्भित किया गया है

पै

रा

( 2019 ) 20 एस. सी. सी. 666

संदर्भित किया गया है

पै

रा

[ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 2018 ] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 1987 ] 2 एससीआर 1173

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 1993 ] 3 पूरक। एससीआर 615

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 1996 ] 2 पूरक। एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 2017 ] 6 एससीआर 533

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

( 2006 ) 13 एस. सी. सी. 322

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 2013 ] 4 एससीआर 331

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

( 2020 ) 10 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा c AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. भविष्य की वापसी सीमित

( 2009 ) 159 डीएलटी 579

संदर्भित किया गया है

पै

रा 65

[ 2018 ] 10 एससीआर 451

पै

रा 66

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 2018 बम 89 (एफ. बी.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[ 2017 ] 8 एससीआर 198

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[ 2018 ] 1 एससीआर 915

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

( 2020 ) 15 एस. सी. सी. 706

पै

रा 71

संदर्भित किया गया है

( 2020 ) 4 एससीसी 234

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

( 2021 ) 4 एस. सी. सी. 602

प्रतिष्ठित

पैर

ा 75

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 4492

4493 2021 से।

उच्च न्यायालय के 08.02.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) 2021 का सं. 21 और 2021 का सी. एम. सं. 4124।

के साथ

सिविल अपील सं। 4494-4495 और 2021 का 4496-4497। गोपाल सुब्रमण्यम, रंजीत कुमार, गौरव बनर्जी, नकुल दीवान,

अस्पी चिनॉय, अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आनंद एस पाठक, अमित के मिश्रा, शशांक गौतम, सुश्री श्रीमोयी देब, विजय पुरोहित, मोहित सिंह, हर्षद पाठक, प्रोमित चटर्जी, शिवम पांडे, सुश्री समृद्धि होता, सुश्री कनिका सिंघल, सुश्री सलोनी अग्रवाल, सुश्री डिडन मिसरी, सुश्री निकिता बंगेरा, प्रतीक झावेरी, फैजान मिठाईवाला, विजयेंद्र प्रताप सिंह, रचित बहल, सुश्री रूपाली सिंह, अभिज्ञान झा, प्रियंक लाडोया, तन्मय शर्मा, सुश्री वन्या छाबड़ा, अर्नब रे, वेदांत कपूर, शौर्य मित्तल, अभिसार विद्यार्थी, सुश्री नीना देशमुख, पवन अपीलार्थी के लिए।

हरीश साल्वे, केवी विश्वनाथन, विनीत नाइक, रितिन राय, विक्रम

नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित नाइक, राघव शंकर, आदित्य मेहता, तुषार हाथीरामानी, अभिषेक काले, सुश्री मधु गडोडिया, हर्षवर्धन झा, सुश्री अर्शिया शारदा, श्रीमती रितिका राय, युगांधरा पवार झा, अपूर्व सिंघल, पंकज पटेल, रोहन शाह, महेश अग्रवाल, नवल अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, करण लूथरा, रोहन केलकर, प्राणजीत भट्टाचार्य, अंकित [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बनाती, ई. सी. अग्रवाल, विकास मेहता, सुश्री देवांशी सिंह, अपूर्व खातोर, भास्कर नायक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थता नियम [ " एस. आई. ए. सी. नियम "] को मध्यस्थता और संबद्धता अधिनियम, 1996 [" मध्यस्थता अधिनियम "] की धारा 17 (1) के तहत एक आदेश कहा जा सकता है; और दूसरा, कि क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत एक विद्वान द्वारा आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को लागू करने के लिए एक आदेश पारित किया गया है।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश अपील योग्य हैं।

2. जिन संदर्भ में ये दो प्रश्न उठते हैं, उन्हें समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 . कार्यवाही अपीलार्थी, अमेज़न द्वारा शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. ["अमेज़न"] एक आपातकालीन मध्यस्थ, श्री वी. के. राजा, एससी के 25 अक्टूबर, 2020 के निर्णय/आदेश को लागू करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत दिल्ली। यह आदेश अमेज़ॅन द्वारा शुरू की गई 2020 की एस. आई. ए. सी. मध्यस्थता संख्या 960 होने के कारण मध्यस्थता कार्यवाही में पारित किया गया था।

उत्तरदाता संख्या 1 से 13, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

( (i)

उत्तरदाता नंबर 1-फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, भारत का दूसरा

सबसे बड़ा ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेता ["एफआरएल"]

उत्तरदाता संख्या 2-फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, एक कंपनी

( (ख)

जो एफ. आर. एल. में 9.82% हिस्सेदारी रखता है और नियंत्रित और बहुसंख्यक है-उत्तरदाता संख्या 3 से 11 ["एफ. सी. पी. एल".] के स्वामित्व में है।

( iii) प्रत्यर्थी संख्या 3-श्री किशोर बियानी, कार्यकारी

एफआरएल के अध्यक्ष और समूह सीईओ

( € iv) प्रत्यर्थी संख्या 8-श्री राकेश बियानी, प्रबंध निदेशक

एफआरएल का

( v) उत्तरदाता संख्या 4 से 7 और 9 से 11-बियानी परिवार के अन्य सदस्य, अर्थात् सुश्री अशनी किशोर बियानी, श्री अनिल

बियानी, श्री गोपीकिशन बियानी, श्री लक्ष्मीनारायण बियानी, श्री सुनील बियानी, श्री विजय बियानी और श्री विवेक बियानी,

जो एफ. आर. एल. AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम के प्रवर्तक और शेयरधारक हैं।

( vi) उत्तरदाता संख्या 12 और 13-फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और अकार एस्टेट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, समूह

एफ. आर. एल. की कंपनियां

उत्तरदाता संख्या 1 से 13 को इसके बाद सामूहिक रूप से "बियानी समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2.2 . मध्यस्थता कार्यवाही का केंद्र नई दिल्ली है, और पक्षों द्वारा सहमत मध्यस्थता खंड के अनुसार, एस. आई. ए. सी. नियम लागू होते हैं।

2.3 . दोनों पक्षों के बीच तीन समझौते हुए। ए.

19 दिसंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से एफ. आर. एल. शेयरधारकों के समझौते के तहत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकेश धीरूभाई अंबानी समूह ( रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह) इन दोनों शेयरधारकों के समझौतों के तहत एक "प्रतिबंधित व्यक्ति" है।

2.4 . 26 दिसंबर, 2019 को अमेज़ॅन ने एफ. सी. पी. एल. में Rs.1431 करोड़ की उपरोक्त राशि का निवेश किया, जो एफ. आर. एल. में "प्रवाहित" हो गई।

इस निवेश की तारीख से कुछ महीने बाद यानी 29 अगस्त, 2020 को उत्तरदाता संख्या 1 से 13 ने मुकेश के साथ लेन-देन किया। धीरूभाई अंबानी समूह, जो मुकेश धीरूभाई अंबानी समूह के साथ एफ. आर. एल. के विलय, एक इकाई के रूप में एफ. आर. एल. की परिणामी समाप्ति और उक्त समूह के पक्ष में अपनी खुदरा परिसंपत्तियों के पूर्ण निपटान की परिकल्पना करता है।

2.5 . अमेज़न ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की और 5 अक्टूबर, 2020 को एस. आई. ए. सी. के तहत आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया।

नियम, उपरोक्त लेन-देन के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करना। श्री वी. के. राजा, सुप्रीम कोर्ट को आपातकालीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया और विस्तार से सुना गया सभी पक्षों से मौखिक प्रस्तुतियाँ और फिर 25 अक्टूबर, 2020 को एक "अंतरिम पुरस्कार" पारित किया, जिसमें विद्वान मध्यस्थ ने निम्नलिखित निषेधाज्ञा/निर्देश जारी किए:

" B. सकारात्मक आदेश/निर्देश

285. परिणामस्वरूप, मैं निम्नानुसार पुरस्कार, निर्देशन और आदेश देता हूँ:

विवादित लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त 2020 को एफ. आर. एल. के निदेशक मंडल द्वारा किए गए बोर्ड प्रस्ताव को आगे बढ़ाना या उसकी सहायता करना, जिसमें भारत में नियामक निकायों या एजेंसियों सहित किसी भी व्यक्ति के समक्ष कोई आवेदन दायर करना या आगे बढ़ाना या किसी भी कंपनी में अनुमोदन के लिए अनुरोध करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। बैठक;

( ख) उत्तरदाताओं को उन संस्थाओं के साथ विवादित लेनदेन को पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया जाता है जो एमडीए का हिस्सा हैं।

समूह;

( ग) किसी भी वर्तमान प्रवर्तक ऋणदाता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उत्तरदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने से रोक दिया जाता है।

प्रवर्तकों द्वारा किसी भी तरह से एफ. आर. एल. की खुदरा परिसंपत्तियों या एफ. आर. एल. में रखे गए शेयरों को हस्तांतरित करने/निपटाने/अलग करने/बोझ डालने के लिए कोई कदम

दावेदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना;

( घ) प्रत्यर्थियों को एफ. आर. एल. की प्रतिभूतियाँ जारी करने या किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तपोषण प्राप्त करने/प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो किसी भी तरह से धारा के विपरीत होगा।

13.3.

1 एफ. सी. पी. एल. एस. एच. ए.; AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( ई) उपरोक्त (ए) से (डी) में आदेश तुरंत प्रभावी होने वाले हैं और न्यायाधिकरण के अगले आदेश तक लागू रहेंगे, जब

गठित; और

( च) दावेदार को इसकी तारीख से 7 दिनों के भीतर उत्तरदाताओं को हर्जाने में एक प्रति-वचन देना है। यदि पार्टियां इसकी शर्तों पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो उन्हें समाधान के लिए अपने मतभेदों को मेरे पास भेजना होगा; और (
छ) इस आवेदन की लागत इस लागत का हिस्सा होगी।

मध्यस्थता "।

2.6 . बियानी समूह इसके बाद विवादित लेन-देन के साथ आगे बढ़ा, जिसमें पुरस्कार को अमान्य और आपातकालीन मध्यस्थ को गैर-न्यायिक बताते हुए अनुमति के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया।

वैधानिक प्राधिकरण/नियामक निकाय। एफ. आर. एल., इस रुख के अनुरूप,

की धारा 37 के तहत आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को चुनौती नहीं दी

मध्यस्थता अधिनियम, लेकिन इसके बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की सी. एस. संख्या 493 के रूप में एक दीवानी मुकदमा दायर करने का विकल्प चुना, जिसमें उसने मध्यस्थता कार्यवाही को रोकने की मांग की और अमेज़ॅन को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी।

आपातकाल पर भरोसा करके वैधानिक अधिकारियों को लिखने से

मध्यस्थ का आदेश, इसे अपने नागरिक अधिकारों के साथ "यातनापूर्ण हस्तक्षेप" कहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद

यातनापूर्ण हस्तक्षेप का मामला, फिर निम्नानुसार कोई अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया:

" 12.3 इस प्रकार अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए सिद्धांतों की त्रिमूर्ति यानी प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा संतुलन का परीक्षण ऊपर बताए गए सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। चूंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम दृष्टया प्रतिनिधित्व

अमेज़ॅन ने इस याचिका के आधार पर कि एफआरएल का 29 अगस्त, 2020 का प्रस्ताव अमान्य है और एफसीपीएल एसएचए और एफआरएल एसएचए के संयोजन पर, अमेज़ॅन द्वारा एफआरएल पर जिस 'नियंत्रण' का दावा करने की मांग की गई है, उसे फेमा एफडीआई नियमों के तहत अनुमति नहीं है, बिना सरकारी अनुमोदन के, इस अदालत ने पाया कि एफआरएल ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। हालांकि, वर्तमान मामले में मुख्य परीक्षण

"सुविधा के संतुलन" और "अपूरणीय क्षति" के संबंध में हैं। भले ही एफ. आर. एल. द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया हो, सुविधा का संतुलन एफ. आर. एल. और एमाज़ोन दोनों के पक्ष में है। यदि एफ. आर. एल. का मामला यह है कि अमेज़ॅन द्वारा वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों को प्रतिनिधित्व

अवैध आधार पर आधारित है, अमेज़ॅन ने भी इसका आधार बनाया है

एफ. सी. पी. एल. एस. एच. ए. और एफ. आर. एल. एस. एच. ए. के कथित उल्लंघन पर प्रतिनिधित्व, साथ ही ई. ए. आदेश में निर्देश भी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सुविधा का संतुलन एफआरएल के पक्ष में है न कि अमेज़न के पक्ष में। पक्षकारों द्वारा अपने साक्षय का नेतृत्व करने के बाद या यदि किसी अन्य सक्षम मंच द्वारा निर्णय लिया जाता है तो यह परीक्षण का विषय होगा।

यह निर्धारित करें कि क्या अमेज़ॅन का प्रतिनिधित्व है कि

एफ. आर. एल. और रिलायंस के बीच लेन-देन का एफ. सी. पी. एल. एस. एच. ए. और एफ. आर. एल. एस. एच. ए. का उल्लंघन होना वर्तमान मुकदमे में एफ. आर. एल. की याचिका से अधिक होगा। इसके अलावा यदि अमेज़न को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है

वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों के समक्ष इसके मामले में, इसे एक अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अमेज़ॅन भी भविष्य में भारतीय कानून की अनुमति के मामले में अपने पक्ष में पूर्व खाली अधिकार बनाने का दावा करता है। इसके अलावा इस कारण से एफ. आर. एल. को अपूरणीय क्षति नहीं हो सकती है, भले ही अमेज़ॅन गलत तथ्यों के आधार पर गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके प्रतिनिधित्व करता है, यह वैधानिक अधिकारियों/नियामकों पर होगा कि वे तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अपना दिमाग लगाएं और सही निष्कर्ष पर आएं। एक और पहलू यह है कि वर्तमान आवेदन में कोई अंतरिम निषेधाज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती है क्योंकि एफ. आर. एल. और एमाज़ोन दोनों पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों को अपने अभ्यावेदन और जवाबी अभ्यावेदन दिए और अब यह वैधानिक के लिए है

अधिकारी/नियामक उस पर निर्णय लेंगे।

एफ. आर. एल. के पक्ष में और अमेज़न के खिलाफ निषेधाज्ञा लगाई जाती है। निष्कर्ष

13. नतीजतन, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, एफआरएल द्वारा अनुरोध किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान को अस्वीकार कर दिया जाता है, हालांकि, सांविधिक प्राधिकरणों/नियामकों को कानून के अनुसार आवेदनों/आपत्तियों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

बियानी समूह द्वारा इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। दूसरी ओर, अमेज़न ने कुछ लोगों के खिलाफ अपील दायर की है।

आदेश में की गई टिप्पणियाँ। यह याचिका लंबित है।

2.7 . इस बीच, अमेज़ॅन ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत दायर एक आवेदन के साथ आगे बढ़े, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुना और निपटाया गया। 2 फरवरी, 2021 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक यथास्थिति आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v.

बियानी समूह को यह कहते हुए विवादित लेन-देन के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया कि कारण और एक विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा। इसके खिलाफ एफ. आर. एल. द्वारा एक अपील दायर की गई थी, जिसमें एक खंड पीठ ने आदेश दिया था।

दिनांक 8 फरवरी, 2021 को इस मामले के तथ्यों को स्थापित करने और कुछ प्रथम दृष्टया निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद, कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। सुनवाई की अगली तारीख तक 2 फरवरी, 2021 के एकल न्यायाधीश आदेश का कार्यान्वयन और निष्पादन, और 26 फरवरी, 2021 को आगे की सुनवाई के लिए अपील को सूचीबद्ध किया। इस बीच, 22 फरवरी, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित समामेलन कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन समामेलन की योजना की मंजूरी के किसी भी अंतिम आदेश में समाप्त नहीं हुआ।

2.8 . 18 मार्च, 2020 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ["सिविल प्रक्रिया संहिता"] के आदेश XXXIX, नियम 2-ए के साथ पठित धारा 17 (2) के तहत किए गए आदेश के लिए कारण देते हुए विस्तृत निर्णय जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत एक आदेश है। चूंकि उपरोक्त समझौतों के उल्लंघनों को स्वीकार किया गया था, इसलिए केवल यह याचिका उठाई जा रही थी कि आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार अमान्य था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि इस तरह का पुरस्कार था मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक आदेश के रूप में प्रवर्तनीय, और आगे यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त पुरस्कार द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा/निर्देशों का बियानी समूह द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया गया था। उन्होंने यह भी पाया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ["फेमा"] के किसी भी तथाकथित उल्लंघन ने आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को अमान्य नहीं कर दिया, और इसलिए, नागरिक संहिता के आदेश XXXIX, नियम 2-ए के तहत एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया।

प्रक्रिया, कोविड प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाने वाली लागत के रूप में Rs.20 लाख लगाने के बाद दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए टीकाकरण। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब निम्नानुसार निर्देश दिया:

" निष्कर्ष

188. आपातकालीन मध्यस्थ सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एक मध्यस्थ है; आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश इसके तहत एक आदेश है।

धारा 17 (1) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत इस न्यायालय के आदेश के रूप में प्रवर्तनीय।

189. प्रत्यर्थी संख्या 2 मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक उचित पक्ष है और आपातकालीन मध्यस्थ ने अच्छी तरह से स्थापित [2021] 4 एस. सी. आर. को लागू करके कंपनी समूह के सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लोरो नियंत्रण (ऊपर), चेरन संपत्ति (ऊपर) और एम. टी. एन. एल. (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत। प्रत्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कंपनी समूह सिद्धांत से संबंधित सुव्यवस्थित कानून के विपरीत याचिका दायर की है।

190. उत्तरदाताओं ने इसे प्रमाणित किए बिना शून्यता की एक अस्पष्ट याचिका उठाई है। आपातकालीन मध्यस्थ का अंतरिम आदेश एक शून्य नहीं है जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया है।

191. सभी समझौतों को एक एकीकृत लेनदेन के रूप में जोड़ना/मानना एफआरएल पर याचिकाकर्ता के नियंत्रण के बराबर नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता का निवेश किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है।

192. उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियाँ एतद्द्वारा हैं

उत्तरदाताओं द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी-दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड टीकाकरण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाने वाली Rs.20,00,000/- की लागत के साथ अस्वीकार कर दिया गया। लागत दो सप्ताह की अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए और जमा के एक सप्ताह के भीतर रसीद को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

193. प्रत्यर्थियों ने जानबूझकर और जानबूझकर 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है और संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए में उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं।

सिविल प्रक्रिया।

194. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक की संपत्तियों को इसके द्वारा संलग्न किया जाता है। उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक को निर्देश दिया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 41 (2) के तहत फॉर्म 16ए, परिशिष्ट ई में अपनी संपत्ति का एक हलफनामा दाखिल करें। प्रत्यर्थी संख्या 1,2,12 और 13 को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुलग्नक बी-1 और प्रत्यर्थियों के प्रारूप में एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करें।

नं. 3 से 11 तक को मेसर्स भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के फैसले के अनुलग्नक ए-1 के प्रारूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। लिमिटेड वी. मैसर्स महारिया राज ज्वाइंट वेंचर, (ऊपर) 30 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ।

195. आदेश XXXIX नियम 2 AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए सिविल जेल में उन्हें क्यों नहीं रखा गया, इसका कारण बताने के लिए उत्तरदाता संख्या 3 से 13 को कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाता है।

25 अक्टूबर, 2020 के आदेश के उल्लंघन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का ए (1)। कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दें।

196. प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आगे कोई कार्रवाई न करें। उत्तरदाताओं को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे दो सप्ताह के भीतर 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने आवेदनों पर पारित आदेशों को वापस लेने के लिए सभी सक्षम अधिकारियों से संपर्क करें। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 25 अक्टूबर, 2020 के बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाई और उन सभी कार्रवाइयों की वर्तमान स्थिति को कम से कम तीन दिन पहले दर्ज करने के लिए एक हलफनामा दायर करें।

सुनवाई की अगली तारीख।

197. उत्तरदाता संख्या 3 से 11 इससे पहले उपस्थित रहेंगे।

सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत।

उन्होंने मामले को आगे के निर्देशों के लिए 28 अप्रैल, 2021 को सूचीबद्ध किया।

2.9 . इस विस्तृत फैसले के खिलाफ, 2021 का एफ. ए. ओ. संख्या 51 एफ. आर. एल. द्वारा दायर किया गया था। इस मामले में 22 मार्च को दिए गए दूसरे विवादित फैसले के अनुसार,

2021 , दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 8 फरवरी, 2021 के अपने पहले के आदेश का उल्लेख किया और सुनवाई की अगली तारीख, जो 30 अप्रैल, 2021 थी, तक पहले के आदेश द्वारा दिए गए उन्हीं कारणों से विद्वान एकल न्यायाधीश के विस्तृत निर्णय और आदेश पर रोक लगा दी। उक्त आदेश के खिलाफ, इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं, और इस न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, और मामले को इस न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटान के लिए निर्धारित किया।

3. एमेजॉन की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने हमें श्रमसाध्य विवरण के साथ रिकॉर्ड के माध्यम से ले गए। उन्होंने डिवीजन बेंच के विवादित आदेशों की निंदा करते हुए कहा कि 8 फरवरी, 2021 के आदेश में तीन समझौतों का उल्लेख किया गया है, तीसरा एफ. आर. एल. और रिलायंस रिटेल लिमिटेड के बीच है, जो स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है।

रिकॉर्ड। दूसरा, यह देखने के लिए चला गया कि उपरोक्त समझौते में, अमेज़ॅन एक पक्ष नहीं है। इसके बाद इसने यह निर्णय दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत एक आदेश के खिलाफ अपील दक्षिण दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में निहित तर्क के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत बनाए रखी जाएगी।

नगर निगम बनाम। टेक महिंद्रा, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 11863, पैराग्राफ 8 से 11 पर निर्भर करता है। श्री सुब्रमण्यम

तर्क दिया

कि यदि विद्वत खंड पीठ ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 12 और 13 को संदर्भित करने की जहमत उठाई होती, तो यह स्पष्ट हो जाता कि यह प्राधिकरण बिल्कुल विपरीत प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण होगा, जिससे सिविल संहिता के आदेश XLIII, नियम (r) के तहत अपील की जाती है।

प्रक्रिया गैर-रखरखाव योग्य है जब इसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के साथ पढ़ा जाता है। आगे की टिप्पणियाँ कि प्रथम दृष्टया, समझौते विभिन्न पक्षों के बीच हैं, और इसलिए, बिना किसी तर्क के, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है, फिर से विश्वासघात करता है

मन का पूर्ण गैर-अनुप्रयोग। चूंकि डिवीजन बेंच का दूसरा विवादित आदेश एकल न्यायाधीश के विस्तृत फैसले पर भी रोक लगाने के लिए इसी आदेश पर निर्भर करता है, इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि दूसरा आदेश, पहले की पुनरावृत्ति होने के कारण, उसी बीमारी से ग्रस्त है।

3.1 . श्री सुब्रमण्यम ने तब हमें धारा 2 (1) (ए), 2 (1) (सी) का उल्लेख किया,

2 ( 1 ) ( घ), 2 (6), 2 (8) और 19 (2) यह तर्क देने के लिए कि मध्यस्थता अधिनियम प्रतिबिंबित करता है

पक्ष की स्वायत्तता के रूप में मध्यस्थता का कठोर मानदंड, जिसका इन प्रावधानों द्वारा सम्मान किया जाता है और इस न्यायालय के कई निर्णयों में चित्रित किया गया है। इसके बाद उन्होंने धारा 37 का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 37 (2) (बी) के तहत एक अपील धारा 17 के तहत एक अंतरिम उपाय देने या देने से इनकार करने तक सीमित है, जो धारा 17 (1) को संदर्भित करेगी न कि धारा 17 (2) को। उन्होंने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और यदि कोई अपील धारा 37 के चार कोनों के भीतर नहीं आती है, तो यह अक्षम है, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है।

3.2 . उन्होंने तर्क देते हुए इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों का भी उल्लेख किया

कि एक आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को कभी भी अमान्य और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि जब तक उक्त पुरस्कार को अलग नहीं किया जाता है, तब तक इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य का भी उल्लेख किया कि पुरस्कार लिया जाना चाहिए क्योंकि बियानी समूह द्वारा इससे कोई अपील नहीं की गई थी और इसलिए, पुरस्कार के पीछे जाने की अनुमति नहीं थी।

3.3 . उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का भी हवाला दिया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को

फिर भी मध्यस्थता समझौते इसके द्वारा बाध्य होंगे और तथ्यों पर, यह स्वीकार किया गया कि पूरे लेनदेन के पीछे "अंतिम नियंत्रक व्यक्ति" श्री किशोर बियानी थे, जिन्हें तीन समझौतों के तहत परिभाषित किया गया था।

3.4 . उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, जैसा कि इस न्यायालय के फैसलों में कहा गया है, फेमा पूरी तरह से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विपरीत है। 1973 [ " एफ. ई. आर. ए.] और इसमें किसी समझौते को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह मानते हुए भी कि इसका उल्लंघन किया गया था।

मध्यस्थ का पुरस्कार और तर्क दिया कि बियानी समूह के पक्ष में संभवतः कोई इक्विटी नहीं पाई जा सकती है क्योंकि आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार के उल्लंघन को उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, वे एक बेईमान और अनैतिक मामले के साथ अदालत में आए हैं और यदि इसकी सराहना की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि तथ्यों पर, आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार का खुले तौर पर उल्लंघन करने के बाद, उनके पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों का विरोध करने के लिए गुण-दोष पर कोई मामला नहीं होगा। अन्यथा भी, उन्होंने धारा 17 (2) का उल्लेख किया और तर्क दिया कि प्रवर्तन आदेश मध्यस्थता अधिनियम के तहत किए गए थे, न कि मध्यस्थता संहिता के तहत। सिविल प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप आदेश XLIII, नियम 1 (r) के तहत दायर अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। श्री चिनॉय ने काकड़े में बंबई उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम विस्त्रा आई. टी. सी. एल., 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1521: ( 2019 ) 6 बम सी. आर. 805 ["काकाडे निर्माण"] उनके समर्पण को मजबूत करने के लिए। 5. एमेजॉन की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 और 17 का उल्लेख किया और

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["2015 संशोधन अधिनियम"] जिसने धारा 17 को धारा 9 के अनुरूप बनाया। इसके बाद उन्होंने यह तर्क देने के लिए धारा 9 (3) का उल्लेख किया कि विधायी इरादा तब गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण से अंतरिम आदेश प्राप्त करना है ताकि अदालतों में भीड़ को कम किया जा सके और उन्हें उनके समक्ष दायर की जा रही धारा 9 याचिकाओं के बोझ से मुक्त किया जा सके। यदि इसकी सराहना की जाती है, तो यह स्पष्ट होगा कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार संस्थागत नियमों के तहत सही दिशा में एक कदम होगा, जो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्पष्ट करते हुए कि उसी संशोधन द्वारा, धारा 37 (1) में एक अबाधित खंड जोड़ा गया था, जिससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई अपील धारा 37 के चारों कोनों के भीतर नहीं आती है, जब तक कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई अन्य अपील संभवतः दायर नहीं की जा सकती थी यदि वह धारा 37 के चारों कोनों के बाहर थी।

6. एफ. आर. एल. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने कहा कि वह इस बात पर बहस करने की हद तक नहीं जाएंगे कि [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम के दायरे से बाहर होगा, लेकिन यह उनके उद्देश्य के लिए यह तर्क देने के लिए पर्याप्त था कि एक आपातकाल

मध्यस्थ के निर्णय को अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट का एक अंश हमारे सामने रखा, जिसमें विधि आयोग ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 में संशोधन की वकालत की, ताकि उप-धारा (1) (डी) के भीतर एक आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सुझाव दिए जाने के बावजूद, संसद ने इसे तब नहीं अपनाया जब उसने 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन किया।

यह दर्शाता है कि ऐसे आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर उन्होंने हमें परिभाषा अनुभागों के माध्यम से ले लिया

मध्यस्थता अधिनियम और धारा 10 से 13,16,17,21,23,27,29 ए, और 30, विशेष रूप से, यह तर्क देने के लिए कि अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) द्वारा परिभाषित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अर्थ केवल एक न्यायाधिकरण हो सकता है जो पक्षों के बीच गठित किया जाता है, जो तब पक्षों के बीच विवादों का अंत में फैसला करता है और अधिनियम की योजना को देखते हुए, एक आपातकालीन मध्यस्थ को शामिल नहीं कर सकता है जो एक "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जो केवल सबसे अच्छा निर्णय लेता है।

पक्षों के बीच एक अंतरिम विवाद जो कभी भी अंतिम निर्णय में समाप्त नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि श्री सुब्रमण्यम एक वर्गाकार खूंटी फिट करने की कोशिश कर रहे थे जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम केवल उन मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की बात करता है जो पक्षों के बीच गठित किए जाते हैं और जो अंततः पक्षों के बीच विवादों का फैसला कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर नियम बनाता है और यह कहते हुए एक याचिका को खारिज कर देता है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे केवल मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार देना चाहिए, जो कभी भी एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा नहीं किया जा सकता है। द.

जब तक संसद द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह अपनी योजना के भीतर फिट नहीं हो सकता है। 6.1 . उन्होंने आगे तर्क दिया, एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों के समझौते में निहित मध्यस्थ समझौते की धारा 25.2 की ओर इशारा करते हुए (जो है

एफ. आर. एल. शेयरधारकों के समझौते में धारा 15.2 के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है कि किसी भी मामले में, आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय से संबंधित एस. आई. ए. सी. नियमों के प्रावधान, जिन पर पक्षों के बीच सहमति हुई थी, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन थे; और चूंकि मध्यस्थता

अधिनियम में आपातकालीन मध्यस्थों के लिए प्रावधान नहीं था, एस. आई. ए. सी. नियमों का यह भाग लागू नहीं होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का निर्णय अधिनियम की धारा 17 (1) के अंतर्गत नहीं आ सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 17 (1) की योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत भी, AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है

जैसा कि अनुसूची 1 के साथ पठित नियम 30 से स्पष्ट है। इस मामले में, एक आपातकालीन मध्यस्थ, जिसे मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान नियुक्त नहीं किया जाता है, धारा 17 (1) के बाहर आता है।

6.2 . उन्होंने सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग और अंग्रेजी कानूनों में निहित प्रावधानों के साथ मध्यस्थता अधिनियम की भी तुलना की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उन कानूनों के तहत, एक आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार स्पष्ट रूप से शामिल किए गए थे और इस प्रकार उनके प्रावधानों के तहत लागू किए जा सकते थे।

6.3 . श्री साल्वे ने स्पष्ट किया कि [2021] 4 एस. सी. आर. में दायर की गई अपील।

धारा 36 (1), जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई अंतिम निर्णय दिया जाता है, तो इसे सिविल संहिता के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा। प्रक्रिया उसी तरीके से जैसे कि यह अदालत की एक डिक्री थी, जिससे यह तर्क दिया जाता है कि एक कानूनी कल्पना द्वारा, एक पुरस्कार को प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए एक डिक्री माना जाता है, जिसमें प्रवर्तन कार्यवाही में पारित आदेशों की अपील सहित सभी उद्देश्य शामिल होंगे। उन्होंने धारा 17 (2) की भाषा पर भी जोर दिया कि धारा 17 (1) के तहत पारित आदेश को सभी उद्देश्यों के लिए अदालत का आदेश माना जाता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू किया जा सकता है।

जिस तरह से यह अदालत का एक आदेश था, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रवर्तन मध्यस्थता अधिनियम के तहत नहीं है, बल्कि केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह केवल शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे

आदेश XXXIX, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2-ए के तहत और मध्यस्थता अधिनियम के तहत नहीं। उन्होंने तब बताया कि विभिन्न विसंगतियां होंगी जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है अगर हम स्वीकार करते हैं श्री सुब्रमण्यम द्वारा सुझाए गए निर्माण। जैसा कि सर्वविदित है, तीसरा

यदि उनके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उनके हितों के खिलाफ एक विकृत आदेश निश्चित रूप से होगा अपील योग्य। उन्होंने यह भी बताया कि, आज तक, आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय में संशोधन/रद्द करने के आवेदन पर नियमित रूप से गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष बहस की गई थी, जो आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय से सहमत या अस्वीकार करते हुए अपना आदेश जारी करेगा, जिससे उनके मुवक्किल या श्री सुब्रमण्यम के मुवक्किल अपील दायर करेंगे, जो इस तरह से पारित आदेशों पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों का उल्लेख किया।

7. एफ. आर. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने तर्क दिया कि कानूनों की व्याख्या के चार नियम

इस मामले में अनिवार्य रूप से हमें उत्तरदाताओं के पक्ष में इन अपीलों को अनुमति देने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 17 (2) में निहित "जैसे" शब्दों में एक कानूनी कल्पना है, जिसे जब इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि प्रवर्तन कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम के दायरे से बाहर और सिविल प्रक्रिया संहिता की सीमा के भीतर होगी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 17 (2) में "सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत" अभिव्यक्ति का उपयोग संदर्भ द्वारा कानून है न कि निगमन द्वारा, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल सिविल प्रक्रिया संहिता है जिसके तहत प्रवर्तन होता है। इसके बाद उन्होंने दोहराया कि धारा 36 (3) में निहित अभिव्यक्ति "उचित सम्मान" मौलिक रूप से "सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत" अभिव्यक्ति से अलग है, और यह कि धारा 36 (1) और धारा 17 (2) समान सामग्री प्रावधान हैं, जो धारा 36 (3) से अलग हैं, जिसके तहत मध्यस्थता अधिनियम के तहत "सिविल प्रक्रिया संहिता के उचित सम्मान" के साथ किसी पुरस्कार पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब अलग-अलग प्रावधानों में अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो वे अलग-अलग होते हैं। उन्होंने इन प्रस्तुतियों में से प्रत्येक को समर्थन देने के लिए निर्णयों का भी हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर चर्चा की, जो दर्शाते हैं कि व्यवहार में, आदेशों और पुरस्कारों के खिलाफ दायर की जाने वाली अपीलें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की जाती हैं, न कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत।

7.1 . इसके बाद उन्होंने धारा 17 (1) और विशेष रूप से

"और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास आदेश देने के लिए वही शक्ति होगी, जो न्यायालय के पास उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है" और तर्क दिया कि अभिव्यक्ति में "

"के संबंध में केवल न्यायाधिकरण को दी गई आकस्मिक शक्तियों को संदर्भित करता है न कि

प्रवर्तन की शक्तियाँ। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 17 (1) में "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" अभिव्यक्ति को धारा 2 (1) (डी) द्वारा परिभाषित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, इसके विपरीत धारा 17 (1) के संदर्भ में कुछ भी नहीं है जो धारा 17 (1) के संदर्भ में धारा 2 (1) (डी) के आवेदन को बाधित करेगा। इसके बाद उन्होंने पक्षों के बीच मध्यस्थता खंड का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि पक्षों ने धारा 25.2 के आधार पर विचार किया

एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों का समझौता, कि केवल दीवानी अदालतें अंतरिम आदेश पारित कर सकती हैं जब तक कि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन नहीं किया जाता है। इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय के हाल के एक फैसले का उल्लेख किया, जिसका नाम राष्ट्रीय न्यायालय है।

मध्यस्थता अधिनियम में कहा गया है कि धारा 17 में कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कारों को शामिल किया जा सके। 7.2 . इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 को पढ़ने पर, एक आपातकालीन मध्यस्थ को मध्यस्थ की तरह नहीं कहा जा सकता है।

इसमें न्यायाधिकरण, नियम 3 के तहत, एस. आई. ए. सी. के अध्यक्ष को पहले यह स्वीकार करना होगा कि आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए या नहीं। इसके अलावा, नियम 9 के तहत, अकेले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को शक्ति दी गई है नियम में उल्लिखित परिस्थितियों में समय का विस्तार, और नियम 10 के तहत, एक आपातकालीन मध्यस्थ को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद कार्य करने की कोई शक्ति नहीं है, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी कारण से बाध्य नहीं है

आपातकालीन मध्यस्थ। इससे उन्होंने तर्क दिया कि एक आपातकालीन मध्यस्थ मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि ऐसा मध्यस्थ मध्यस्थ नहीं है।

नियमों के तहत स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय।

7.3 . इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए कुछ निर्णयों और प्राधिकरणों का उल्लेख किया कि धारा 1 से धारा 28 का उचित अध्ययन

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 से पता चलेगा कि दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है और निष्कासन प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से जो प्रावधान किया गया है, उसे ही प्रभावी बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें कुछ भी निहित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश मामले का फैसला करने के लिए बहुत जल्दबाजी में थे और उन्होंने प्रत्यर्थियों को प्रवर्तन आवेदन पर आपत्तियां दायर करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि लिखित तर्कों के नोट, जिसमें एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा एक पुरस्कार के रूप में आपत्ति शामिल है, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए थे। उन्होंने यह दिखाने के लिए विभिन्न निर्णयों का भी हवाला दिया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें आपातकालीन मध्यस्थ के पास अंतर्निहित

अधिकार क्षेत्र का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप उनके मुवक्किलों को आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार की अनदेखी करने में उचित ठहराया गया था।

21 ] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. श्री विक्रम नानकानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

सिविल अपील सं. 1 से 12 तक उत्तरदाताओं की ओर से। 4496-4497 सिविल अपील सं. 2021 में उत्तरदाता सं. 2 से 13 तक। 4494-4495 2021 में, यह इंगित करने के लिए दर्द हो रहा था कि प्रवर्तन आवेदन में, इस मामले के तथ्यों पर, यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि उच्च न्यायालय से एक दीवानी अदालत के रूप में संपर्क किया जा रहा था, और यह कि आवेदन केवल आदेश XXXIX, नियम 2-ए के तहत दायर किया गया था। उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का भी हवाला दिया कि आदेश XXXIX, नियम 2-ए के प्रावधान, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण और जानबूझकर अवज्ञा के उच्च मानक को लागू करने की आवश्यकता को नियमित रूप से या उस घुड़सवार तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त प्रावधान को लागू किया है। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया

कि केवल "मध्यस्थता" से संबंधित एस. आई. ए. सी. नियमों पर पक्षों के बीच सहमति हुई थी, जो एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पुरस्कारों से संबंधित नियमों को बाहर कर देगा। इसके बाद उन्होंने श्री चिनॉय द्वारा भरोसा किए गए काकाडे कंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) और जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड बनाम में निर्णय को अलग किया। सुब्रत रॉय सहारा, 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1379 2012 (2) एयर बम 855 [जेट एयरवेज],

यह कहते हुए कि वे केवल अधिनियम की धारा 36 पर लागू होते हैं और धारा 17 के तहत अधिकारी नहीं हैं, जो वर्तमान मामले के तथ्यों में तर्क का विषय है।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला पहला सवाल यह है कि क्या कोई आपातकालीन मध्यस्थ पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम के विचार के भीतर कहा जा सकता है, और क्या इसे आगे अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत एक आदेश कहा जा सकता है।

10. मध्यस्थता अधिनियम के सुसंगत प्रावधान, जहाँ तक इस

विवाद का संबंध इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। ( 1 ) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

( अ)

" "मध्यस्थता" का अर्थ है कोई भी मध्यस्थता चाहे वह हो या न हो। स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित;

***

( (ग)

" मध्यस्थता पुरस्कार "में एक अंतरिम पुरस्कार शामिल है;

" माध्यस्थम न्यायाधिकरण "का अर्थ है एकमात्र मध्यस्थ या पैनल।

( (घ)

मध्यस्थों का; "

*** AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 6 ) संदर्भों का निर्माण। जहाँ इस भाग को छोड़कर

धारा 28 पक्षकारों को एक निश्चित मुद्दे को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ती है, कि स्वतंत्रता में पक्षकारों का किसी भी मुद्दे को अधिकृत करने का अधिकार शामिल होगा।

उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एक संस्था सहित व्यक्ति।

***

( 8 ) यह भाग कहाँ है

( अ)

यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि पक्ष सहमत हुए हैं या कि

वे सहमत हो सकते हैं, या

( ख)

किसी अन्य तरीके से एक समझौते को संदर्भित करता है पक्षकार, उस समझौते में कोई भी मध्यस्थता शामिल होगी

उस समझौते में निर्दिष्ट नियम।

" 19. प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण।

* * *

कार्यवाही "। " 21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत। जब तक कि

अन्यथा पक्षों द्वारा सहमत, संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही

किसी विशेष विवाद की शुरुआत उस तारीख को होती है जिस दिन कोई अनुरोध किया जाता है। उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए प्राप्त किया जाता है

उत्तरदाता "।

11. इन प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि एक मध्यस्थता

कार्यवाही एक स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित की जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 2 (6) यह स्पष्ट करती है कि पक्षकार किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को उनके बीच उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दलों को। इसके अलावा, धारा 2 (8) के तहत, पक्ष की स्वायत्तता एक समझौते की सीमा तक जाती है जिसमें मध्यस्थता नियमों द्वारा शासित होना शामिल है। उपरोक्त समझौतों में संदर्भित। इसी तरह, धारा 19 (2) के तहत, पक्षकार अपनी कार्यवाही के संचालन में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

12. धारा 21 में यह प्रावधान है कि एक के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही

विशेष विवाद उस तारीख से शुरू होता है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है। यह खंड स्पष्ट रूप से पक्षों द्वारा समझौते के अधीन है। एस. आई. ए. सी. नियमों का नियम 3.3 इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" नियम 3: मध्यस्थता की सूचना

* * *

3.3 पंजीयक द्वारा मध्यस्थता की पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तारीख को मध्यस्थता शुरू होने की तारीख माना जाएगा। संदेह से बचने के लिए, मध्यस्थता की सूचना तब पूरी मानी जाती है जब नियम 3.1 और नियम 6.1 (बी) (यदि लागू हो) की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है या जब पंजीयक यह निर्धारित करता है कि ऐसी आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। एस. आई. ए. सी. पक्षकारों को सूचित करेगा

मध्यस्थता की शुरुआत "।

एस. आई. ए. सी. नियमों के लागू होने पर सहमति जताते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई थी।

एस. आई. ए. सी. के पंजीयक द्वारा मध्यस्थता की पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तारीख, जो इंगित करेगी कि एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत मध्यस्थता कार्यवाही उक्त नियमों के तहत एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से बहुत पहले शुरू होती है। इस मामले में, जब धारा 17 (1) "मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, तो उक्त अभिव्यक्ति पर्याप्त लोचदार होगी, जब अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें आपातकालीन मध्यस्थता कार्यवाही शामिल होती है, जो एस. आई. ए. सी. नियमों के नियम 3 के तहत पंजीयक द्वारा मध्यस्थता की सूचना प्राप्त होने के बाद ही शुरू होती है।

13. इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने के साथ-साथ इसके खिलाफ कोई स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थ नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम में मध्यस्थता। इस प्रकार, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। वी. देवास मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड, (2014) 11 एस. सी. सी. 560, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 35. मध्यस्थता समझौते के अनुच्छेद 20 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मध्यस्थता कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल या UNCITRAL के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जाएगी, देवास AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v था।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए आई. सी. सी. के मध्यस्थता नियमों को लागू करने का अधिकार। समझौते के अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है कि इसके तहत पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियां भारत के कानूनों के अधीन और उनके अनुसार समझी जाएंगी। इसलिए, उस कानून के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो समझौते के शासी कानून के रूप में काम करने वाला था और उस कानून के बीच जो मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला था। एक बार देवास द्वारा मध्यस्थता के आई. सी. सी. नियमों के प्रावधानों को लागू करने के बाद, उसके तहत शुरू की गई कार्यवाही को 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। आई. सी. सी. नियमों का आह्वान, निश्चित रूप से, के अधीन होगा

1996 अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन। जहाँ पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि मध्यस्थता की प्रक्रिया आई. सी. सी. नियमों द्वारा नियंत्रित होगी, वहाँ अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगे - मध्यस्थता समझौते और उक्त नियमों के संदर्भ में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति। इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत 2011 की मध्यस्थता याचिका संख्या 20 को विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यह याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए उपरोक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों का सहारा लेने से नहीं रोकेगा।

इसी तरह, भारत एल्यूमीनियम कंपनी v. कैसर एल्यूमीनियम

निकेल सर्विसेज इंक., (2016) 4 एस. सी. सी. 126 ["बाल्को"], इस न्यायालय ने कहा

" 5. पक्ष की स्वायत्तता मध्यस्थता में विचारणीय और मार्गदर्शक भावना होने के कारण, पक्ष अपने पूरे अनुबंध को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग कानूनों के अनुप्रयोग पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं-(1) अनुबंध का उचित कानून, (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, और (3) मध्यस्थता के संचालन का उचित कानून, जो लोकप्रिय और कानूनी है। पार्लेन्स "क्यूरियल लॉ" के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता के लिए इन विभिन्न कानूनों की परस्पर क्रिया और अनुप्रयोग को संक्षिप्त रूप से समझाया गया है।

इस न्यायालय द्वारा सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड [सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड, (1998) 1 एस. सी. सी. 305], जो उस दिशा में सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक है और जिसका हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड सहित बाद के सभी निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। भारत संघ

[ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603: ( 2014 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 737] ". [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

***

" 10. व्याख्या के मामले में, अदालत को व्याख्या के लिए आने वाले साधन के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। विधायी प्रारूपण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और किसी अधिनियम, नियम या विनियमन को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों में इसकी जांच की जाती है। कानूनविदों या दस्तावेज़ लेखकों द्वारा मसौदा तैयार करने की एक और श्रेणी है जो पेशेवर रूप से योग्य हैं और इस क्षेत्र में अनुभवी हैं जैसे दस्तावेज़, संधियाँ, अदालत में निपटान, आदि। और फिर आम लोगों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी है जिन्हें कानून या क्षेत्र में विशेषज्ञता का कोई ज्ञान नहीं है। दस्तावेज़ की कानूनी गुणवत्ता या पूर्णता तीसरी श्रेणी में तुलनात्मक रूप से कम है, दूसरे में उच्च और पहले में उच्च है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली श्रेणी में व्याख्या की प्रक्रिया में अदालतें ऐसा करती हैं

विधान के उद्देश्य, उसके संदर्भ और पाठ को इकट्ठा करने का प्रयास। दूसरी श्रेणी में भी, पाठ के साथ-साथ उद्देश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और वसीयत जैसे दस्तावेजों की तीसरी श्रेणी में, यह केवल निष्पादक का इरादा है जो प्रासंगिक है। हमारे समक्ष मामले में, दोनों पक्षों के बीच निष्पादित एक अनुबंध होने के नाते, अदालत एक क़ानून की व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। अनुबंध की शर्तों को उस तरह से समझना होगा जिस तरह से पक्ष चाहते थे और उनका इरादा था। उस संदर्भ में, विशेष रूप से मध्यस्थता के समझौतों में, जहां पक्ष की स्वायत्तता कठोर मानदंड है, पार्टियों ने समझौते को कैसे तैयार किया, अभिव्यक्ति के सादे या व्याकरणिक अर्थ और उपयोग के अलावा इरादे को समझने के लिए संकेतकों में से एक है।

समझौते में उचित स्थानों पर अभिव्यक्तियाँ।

मध्यस्थता और वाणिज्यिक मामलों में पक्ष की स्वायत्तता का महत्व

सेन्ट्रोट्रेड के फैसले में अधिनियमों को आगे चित्रित किया गया था

rals & Metal Inc. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एस. सी. सी.

" सेन्ट्रोट्रेड "] इस प्रकार है:

" 38. पार्टी की स्वायत्तता वस्तुतः मध्यस्थता की रीढ़ है। इस न्यायालय ने कई फैसलों में यह विचार व्यक्त किया है। बाल्को में दो महत्वपूर्ण मार्गों में [भारत एल्यूमीनियम कंपनी। कैसर

एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम, (2016) 4 एस. सी. सी. 126] इस न्यायालय ने संविदाकारी पक्षों के दृष्टिकोण से पक्ष की स्वायत्तता और वाणिज्यिक अनुबंधों में इसके महत्व पर विचार किया। रिपोर्ट के पैरा 5 में यह कहा गया था: ( एस. सी. सी पी. 130)

" 5. पार्टी की स्वायत्तता विचारशील और मार्गदर्शक भावना है

मध्यस्थता में, पक्षकार आवेदन पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

अनुबंध का कानून, (2) मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, और ( 3 ) मध्यस्थता के संचालन का उचित कानून, जो लोकप्रिय है

एक मध्यस्थता के लिए इन विभिन्न कानूनों का अनुप्रयोग किया गया है सुमितोमो में इस अदालत द्वारा संक्षिप्त रूप से समझाया गया [सुमितोमो]

भारी उद्योग लिमिटेड v. ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड (1998) 1 एस. सी. सी. 305]

जो उस दिशा में सबसे शुरुआती निर्णयों में से एक है और जो

जिसमें हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. भारत संघ [ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2014) 7 एस. सी. सी.

603 : ( 2014 ) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 737]।"

( मूल में जोर)

रिपोर्ट के पैरा 10 में कहा गया है: ( एससीसी पीपी। 131-32 )

" 10. व्याख्या के मामले में, अदालत को करना होगा

उपकरण के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण

किसी अधिनियम, नियम या विनियम का आकार। एक और श्रेणी है कानूनविदों या दस्तावेज़ लेखकों द्वारा मसौदा तैयार करना जो हैं

पेशेवर रूप से योग्य और प्रारूपण जैसे क्षेत्र में अनुभवी

कार्य, संधियाँ, न्यायालय में समझौता, आदि। और फिर वहाँ है

कानून का ज्ञान या क्षेत्र में विशेषज्ञता। कानूनी गुणवत्ता या दस्तावेज़ की पूर्णता तीसरे में तुलनात्मक रूप से कम है।

श्रेणी, दूसरे में उच्च और पहले में उच्चतर। इसमें कोई शक नहीं कि

पहली श्रेणी में व्याख्या की प्रक्रिया, अदालतें करती हैं

क्योंकि उद्देश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और तीसरी श्रेणी में वसीयत जैसे दस्तावेजों का, यह केवल इरादा है

निष्पादक जो प्रासंगिक है। हमारे सामने मामले में, एक होने के नाते

दोनों पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध, अदालत नहीं कर सकती

किसी क़ानून की व्याख्या करने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाएँ। की शर्तें अनुबंध को इस तरह से समझना होगा कि

पार्टियां चाहती थीं और उन्हें ऐसा करना चाहती थीं। उस संदर्भ में, [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से मध्यस्थता के समझौतों में, जहां पक्षकार

स्वायत्तता कठोर मानदंड है, पार्टियों ने कैसे काम किया समझौता, इरादे को समझने के लिए संकेतकों में से एक है,

अभिव्यक्तियों के सादे या व्याकरणिक अर्थ के अलावा

और में उचित स्थानों पर अभिव्यक्तियों का उपयोग समझौता
"।

( मूल में जोर)

***

" 42. चाहे जो भी हो, कानूनी स्थिति जैसा कि हम इसे समझते हैं, वह यह है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को न केवल प्रक्रियात्मक कानून का पालन करने के लिए बल्कि मूल कानून पर भी निर्णय लेने की स्वायत्तता है। अधिकार क्षेत्र का चुनाव अनुबंध करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान मामले में, दोनों पक्ष समझौते के खंड 14 के माध्यम से दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रणाली पर सहमत हुए हैं और समझौते के खंड 16 में अनुबंध के निर्माण का प्रावधान है।

भारत के कानूनों के अनुसार किए गए अनुबंध के रूप में। हम दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दोनों खंडों में से किसी में भी कुछ भी गलत नहीं देखते हैं।

***

" 46. वर्तमान में हम केवल भारत की मौलिक या सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं। यहाँ तक कि के व्यापक चित्रण को मानते हुए भी

भारत की मौलिक नीति जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: ( 2015 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] हम द्विस्तरीय मध्यस्थता प्रणाली को पसंद करने और स्वीकार करने वाले पक्षों में कुछ भी मौलिक रूप से आपत्तिजनक नहीं पाते हैं। अनुबंध के पक्षों ने ए एंड सी अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान को पारित नहीं किया है और उन्हें पता था, या कम से कम उन्हें पता होना चाहिए था कि वे भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता पैनल द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर सहमत हो सकते थे।

भारतीय मध्यस्थता परिषद। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर लंदन में दूसरे या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने का फैसला किया।

इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियमों के अनुसार यूके। ए एंड सी अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को दूसरे उदाहरण या अपीलीय मध्यस्थता पर सहमत होने से रोकता है-या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। इस तरह के किसी भी निषेध या आदेश को AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v में नहीं पढ़ा जा सकता है।

ए एंड सी अधिनियम एक अनुचित और अजीब अधिनियम को छोड़कर

गलत निर्माण और अपनी भाषा को लुप्त होने तक तनाव में डालना।

हम इस कारण से चिंतित नहीं हैं कि पक्ष क्यों (सहित)

एच. सी. एल.) दूसरी बार मध्यस्थता के लिए सहमत हो गया-तथ्य यह है कि

उन्होंने ऐसा किया और वे अपने द्वारा किए गए समझौते से बाध्य हैं।

एच. सी. एल. अपने द्वारा की गई गंभीर प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकती है।

स्वेच्छा से, जानबूझकर और खुली आँखों के साथ "।

( जोर दिया गया)

पार्टी की स्वायत्तता का सिद्धांत, जैसा कि बाल्को (ऊपर) में वर्णित है

और सेंट्रोट्रेड (ऊपर), को हाल ही में इस न्यायालय द्वारा पी. ए. एस. एल. विंड सॉल्यूशंस प्राइवेट में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। लिमिटेड वी. जी. ई. पावर

कनवर्जन इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 331 (पैराग्राफ 101 और 102 देखें)।

15. एनएचएआई बनाम में एक हालिया निर्णय। एम. हकीम (ऊपर)

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधानों के साथ, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 से अलग अधिग्रहण की योजना निर्धारित की गई थी। उक्त योजना के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत पारित मध्यस्थता पुरस्कार केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती योग्य थे। इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या, जब किसी न्यायालय को अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कारों को "अलग करने" का अधिकार दिया गया था, तो क्या इस शक्ति में किसी पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति शामिल होगी।

16. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 34 का उल्लेख किया।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 1985 ["मॉडल कानून"], और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 34 मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 का शाब्दिक पुनरुत्पादन है, इसमें मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होगी। इस मामले में, चूंकि संसदीय इरादा स्पष्ट था, और उद्देश्यपूर्ण या रचनात्मक व्याख्या को लागू करने के लिए जोड़ों में कोई खेल नहीं था, इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल मध्यस्थता अधिनियम का

संशोधन ही स्थिति को सही कर सकता है अन्यथा, न्यायालय उस सामग्री को बदलने का दोषी होगा जिसमें अधिनियम बुना गया था और न कि केवल कानून में पाए गए दरारों को इस्त्री करने का दोषी होगा।

17. इसके विपरीत, वर्तमान मामला सेंट्रोट्रेड के समान है।

( ऊपर)। जैसा कि सेंट्रोट्रेड (उपरोक्त) में बताया गया है, अनुबंध के पक्षों ने, वर्तमान मामले में, एस. आई. ए. सी. नियमों और आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय से सहमत होकर, किसी भी अनिवार्य [2021] 4 एस. सी. आर. को दरकिनार नहीं किया है।

मध्यस्थता अधिनियम का प्रावधान। मध्यस्थता अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार के प्रावधान के लिए सहमत होने से रोकता है। इसके विपरीत, जब अधिनियम की विभिन्न धाराओं को ठीक से पढ़ा जाता है, जो संस्थागत नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने में पार्टी की स्वायत्तता की बात करते हैं, तो ऐसा होता है।

स्पष्ट करें कि उक्त नियम पक्षों के बीच अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए लागू होंगे, एक ऐसी स्थिति जो मध्यस्थता द्वारा निषिद्ध नहीं है अधिनियम, विशेष रूप से इसके द्वारा समर्थित है। इसलिए, यह निर्णय वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति से पूरी तरह से अलग है।

18. हालांकि, श्री साल्वे ने दृढ़ता से भरोसा करते हुए तर्क दिया

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 10 से 13,16,17,21,23,27,29ए और 30 के प्रावधान, विशेष रूप से, कि इन प्रावधानों में उल्लिखित और अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के लिए संदर्भित "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का एक पैनल, जिसे जब इन प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो इसमें केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण शामिल होता है जो न केवल अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, बल्कि जिसका गठन पक्षों के बीच किया जाता है ताकि इसी न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम और/या अंतिम निर्णय पारित किए जा सकें। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 17 (1) की भाषा के साथ धारा 9 (1) की भाषा की तुलना करते हुए, धारा 17 (1) केवल तभी लागू होगी जब कोई पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अंतरिम राहत के लिए एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण (जैसा परिभाषित किया गया है), जो संभवतः एक आपातकालीन मध्यस्थ पर लागू नहीं हो सकता है, जिसे केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उचित रूप से गठित होने से पहले ही नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 9 (1) के तहत, अदालतों द्वारा एक अंतरिम उपाय का लाभ एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, धारा 36 के अनुसार प्रवर्तन के चरण तक उठाया जा सकता है।

19. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 2 (1) (डी) में परिभाषित "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बात करता है जिसका गठन किया गया है।

पक्षकारों के बीच और जो "अधिनियम की योजना को देखते हुए" अंतरिम और अंतिम राहत दे सकते हैं, जैसा कि श्री साल्वे कहते हैं, जैसा कि उपरोक्त धाराओं में निहित है। हालाँकि, प्रत्येक अन्य परिभाषा खंड की तरह, धारा 2 (1) (डी) में निहित परिभाषा केवल तब तक लागू होती है जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो। यह देखते हुए कि धारा 2 (1) (ए) में "मध्यस्थता" की परिभाषा का अर्थ है कोई भी मध्यस्थता, चाहे वह किसी स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित हो या नहीं, जब धारा 2 (6) और 2 (8) के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंतरिम आदेश भी जो आपातकालीन मध्यस्थों द्वारा पारित किए जाते हैं।

एक स्थायी मध्यस्थ संस्था के नियमों के तहत, एक उचित पर धारा 17 (1) के पठन को इसके दायरे में शामिल किया जाए।

यह AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v के लिए महत्वपूर्ण है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एस. आई. ए. सी. नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में इसके ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है। संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या इसकी परिभाषा " धारा 2 (1) (डी) में निहित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को धारा 17 (1) को इस प्रकार संकुचित करना चाहिए, जिससे यह केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर लागू होता है जो अंतरिम या अंतिम निर्णय के माध्यम से अंतिम राहत दे सकता है।

20. धारा 17 (1) का केंद्र एक पक्ष द्वारा आवेदन है

अंतरिम राहत। धारा 17 (1) में, जब अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो मध्यस्थ संस्थानों के नियमों के अनुप्रयोग को बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिन पर पक्षकार सहमत हो सकते हैं। यह स्थिति होने के कारण, कम से कम जहां तक धारा 17 (1) का संबंध है, "मध्यस्थ न्यायाधिकरण", जब संस्थागत नियम लागू होते हैं, तो एक आपातकालीन मध्यस्थ को शामिल करेगा, धारा 17 के संदर्भ में "अन्यथा आवश्यक"-संदर्भ अंतरिम उपाय हैं जो मध्यस्थों द्वारा आदेश दिए जाते हैं। यही उद्देश्य और संदर्भ धारा 9 (3) पर भी लागू होगा जो यह स्पष्ट करता है कि अदालत एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर विचार नहीं करेगी जब तक कि अदालत को यह नहीं पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो धारा 17 के तहत प्रदान किए गए उपचार को प्रभावी नहीं बना सकती हैं। चूंकि धारा 9 (3) और धारा 17 एक योजना का हिस्सा हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 2 (1) (डी) के तहत परिभाषित "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" लागू नहीं होगा और धारा 9 (3) में उल्लिखित मध्यस्थता न्यायाधिकरण धारा 17 (1) में बताए गए "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" की तरह होगा, जिसमें, जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, संस्थागत नियमों के तहत नियुक्त एक आपातकालीन मध्यस्थ शामिल होगा।

21. हालांकि, श्री साल्वे ने फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम पर भरोसा किया।

गुरुमुख दास सलूजा, (2004) 3 एस. सी. सी. 155 और, विशेष रूप से, निम्नलिखित

परिच्छेद:

" 18. ए एंड सी अधिनियम, 1996 के तहत, पूर्ववर्ती अधिनियम के विपरीत

1940 , मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 17 द्वारा अंतरिम उपायों के बराबर आदेश देने का अधिकार है। धारा 17 के अधिनियमित होने के बावजूद, धारा 9 की आवश्यकता यह है कि धारा 17 केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अस्तित्व के दौरान ही काम करेगी।

और यह कार्यात्मक है। उस अवधि के दौरान, धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदान की गई शक्ति और धारा 9 के तहत अदालत को प्रदान की गई शक्ति कुछ हद तक ओवरलैप हो सकती है लेकिन इसलिए जहाँ तक
मध्यस्थता कार्यवाही से पहले और बाद की अवधि है

संबंधित, पक्ष को सुरक्षा के एक अंतरिम उपाय की आवश्यकता है

केवल अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।

यह निर्णय प्रत्यर्थियों के मामले को भी आगे नहीं ले जाता है क्योंकि इस मामले में निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय को परिभाषित "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" द्वारा कहा जा सकता है, और इसमें इस बात का कोई संदर्भ नहीं है कि कोई पक्ष धारा 9 के तहत अदालत से कब संपर्क कर सकता है।

22. श्री साल्वे ने तब तर्क दिया कि किसी भी मामले में, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता, एफ. सी. पी. एल. की धारा 25.2 में निहित है।

शेयरधारकों का समझौता (एफ. आर. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 15.2 के साथ समान सामग्री), यह स्पष्ट करता है कि एस. आई. ए. सी. नियम भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अधीन होंगे, और इस तरह के विषय होने के कारण, एस. आई. ए. सी. के तहत एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को नियंत्रित करने वाले प्रावधान।

दोनों पक्षों के बीच नियम लागू नहीं होंगे। एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 25.1 और 25.2 (एफ. आर. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 15.1 और 15.2 के साथ समान सामग्री) निम्नानुसार हैः

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा। धारा 25.2 (विवाद समाधान) के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के पास होगा - किसी भी मामले या विवाद पर अनन्य अधिकार क्षेत्र (इसके बाद)

25.2. 1 . मध्यस्थता दोनों पक्षों के बीच या उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद, विवाद, दावा या असहमति।

इस समझौते या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अयोग्यता (जिसे इसके बाद "विवाद" के रूप में संदर्भित किया गया है) से उत्पन्न होने वाले, बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान में विफल होने पर, विवाद में राशि की परवाह किए बिना मध्यस्थता द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा या क्या इस तरह के विवाद को अन्यथा किसी भी अदालत द्वारा उचित या समाधान के लिए उपयुक्त माना जाएगा। पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे

सद्भावना परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगा, किसी भी पक्ष के बीच ऐसा कोई भी विवाद और ऐसा परामर्श एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह के परामर्श के लिए एक लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू करें। यदि विवाद 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर बातचीत के माध्यम से या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी अलग अवधि के माध्यम से हल नहीं किया जाता है, तो इस तरह के विवाद को मध्यस्थता

AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ("एस. आई. ए. सी".) और ऐसे नियम ("नियम") जिन्हें इस धारा 25 (शासी कानून और विवाद समाधान) के प्रावधानों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह समझौता और पार्टियों के अधिकार और दायित्व इस तरह के मध्यस्थता में निर्णय के लंबित रहने तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे, बशर्ते कि कौन सा निर्णय, यदि उचित हो, यह निर्धारित करेगा कि क्या और कब कोई निर्णय लिया गया है। समाप्ति
प्रभावी हो जाएगी। "

जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं, यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अधिनियम की धारा 17 (1) आपातकालीन मध्यस्थ के आदेशों को बाहर कर देगी। यह मामला है, भले ही एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों की धारा 25.2

समझौता (एफ. आर. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 15.2 के साथ समान सामग्री) एस. आई. ए. सी. नियमों को मध्यस्थता अधिनियम के अधीन बनाता है, उक्त अधिनियम, ठीक से समझाया गया है, जिसमें एक आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार/आदेश शामिल होंगे, जब अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है तो एस. आई. ए. सी. नियमों में कुछ भी असंगत नहीं होता है।

23. इसके अलावा, श्री ननकानी का यह तर्क कि एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 25.2 में निहित मध्यस्थता समझौता, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है, यह इंगित करेगा कि एस. आई. ए. सी. नियम केवल सहमत थे।

जहाँ तक केवल मध्यस्थता का संबंध है, वह पूरी तरह से गलत है। एस. आई. ए. सी. नियमों का नियम 1.3 इंगित करता है कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का पुरस्कार इन नियमों के दायरे में शामिल है, और यह कि एक आपात स्थिति मध्यस्थ, जैसा कि परिभाषित किया गया है, का अर्थ है अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि

" एफ. सी. पी. एल. शेयरधारकों के समझौते की धारा 25.2 में उल्लिखित मध्यस्थता में एस. आई. ए. सी. नियमों के अनुसार नियुक्त एक मध्यस्थ शामिल होगा, जिसमें बदले में एक आपातकालीन मध्यस्थ शामिल होगा।

24. एस. आई. ए. सी. नियम, जिनके बारे में हम तुरंत चिंतित हैं,

एक आपातकालीन मध्यस्थ की अवधारणा से निम्नानुसार निपटें:

" नियम 1: अनुप्रयोग और व्याख्या का दायरा

* * *

1.3 इन नियमों में -

" पुरस्कार में आंशिक, अंतरिम या अंतिम पुरस्कार और एक पुरस्कार शामिल है।

एक आपातकालीन मध्यस्थ का;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आपातकालीन मध्यस्थ का अर्थ है अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ; " नियम 30: अंतरिम और आपातकालीन राहत

30.1 . न्यायाधिकरण, किसी पक्ष के अनुरोध पर, निषेधाज्ञा या कोई अन्य अंतरिम राहत प्रदान करने वाला आदेश या पुरस्कार जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझता है। न्यायाधिकरण अंतरिम राहत का अनुरोध करने वाले पक्ष को मांगी गई राहत के संबंध में उचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। 30.2 . एक पक्ष जो न्यायाधिकरण के गठन से पहले आपातकालीन अंतरिम राहत की मांग करना चाहता है, वह अनुसूची 1 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसी राहत के लिए आवेदन कर सकता है।

30.3 . न्यायाधिकरण के गठन से पहले या उसके बाद की असाधारण परिस्थितियों में किसी न्यायिक प्राधिकरण को किसी पक्ष द्वारा अंतरिम राहत के लिए किया गया अनुरोध इन नियमों के साथ असंगत नहीं है। " अनुसूची 1 आपातकालीन सहायक

1. एक पक्ष जो आपातकालीन अंतरिम राहत की मांग करना चाहता है, वह मध्यस्थता की सूचना दाखिल करने के साथ या उसके बाद, लेकिन न्यायाधिकरण के गठन से पहले, पंजीयक के साथ आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है। पार्टी, उसी समय जब वह आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए आवेदन दायर करेगी, आवेदन की एक प्रति अन्य सभी पक्षों को भेजेगी। आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए आवेदन में शामिल होंगे:

मांगी गई राहत की प्रकृति;

ए।

बी।

पार्टी इस तरह की राहत का हकदार क्यों है; और एक बयान जो प्रमाणित करता है कि अन्य सभी पक्षों ने

सी।

आवेदन की एक प्रति प्रदान की गई है या, यदि नहीं, तो एक प्रदान करने के लिए सद्भावना से उठाए गए कदमों का स्पष्टीकरण

अन्य सभी पक्षों को प्रतिलिपि या अधिसूचना।

***

3. राष्ट्रपति, यदि वह यह निर्धारित करता है कि एस. आई. ए. सी. को आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए आवेदन स्वीकार करना चाहिए, तो ऐसे आवेदन की पंजीयक द्वारा प्राप्ति और प्रशासनिक शुल्क और जमा के भुगतान के एक दिन के भीतर एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रयास करेगा।

4. यदि पक्षकार मध्यस्थता के स्थान पर सहमत हो गए हैं, तो ऐसा स्थान आपातकालीन अंतरिम कार्यवाही का स्थान होगा। राहत मिलती है। इस तरह के समझौते में विफल होने पर, नियम 21.1 के तहत मध्यस्थता के स्थान के न्यायाधिकरण के निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातकालीन अंतरिम राहत के लिए कार्यवाही का स्थान सिंगापुर होगा।

आपात मध्यस्थ की नियुक्ति के पक्षकारों के लिए पंजीयक द्वारा और प्रकट की गई परिस्थितियाँ। 6. एक आपातकालीन मध्यस्थ विवाद से संबंधित किसी भी भविष्य के मध्यस्थता में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

8. आपातकालीन मध्यस्थ के पास किसी भी अंतरिम राहत का आदेश देने या प्रदान करने की शक्ति होगी जिसे वह आवश्यक समझता है, जिसमें शामिल हैं -

प्रारंभिक आदेश जो किसी भी सुनवाई, टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस या पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के लंबित रहने तक किए जा सकते हैं। आपातकालीन मध्यस्थ अपने निर्णय के संक्षिप्त कारण लिखित रूप में देगा। आपातकालीन मध्यस्थ संशोधित कर सकता है या प्रारंभिक आदेश, अंतरिम आदेश या अच्छे कारण के लिए पुरस्कार को खाली कर दें।

9. आपातकालीन मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर अपना अंतरिम आदेश या पुरस्कार देगा, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में, पंजीयक समय नहीं बढ़ाता। आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा कोई अंतरिम आदेश या पुरस्कार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसे पंजीयक द्वारा इसके प्रपत्र के रूप में अनुमोदित नहीं किया जाता है।

10. न्यायाधिकरण के गठन के बाद आपातकालीन मध्यस्थ के पास कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होगी। न्यायाधिकरण पुनर्विचार कर सकता है, संशोधन कर सकता है

या आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा जारी किसी भी अंतरिम आदेश या पुरस्कार को खाली कर दें, जिसमें उसके अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय भी शामिल है। न्यायाधिकरण आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए कारणों से बाध्य नहीं है। आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा जारी कोई भी अंतरिम आदेश या पुरस्कार, किसी भी स्थिति में, बाध्यकारी नहीं रहेगा यदि न्यायाधिकरण [2021] 4 एस. सी. आर. नहीं है।

इस तरह के आदेश या पुरस्कार के 90 दिनों के भीतर या जब न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय देता है या यदि दावा वापस ले लिया जाता है।

***

12. पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुसूची 1 के अनुसार एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा एक आदेश या पुरस्कार दिए जाने की तारीख से पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा, और अंतरिम आदेश या पुरस्कार को तुरंत और बिना किसी देरी के पूरा करने का कार्य करेगा। पक्षकार किसी भी राज्य न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की अपील, समीक्षा या सहारा लेने के अपने अधिकारों को भी अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर देते हैं, जहां तक कि इस तरह की छूट वैध रूप से दी जा सकती है।

25. उपरोक्त नियमों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि नियमों के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले भी, जिसे "आपातकालीन मध्यस्थ" कहा जाता है, उसे तत्काल अंतरिम राहत दी जा सकती है। अ.

" आपातकालीन मध्यस्थ "को इन नियमों के नियम 1.3 द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ। अनुसूची 1 के पैराग्राफ 7 के तहत, आपातकालीन मध्यस्थ के पास एस. आई. ए. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित सभी शक्तियां हैं, जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार भी शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के तहत, आपातकालीन मध्यस्थ के पास ऐसी अंतरिम राहत का आदेश देने की शक्ति होगी जिसे वह आवश्यक समझता है, और अपने निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण लिखित रूप में देता है। पैराग्राफ 9 के तहत, अंतरिम आदेश उनकी नियुक्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाना है, जब तक कि समय नहीं बढ़ाया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, एक बार पैराग्राफ 10 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, न्यायाधिकरण ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार, संशोधन या खाली कर सकता है। आपातकाल द्वारा जारी ऐसा अंतरिम आदेश या पुरस्कार मध्यस्थ पक्षकारों को तब तक बाध्य करता रहेगा जब तक कि इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित या खाली नहीं किया जाता है, एक बार इसका गठन होने के बाद, जब तक कि न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय नहीं देता है या जब तक दावा वापस नहीं लिया जाता है। अनुसूची 1 के पैराग्राफ 10 में यह भी प्रावधान है कि आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई भी अंतरिम आदेश या पुरस्कार केवल तभी बाध्यकारी नहीं रहेगा जब ऐसे आदेश या पुरस्कार के 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया जाता है। पैराग्राफ 12 के तहत, पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस तरह के आदेश पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे।

अंतरिम आदेश को तुरंत और बिना किसी देरी के पूरा करने का वचन दिया।

26. निस्संदेह, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक आपातकालीन मध्यस्थ के आदेशों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) में निम्नानुसार:

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" धारा 2 का संशोधन

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 में,

( i) उप-धारा (1) में, खंड (घ), शब्दों के बाद। मध्यस्थ "जोड़ते हैं" और, इसके तहत आयोजित मध्यस्थता के मामले में

एक की नियुक्ति के लिए प्रदान करने वाले संस्थान के नियम

आपातकालीन मध्यस्थ, ऐसे आपातकालीन मध्यस्थ को शामिल करता है;

[ नोटः यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एस. आई. ए. सी. मध्यस्थता नियम जैसे संस्थागत नियम जो आपात स्थिति का प्रावधान करते हैं। मध्यस्थ को भारत में वैधानिक मान्यता दी जाती है।] ”

27. जैसा कि एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और ओआरएस में आयोजित किया गया है। वी.

सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड, (2021) 4 एस. सी. सी. 713, केवल एक विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश का संसद में पालन नहीं किया जाता है, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि क्या

विधि आयोग द्वारा सुझाए गए कानून का हिस्सा नहीं हो सकता है

ई के रूप में ठीक से व्याख्या की। इस न्यायालय ने कहा:

" 27. श्री सौरभ कृपाल ने न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले पर आपत्ति जताई कि न्यायमूर्ति सीकरी ने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के पैरा 52 और उसके बाद के परिणाम का उल्लेख नहीं किया। 246 वें विधि आयोग का पैरा 52

रिपोर्ट इस प्रकार है:

" 52. आयोग का मानना है कि यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है

पूरा विवाद शांत हो जाता है और धोखाधड़ी के मुद्दों को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता योग्य बनाता है और इस उद्देश्य के लिए धारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है

16. ”

विधि आयोग ने तब संशोधन के माध्यम से जोड़ा कि

प्रस्तावित धारा 16 (7) निम्नानुसार है:

" धारा 16 का संशोधन

10. धारा 16 में,

उप-धारा (6) के बाद, उप-धारा अंत:स्थापित करें "(7) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय देने या निर्णय देने की शक्ति होगी। इस बात के बावजूद कि इसके समक्ष विवाद में एक

कानून का गंभीर सवाल, तथ्य के जटिल सवाल या

धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के आरोप "।

[ ध्यान दें: यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आलोक में प्रस्तावित किया गया है (उदाहरण के लिए एन. राधाकृष्णन बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंजीनियर [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72: ( 2010 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12]) जो धोखाधड़ी आदि के मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति के एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अस्वीकार करता प्रतीत होता है।

28. श्री सौरभ कृपाल ने तब इस तथ्य का उल्लेख किया कि 2015 तक संसद द्वारा उपरोक्त उप-धारा को शामिल नहीं किया गया था।

संशोधन अधिनियम, जिसमें काफी हद तक विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अन्य संशोधन शामिल किए गए थे। इसलिए उनका तर्क था कि एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद। इंजीनियरों, (2010) 1 एस. सी. सी. 72] को विधायी रूप से खारिज नहीं किया गया है, अब किसी भी तरह से इसके पूर्ववर्ती मूल्य से वंचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संसद ने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित धारा 16 (7) पर ध्यान दिया है और स्पष्ट रूप से इसे लागू नहीं करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के लिए, उन्होंने ला पिंटाडा [भारत के राष्ट्रपति बनाम। ला पिंटाडा कम्पानिया

नेविगेशियन एसए, 1985 एसी 104: ( 1984 ) 3 डब्ल्यूएलआर 10 (एचएल)]। यह निर्णय चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले पुरस्कार को चुनौती देने से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामले में जहां ऋण का भुगतान देर से किया जाता है, लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू होने से पहले।

राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। मेस्ट्रो इंजीनियर्स, (2010) 1 एस. सी. सी. 72] को विधायी रूप से खारिज नहीं किया गया है, अब इसे किसी भी तरह से इसके पूर्ववर्ती मूल्य से वंचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संसद ने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित धारा 16 (7) पर ध्यान दिया है और स्पष्ट रूप से इसे लागू नहीं करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के लिए, उन्होंने ला पिंटाडा (सुप्रा) का उल्लेख किया। यह निर्णय एक पुरस्कार प्रदान करने को चुनौती देने से संबंधित है। चक्रवृद्धि ब्याज, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामले में जहां ऋण का भुगतान देर से किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि इसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू हो।

29. ओकब्रुक के लॉर्ड ब्रैंडन, जिन्होंने इस मामले में मुख्य निर्णय लिखा था, ने कहाः ( ला पिंटाडा मामला [भारत के राष्ट्रपति बनाम। ला पिंटाडा कम्पानिया नेविगेशियन एसए, 1985 एसी 104: ( 1984 ) 3 डब्ल्यूएलआर 10 (एचएल)], एसी पी। 122 )

" ऐसे तीन मामले हैं जिनमें AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. के देर से भुगतान के कारण होने वाले नुकसान या नुकसान के लिए किसी भी सामान्य कानूनी उपचार का अभाव है।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक ऋण उत्पन्न हो सकता है, जिन मामलों का मैं निम्नलिखित में वर्णन करूँगा

सुविधा के लिए केस 1, केस 2 और केस 3। मामला 1 वह है जहाँ ऋण की वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू होने से पहले देर से भुगतान किया जाता है। मामला 2 वह है जहाँ ऋण का भुगतान देर से किया जाता है, इसकी वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने के बाद, लेकिन उनके समाप्त होने से पहले। मामला 3 वह है जहाँ कोई ऋण तब तक भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि उसकी वसूली के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती है।

एक निष्कर्ष पर लाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है, एक धन निर्णय दिया जाता है जिसमें मूल ऋण का विलय हो जाता है।

***

" 32. एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम] के अनुपात को पुनर्जीवित करने के लिए इस मामले को लागू करना थोड़ा मुश्किल है। उस्ताद इंजीनियर, ( 2010 ) 1 एस. सी. सी. 72] एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में एन. राधाकृष्णन के निर्णय के बाद से इस न्यायालय द्वारा कानून में की गई प्रगति को देखते हुए।

उपरोक्त पैरा 17 से 21 में हमारे द्वारा जो कहा गया है, उसके अलावा, कि कैसे एन. राधाकृष्णन को उक्त पैरा में दिए गए कारणों के लिए एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं माना जा सकता है, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा कानून के विकास को केवल एक निश्चित प्रावधान के कारण विफल नहीं किया जा सकता है।

विधि आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है

संसद। संसद ने महसूस किया होगा, जैसा कि लॉर्ड रीड ने ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम में उल्लेख किया था। हैरिंगटन [ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम। हैरिंगटन, 1972 एसी 877: 1972 2 डब्ल्यू. एल. आर. 537 (एच. एल.)], कि वह अपना मन बनाने में असमर्थ था और इसके बजाय, इसे अदालतों पर छोड़ देता है कि वे मामले दर मामले, यह तय करना जारी रखें कि क्या करना चाहिए।

धोखाधड़ी अपवाद का गठन करता है। [ ला पिंटाडा, 1985 एसी 104 में लॉर्ड ब्रैंडन के फैसले में इस मामले का उल्लेख किया गया है: ( 1984 ) 3 डब्ल्यूएलआर 10 (एचएल) और एसी पी में प्रतिष्ठित। 130 उसके निर्णय के बारे में।] संसद ने यह भी सोचा होगा कि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित धारा 16 (7) बेढंगे शब्दों में लिखी गई है क्योंकि यह "कानून का एक गंभीर प्रश्न, तथ्य के जटिल प्रश्न, या धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के आरोपों" की बात करती है। एन. राधाकृष्णन ने यह नहीं कहा कि कानून के गंभीर प्रश्न या तथ्य के जटिल प्रश्न गैर-मध्यस्थ हैं। इसके अलावा, "धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के आरोप" अस्पष्ट हैं। इस कारण से भी, संसद ने इसे इस पर छोड़ दिया होगा

धोखाधड़ी अपवाद पर काम करने के लिए अदालतें। किसी भी मामले में, हम

इंगित किया कि एन. राधाकृष्णन में अनुपात, 1940 के तहत एक निर्णय पर आधारित होने के कारण, इस तरह के किसी भी प्रावधान को अस्वीकार करता है। अधिनियम, और 1996 अधिनियम [2021] की धारा 5,8 और 16 पर विचार किए बिना 4 एस. सी. आर.

अपने उचित परिप्रेक्षय में, सभी यह दिखाएंगे कि कानून निर्धारित किया गया है इस मामले में अब मध्यस्थता कार्यवाही को नकारने के लिए धोखाधड़ी मंत्र के अनुप्रयोग के लिए एक मिसाल के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इस फैसले में दिए गए कारणों के कारण, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि एन. राधाकृष्णन से निपटा गया है।

न्यायिक पक्ष में और वांछित पाया गया है "।

28. यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करने और 2015 के संशोधन अधिनियम के बाद मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करने के लिए न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने 30 जुलाई, 2017 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह निम्नानुसार कहा गया है:

" 16. आपातकालीन पुरस्कारों का प्रवर्तन

आपात स्थिति को शामिल करने के लिए ए. सी. ए. की धारा 2 (डी) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थ। हालांकि, इस सिफारिश को शामिल नहीं किया गया था

2015 का संशोधन अधिनियम।

भारत में मध्यस्थता के लिए आपातकालीन निर्णयों को लागू करने के लिए संभवतः ए. सी. ए. की धारा 17 (2) पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन रैफल्स डिजाइन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. एडुकॉम्प प्रोफेशनल एजुकेशन लिमिटेड और अन्य। , ( 2016 ) 234 डी. एल. टी. 349 ने माना कि भारत के बाहर स्थित मध्यस्थता में एक आपातकालीन निर्णय भारत में लागू करने योग्य नहीं है।

भारत का दृष्टिकोण विकसित मध्यस्थता से अलग है।

सिंगापुर और हांगकांग जैसे क्षेत्राधिकार जिनके पास है

आपातकाल द्वारा दिए गए आदेशों की प्रवर्तनीयता को मान्यता दी गई

मध्यस्थ। सिंगापुर ने 2012 में आई. ए. ए. को व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया।

आपातकालीन मध्यस्थों को शामिल करने के लिए धारा 2 (1) में 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' की परिभाषा। हांगकांग ने 2013 में भाग 3ए को शामिल करने के लिए एओ में संशोधन किया जो आपातकालीन राहत के प्रवर्तन से संबंधित है। धारा 22बी आपात स्थिति द्वारा दी गई आपातकालीन राहत प्रदान करती है। उच्च न्यायालय के

प्रथम दृष्टांत न्यायालय की अनुमति से मध्यस्थ उसी तरीके से प्रवर्तनीय होगा जैसे न्यायालय का आदेश या निर्देश।

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थ (डेनिस नोलन और रोजर अब्राम्स देखें, 'मध्यस्थ प्रतिरक्षा ', बर्कले जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ,

खण्ड. 11 अंक 2 (1989), पृ. 228-266 ) . इस उद्देश्य के लिए,

एल. सी. आई. द्वारा अपनी 246 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश इस प्रकार हो सकती है - अपनाया गया "।

29. रैफल्स डिजाइन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. एडुकॉम्प व्यावसायिक शिक्षा

लिमिटेड, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5521: ( 2016 ) 234 डी. एल. टी. 349 ने भारत के बाहर बैठे एक मध्यस्थता में एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा एक निर्णय से निपटा (जैसा कि श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था)। किस बात का है?

महत्व यह है कि उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्थित मध्यस्थताओं के लिए आपातकालीन पुरस्कारों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 17 (2) की व्याख्या करना संभव है, और सिफारिश की गई है कि अधिनियम में केवल इसलिए संशोधन किया जाए ताकि यह आपातकालीन पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप हो।

30. यह ध्यान देने योग्य है कि 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में भी धारा 9 (2) और 9 (3) को निम्नानुसार शामिल करने की सिफारिश की गई है:

" धारा 9 का संशोधन

( i) इन शब्दों से पहले कि "एक पक्ष उप-खंड जोड़ सकता है" (1) " ( (ii) "उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही" शब्दों के बाद उप-धारा जोड़ें (2) जहां, मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष, कोई न्यायालय कोई भी अनुमति देता है।

उप-धारा (1) के तहत संरक्षण का अंतरिम उपाय, मध्यस्थता कार्यवाही ऐसे अनुदान की तारीख से 60 दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा इंगित किए गए इतने कम या आगे के समय के भीतर शुरू की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर संरक्षण का अंतरिम उपाय शुरू किया जाएगा।

काम करना बंद कर दें।

[ नोट: यह संशोधन समय पर आरंभ करना सुनिश्चित करने के लिए है एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही जिसे अंतरिम अनुमति दी गई है

सुरक्षा का उपाय] [2021] 4 एस. सी. आर.

धारा 17 के तहत उपचार प्रभावी नहीं है। [ नोटः यह संशोधन मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद अंतरिम उपायों के अनुदान के संबंध में न्यायालय की भूमिका को कम करने का प्रयास करता है। आखिरकार, एक बार जब न्यायाधिकरण मामले को अपने हाथ में ले लेता है तो न्यायाधिकरण के लिए सभी अंतरिम आवेदनों की सुनवाई करना सबसे उपयुक्त होता है। यह भी UNCITRAL की भावना प्रतीत होती है।

2006 में संशोधित आदर्श कानून।

तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ प्रदान करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया गया है जो एक न्यायालय को धारा के तहत मिलेंगी।

9 ] "

31. इसलिए, 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 9 में उप-धारा (2) और (3) पेश की, जो इस प्रकार हैः

" 9. न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय आदि।

***

( 2 ) जहाँ, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, कोई न्यायालय संरक्षण के किसी भी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है।

उप-धारा (1) के तहत, मध्यस्थता कार्यवाही ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर शुरू की जाएगी या

ऐसे आगे के समय के भीतर जो अदालत निर्धारित करे। ( 3 ) एक बार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद, अदालत उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि अदालत को यह पता न चले कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उपचार प्रदान नहीं कर सकती हैं।

धारा 17 प्रभावी के तहत प्रदान किया गया।

32. संक्षेप में, एस. आई. ए. सी. नियमों और अन्य द्वारा क्या प्रदान किया गया है

9 ( 2 ) और 9 (3) से पता चलता है कि इसका उद्देश्य अदालतों को धारा 9 की याचिकाओं से भर जाने से रोकना था, जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन दो अच्छे कारणों से किया जाता है-(i) कि बाधित अदालत प्रणाली को भीड़भाड़ से मुक्ति, और (ii) एक बार गठित होने के बाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण समय पर और प्रभावी तरीके से अंतरिम राहत देने में सक्षम होगा।

33. इसी तरह, 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी

धारा 17 का संशोधन इस प्रकार है:

" धारा 17 का संशोधन

11. धारा 17 में

* * *

( vi) उप-धारा (1) में, उप-खंड "(घ)" के बाद, उप-खंड डालें।

" ( ई) संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय जो प्रतीत हो

मध्यस्थ न्यायाधिकरण न्यायसंगत और सुविधाजनक होना चाहिए, और मध्यस्थ

न्यायाधिकरण के पास आदेश देने की उतनी ही शक्ति होगी जितनी न्यायालय के पास है।

इससे पहले की किसी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है

यह।" [ नोट: यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण को समान शक्तियां प्रदान करने के लिए है।

अंतरिम उपायों के अनुदान के संबंध में एक दीवानी न्यायालय के रूप में। जब इस प्रावधान को धारा 9 (2) के साथ पढ़ा जाता है, तो पक्षकार

चूककर्ता को अंतरिम के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए मजबूर किया जाए

न्यायाधिकरण के गठन के बाद राहत। मध्यस्थ न्यायाधिकरण

पुरस्कार के बाद भी अंतरिम राहत देने की शक्तियां बनी रहेंगी। इस व्यवस्था से न्यायालयों पर बोझ कम होगा। इसके अलावा यह

2006 में संशोधित कानून।] ( vii) उप-धारा (2) में शब्दों को हटा दें और "(2) धारा 37 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन, जारी किया गया कोई भी आदेश" शब्द जोड़ें।

इस धारा के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा एक माना जाएगा

सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय का आदेश और इसके तहत प्रवर्तनीय होगा

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उसी तरीके से जैसे कि यह

यह अदालत का आदेश था।

[ नोटः यह अंतरिम के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए है।

उपाय जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित किए जा सकते हैं।] "

34. धारा 17 को उसी 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

एन. डी. एम. टी. अधिनियम (जिसने धारा 17 के स्थान पर उप-धारा (2) और (3) लाई ताकि धारा 17 (1) धारा 9 (1) की दर्पण छवि बने, जिससे यह स्पष्ट हो कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण पूरी तरह से अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए अदालत के समान शक्ति से लैस है। इसके अलावा, अनुभाग

जोड़ा गया था ताकि ऐसे आदेशों की प्रवर्तनीयता का प्रावधान किया जा सके, फिर से,

हे एक अदालत द्वारा पारित आदेश थे, जिससे धारा 17 लाई गई

धारा 9.

35. एक आपातकालीन मध्यस्थ का "पुरस्कार", अर्थात, आदेश, निस्संदेह एक ऐसा आदेश होगा जो इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, अर्थात, अदालत प्रणाली में भीड़ को कम करने और पक्षकारों को ऐसे मामलों में तत्काल अंतरिम राहत देने के लिए जो इस तरह की राहत के योग्य हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि अधिनियम द्वारा पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान किया जाता है और अन्यथा आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है इसके ऊपर, यह स्पष्ट है कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश, जो है

ठीक उसी तरह जैसे एक बार उचित रूप से गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश में पक्षकारों को सुना जाना चाहिए और कारण दिए जाने चाहिए, वे उन संस्थागत नियमों के अंतर्गत आते हैं जिन पर पक्षकार सहमत हुए हैं, और परिणामस्वरूप धारा 17 (1) द्वारा कवर किया जाएगा, जब अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

36. किसी पक्ष को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह आपातकालीन पुरस्कार कार्यवाही में भाग लेने के बाद, उस संबंध में बनाए गए संस्थागत नियमों पर सहमत हो गया है, कि उसके बाद वह आपातकालीन मध्यस्थ के फैसले से बाध्य नहीं होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 12 पर सहमत होने के बाद, यह किसी पक्ष के मुंह में नहीं हो सकता है कि वह आपातकालीन मध्यस्थ के फैसले को यह कहकर नजरअंदाज करे कि यह है एक शून्य जब ऐसा पक्ष स्पष्ट रूप से इस तरह के पुरस्कार की बाध्यकारी प्रकृति के लिए सहमत होता है और आगे उक्त अंतरिम आदेश को तुरंत और बिना देरी के पूरा करने का उपक्रम करता है।

37. हालांकि, श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत एक आपातकालीन मध्यस्थ एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय नहीं है।

उसी नियम के तहत गठित एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, और इस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए नियम 3,9 और 10 का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया। नियम 3 में केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है यदि वह

यह निर्धारित करता है कि एस. आई. ए. सी. को आपातकाल के लिए आवेदन स्वीकार करना चाहिए

अंतरिम राहत। एक बार जब आपातकालीन मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश करता है, तो उसे नियम 7 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां दी जाती हैं और उसे एस. आई. ए. सी. नियमों के तहत किसी भी अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होता है। समान रूप से, नियम 9 किसी भी तरह से बाधक नहीं है।

आपातकालीन मध्यस्थ की स्वतंत्रता पर क्योंकि यह केवल उस समय सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर एक अंतरिम आदेश या पुरस्कार दिया जाना है, जो समय पंजीयक द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा अंत में दिए गए अंतरिम आदेश या पुरस्कार को केवल पंजीयक द्वारा इसके "प्रपत्र" के रूप में अनुमोदित किया जाना है न कि गुण-दोष के आधार पर। इसके अलावा, नियम 10 किसी भी तरह से आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाता है।

38. श्री विश्वनाथन ने भी सेक्शन पर भरोसा करते हुए बहस की।

28 अनुबंध अधिनियम, न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता और सुलह का कानून (छठा संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस), और इन री फ्रैंकलिन और स्वाथलिंग के मध्यस्थता का चांसरी डिवीजन निर्णय, [1929] 1 च। 238 , इस प्रस्ताव के लिए कि मध्यस्थता, वैचारिक रूप से, दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का निष्कासन है और इसलिए, केवल उसी का पालन किया जा सकता है जो निष्कासन प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है-यहाँ किसी भी निहितार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। इस तर्क को अदालत का समर्थन मिल सकता है यदि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 से संबंधित था। जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अतीत के साथ एक पूर्ण विराम है और अब इसे एक निष्कासन क़ानून के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे क़ानून के रूप में देखा जाना चाहिए जो मध्यस्थता के उपचार का समर्थन करता है ताकि आज के परिवेश में अत्यधिक बोझ वाले दीवानी न्यायालयों को बंद किया जा सके। वास्तव में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 का भुगतान किया जाता है

प्रस्तुत करना जब वह कुछ समय के लिए लागू अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करता है और यह कहता है कि अधिनियम के भाग I द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया हो। इसलिए, जब मध्यस्थता की बात आती है तो मध्यस्थता अधिनियम नागरिक विवादों को हल करने के एक पसंदीदा साधन के रूप में निष्कासन के सिद्धांत को बदल देता है। इसलिए इस तर्क को भी खारिज किया जाता है।

39. अन्यथा भी, जैसा कि श्री सुब्रमण्यम ने सही बताया है, किसी भी आदेश के माथे पर अयोग्यता की मुहर नहीं होती है और इसे नियमित अदालती कार्यवाही में अवैध होने के रूप में दरकिनार करना पड़ता है। यह कई निर्णयों में सम्मानपूर्वक कहा गया है-कृष्णदेवी मालचंद देखें।

कामथिया बनाम। बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप, (2011) 3 एससीसी

363 ( पैराग्राफ 16 से 19), और अनीता इंटरनेशनल v. तुंगाबादरा शुगर वर्क्स मजदूर संघ, (2016) 9 एस. सी. सी. 44 (पैराग्राफ 54 और 55 पर)। वास्तव में, तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम। हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, (1997) 3 एस. सी. सी. 443, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही किसी आदेश को बाद में अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया हो, उसके अस्तित्व की अवधि के लिए, यह एक ऐसा आदेश है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा:

" 15. ध्यान देने वाली अगली बात यह है कि इस अवधि के दौरान सिविल कोर्ट द्वारा कुछ अंतरिम आदेश मांगे गए थे और दिए गए थे। क्या यह कहना सही होगा कि उल्लंघन और अवज्ञा

निषेधाज्ञा के उक्त आदेश दंडनीय नहीं हैं क्योंकि बाद में यह पाया गया है कि दीवानी न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। श्री सोराबजी सुझाव देते हैं कि ऐसा कहना विध्वंसक [2021] 4 एस. सी. आर. होगा।

कानून के शासन का और गंभीरता से महिमा को नष्ट कर देगा और

न्यायालयों की गरिमा। विद्वान वकील का सुझाव है कि इसका मतलब यह होगा कि यह प्रतिवादी-उत्तरदाताओं के लिए खुला होगा कि वे खुद तय करें कि आदेश अधिकार क्षेत्र के साथ था या उसके बिना।

और उस विश्वास पर कार्य करें। विद्वान वकील कहते हैं, "ऐसा कभी नहीं हो सकता।" उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि कोई पक्ष सोचता है कि सिविल कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है या इसके विपरीत है कानून, उसके लिए उपयुक्त रास्ता यह है कि वह उस याचिका के साथ उस अदालत से संपर्क करे और आदेश को खाली करने के लिए कहे। लेकिन यह खुला नहीं है

वह यह मानते हुए उक्त आदेश का उल्लंघन करे कि आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। श्री सोराबजी कहते हैं कि यह वह सिद्धांत है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9-ए (1977 के महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम संख्या 65 द्वारा अंत:स्थापित) में मान्यता दी गई है और शामिल किया गया है।

धारा 9-ए इस प्रकार है:

" 9 - ए. जहाँ संबंधित आवेदन की सुनवाई में

मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए, अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति ली जाती है, इस तरह के मुद्दे का निर्णय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में किया जाता है। ( 1 ) इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि कोई अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने के लिए किसी आवेदन की सुनवाई के समय, चाहे वह स्थगन निषेधाज्ञा के माध्यम से हो, प्राप्तकर्ता की नियुक्ति हो या अन्यथा,

किसी भी वाद में किए गए, ऐसे वाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता पर आपत्ति मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा ली जाती है, न्यायालय अंतरिम राहत देने वाले आदेश को देने या रद्द करने से पहले ऐसे आवेदन की सुनवाई में प्रारंभिक मुद्दे के रूप में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसे किसी भी आवेदन की सुनवाई अदालत द्वारा जितनी जल्दी हो सके की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा और किसी भी मामले में मुकदमे की सुनवाई के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।

( 2 ) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में ऐसा अनुदान दे सकता है -

अंतरिम राहत जो वह आवश्यक समझे, उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र के रूप में प्रारंभिक मुद्दे के निर्धारण के लिए लंबित है।

16. इस धारा के अनुसार, यदि अंतरिम राहत देने या खाली करने के लिए किसी आवेदन की सुनवाई में अदालत की अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो अदालत को पहले से दी गई राहत देने या उसे दरकिनार करने से पहले उस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित करना चाहिए।

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. बढ़ाने वाला आवेदन। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति को सुनने का निर्देश दिया जाता है

सभी अभियानों के साथ। हालांकि, उप-नियम (2) में कहा गया है कि उप-नियम (1) में आदेश अदालत को ऐसी अंतरिम राहत देने से नहीं रोकता है जो वह निर्णय के लंबित रहने तक आवश्यक समझता है।

अधिकारिता के प्रश्न पर। हमारी राय में, प्रावधान केवल स्पष्ट बताता है। यह स्पष्ट करता है कि कानून में क्या निहित है। सिर्फ इसलिए कि अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई जाती है, न्यायालय तुरंत असहाय नहीं हो जाता है-न ही वह अंतरिम राहत देने में अक्षम हो जाता है। यह हो सकता है। साथ ही, उसे अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति पर भी जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। यही सामान्य सिद्धांत है और यही धारा 9-ए दोहराती है। इसी मामले को लीजिए। वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। एक विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। फिर प्रतिवादी निषेधाज्ञा देने पर आपत्ति जताते हुए आगे आए और अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी आपत्ति जताई। अदालत ने अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति को खारिज कर दिया और अंतरिम निषेधाज्ञा को पूर्ण बना दिया। प्रतिवादियों ने अधिकार क्षेत्र के सवाल पर फैसले के खिलाफ अपील दायर की। जबकि वह अपील लंबित थी, सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा कई अन्य अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। अंततः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि दीवानी न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, लेकिन इस सब में लगभग छह साल लग गए। क्या यह कहा जा सकता है कि छह वर्षों की इस अवधि के दौरान दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी गैर-कानूनी थे और प्रतिवादियों के लिए किसी भी परिणाम के डर के बिना उनका आनंदपूर्वक उल्लंघन करने के लिए खुला है। मान लीजिए, यह तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि अधिकार क्षेत्र के सवाल पर उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता। सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय के उक्त फैसले का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अंतरिम/अंतर्वर्ती आदेशों का उल्लंघन करने या उनकी अवज्ञा करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जब वे लागू थे, यानी अधिकार क्षेत्र के सवाल पर उच्च न्यायालय के फैसले से पहले किए गए उल्लंघन और अवज्ञा के लिए। यह अभिनिर्धारित करना कि उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय (अधिकारिता के प्रश्न पर) के आधार पर, इसके बाद किसी को भी उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से पहले किए गए अंतरिम आदेशों की अवज्ञा या उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, वास्तव में इसके प्रतिकूल होगा

कानून का शासन और गरिमा और अधिकार को गंभीर रूप से नष्ट कर देगा

अदालतों से। हमें दोहराना चाहिए कि यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें जानबूझकर या केवल अंतरिम आदेश को छीनने के उद्देश्य से गलत अदालत में मुकदमा दायर किया गया हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुकदमा [2021] 4 एस. सी. आर.

दीवानी अदालत में दायर किया गया था। हमारी राय है कि ऐसे मामले में प्रतिवादी इसके परिणामों से बच नहीं सकते हैं।

अधिकारिता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले उनकी अवज्ञा और उनके द्वारा किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन।

* * *

" 27. प्रतिवादी 1 और 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह अवमानना की कार्यवाही नहीं है, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 2-ए के तहत एक कार्यवाही है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश 39 नियम 2-ए के तहत कार्यवाही अपने निषेधाज्ञा का पालन करने के लिए दंडात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और एक बार यह पाया जाता है कि न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसके आदेशों का पालन करने का सवाल आगे नहीं उठता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह पाए जाने के बाद कि न्यायालय को उक्त मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अंतरिम आदेश को लागू करना न केवल अन्यायपूर्ण और अवैध होगा, बल्कि न्यायालय की गरिमा और अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह भी है

यह सुझाव दिया कि वादी ने सिविल न्यायालय में वर्तमान मुकदमा दायर किया था, यह जानते हुए कि उसके पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इनमें से किसी भी निवेदन से न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र) की धारा 9-ए में निहित विशिष्ट प्रावधान के आलोक में भी सहमत होना संभव नहीं है।

संशोधन)। उक्त प्रावधान के आलोक में, यह कहना सही नहीं होगा कि सिविल कोर्ट को अंतरिम आदेश या अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर निर्णय लंबित है। किए गए आदेश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे और एक बार ऐसा होने के बाद, उनका पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादियों को निर्णय के बाद किए गए उल्लंघनों के लिए दंडित करने की मांग की जा रही है

सिविल न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय। यहां प्रतिवादियों को विशांजी विरजी मेपानी [ए. आई. आर. 1996] में उच्च न्यायालय के फैसले से पहले किए गए निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा और उल्लंघन के लिए दंडित करने की मांग की गई है।

बम 366]। धारा 9-ए के अनुसार, दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास उस निर्णय तक अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति थी। यदि उनके पास वह शक्ति थी, तो उनके पास उन्हें लागू करने की शक्ति भी होनी चाहिए। उक्त प्रावधान के आलोक में, यह भी नहीं माना जा सकता है कि उन आदेशों को केवल उक्त निर्णय तक लागू किया जा सकता है, लेकिन AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v.

इसके बाद। उक्त निर्णय उन्हें (इस बीच पारित अंतरिम आदेश) या तो गैर-स्थायी या अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं बनाता है। कथित निर्णय (विशनजी विरजी मेपानी [ए. आई. आर. 1996 बॉम 366]) से पहले किए गए उक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए प्रतिवादियों को दंडित करना, किसी भी स्थिति में, उक्त निर्णय के बाद उन्हें लागू करने के बराबर नहीं है। अब केवल आदेश पारित किए जा रहे हैं। उल्लंघन वे हैं जो उक्त निर्णय से पहले किए गए थे।

40. हालांकि, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने किरण सिंह बनाम में क्लासिक मार्ग का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। चमन पासवान,

( 1955 ) 1 एस. सी. आर. 117 (पृष्ठ 122 पर) और इसके बाद के कई अन्य निर्णयों में यह तर्क दिया गया कि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी के मामलों में, यह एक पक्ष के लिए एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय की अनदेखी करने के लिए खुला होगा। उन्होंने सी. आई. टी. बनाम में निर्णय का भी उल्लेख किया। पर्ल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स (पी) लिमिटेड, (2004) 4 एस. सी. सी. 597, जहां इस न्यायालय ने यह कहते हुए अदालत या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की बात की कि ऐसी अधिकार क्षेत्र केवल तभी बनी रहती है जब कोई अदालत या न्यायाधिकरण कानून से ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसे कानून प्रदान नहीं किया गया है। इनमें से कोई भी निर्णय वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में लागू नहीं होता है। इसके विपरीत, हमने इंगित किया है कि कोई भी पक्ष, संस्थागत नियमों द्वारा शासित होने के लिए सहमत होने के बाद, एक आपातकालीन मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है और हारने के बाद, पलट कर कह सकता है कि पुरस्कार एक शून्य या गैर-न्यायिक है जब मध्यस्थता अधिनियम में कुछ भी नहीं है जो एक आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय को बाधित करता है।

करने का आदेश दिया। जैसा कि बताया गया है, धारा 17, जैसा कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आलोक में व्याख्या की गई है, स्पष्ट रूप से इस स्थिति की ओर ले जाती है कि ऐसा आपातकालीन पुरस्कार धारा के प्रावधानों के तहत दिया जाता है।

17 ( 1 ) और धारा 17 (2) के प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है।

41. इसलिए, हम यह घोषणा करते हुए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम द्वारा विवाद का निर्णय लेने के लिए पूर्ण पक्ष स्वायत्तता दी गई है।

अंतरिम आदेश देने वाले मध्यस्थ, जिन्हें "पुरस्कार" के रूप में वर्णित किया गया है। इस तरह के आदेश दीवानी अदालतों में भीड़भाड़ कम करने और पक्षों को शीघ्र अंतरिम राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस तरह के आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत संदर्भित और बनाए जाते हैं। 42. अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि आदेश XLIII, नियम 1 (r) के तहत दायर की गई अपील की स्थिरता क्या है। आदेश XLIII, नियम 1 (r) निम्नानुसार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आदेश XIII-आदेशों से अपील

1. आदेशों से अपील। - धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेशों के खिलाफ अपील की जाएगी, अर्थात्:

( आर) के नियम 1, नियम 2, नियम 2-ए, नियम 4 या नियम 10 के तहत एक आदेश

ऑर्डर XXXIX; "

43. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, विज्ञापन देना महत्वपूर्ण है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9,17 और 37 पर। धारा 9 (1) इस प्रकार है:

" 9. न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय आदि। — ( 1 ) एक पार्टी, पहले हो सकता है

या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या बनाने के बाद किसी भी समय

मध्यस्थता पुरस्कार लेकिन इसके अनुसार लागू होने से पहले

धारा 36, न्यायालय में लागू होती है:

नाबालिग या व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए

( (i)

मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए अस्वस्थ दिमाग का;

या

के संबंध में संरक्षण के एक अंतरिम उपाय के लिए

( (ख)

निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

( अ)

किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री

जो मध्यस्थता का विषय है समझौता;

( ख)

मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना;

( ग) किसी को हिरासत में लेना, संरक्षित करना या निरीक्षण करना।

संपत्ति या वस्तु जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी पक्ष के कब्जे में किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है, या किसी भी नमूने को लेने के लिए या किसी भी अवलोकन को करने के लिए, या प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना, जो प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो सकता है

पूर्ण जानकारी या साक्षय;

( (घ)

अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति;

संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय जो हो सके

( ई)

न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता है,

और न्यायालय के पास आदेश देने की उतनी ही शक्ति होगी जितनी उसके पास है।

इससे पूर्व किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए और उसके संबंध में है यह "।

2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 17 (1) के बाद, जो

यहाँ ऊपर कहा गया है, अब धारा 9 (1) की एक दर्पण छवि है, जो इस प्रकार है

बनाम ः

" 17. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय। — ( 1 ) ए.

पक्षकार, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, मध्यस्थता के लिए आवेदन कर सकता है न्यायाधिकरण

( (i)

नाबालिग या व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए अस्वस्थ दिमाग; या

के संबंध में संरक्षण के एक अंतरिम उपाय के लिए

( (ख)

निम्नलिखित मामले, अर्थात्

( अ)

किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता के विषय हैं

समझौता;

( ख) मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करना;

किसी का निरोध, संरक्षण या निरीक्षण

( (ग)

संपत्ति या वस्तु जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इनमें से किसी के लिए प्राधिकृत करता है।

उपरोक्त उद्देश्य किसी व्यक्ति का किसी पक्ष के कब्जे में किसी भूमि या भवन में प्रवेश करना, या

किसी भी नमूने को लेने के लिए, या किसी भी अवलोकन को करने के लिए, या प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना, जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है।

पूर्ण जानकारी या साक्षय प्राप्त करना;

( (घ)

अंतरिम निषेधाज्ञा या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति;

संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय जो हो सके

( ई)

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को न्यायपूर्ण प्रतीत होता है और

सुविधाजनक,

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास बनाने के लिए समान शक्ति होगी आदेश, जैसा कि न्यायालय ने किसी के उद्देश्य के लिए और उसके संबंध में किया है

उसके समक्ष कार्यवाही "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

धारा 17 (2), जिसे उसी संशोधन द्वारा भी पेश किया गया था।

पढ़ता है:

" 17. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय। —

* * *

( 2 ) धारा 37 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन, इस धारा के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी कोई भी आदेश होगा

सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय का आदेश माना जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत उसी तरह से लागू किया जा सकता है जैसे कि यह अदालत का आदेश हो।

धारा 37, जिसके चार कोनों के भीतर मध्यस्थता अधिनियम के तहत किए जाने वाले आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है, निम्नानुसार है:

निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से लेकर मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अदालत

आदेश पारित करने वाला न्यायालय, अर्थात्:

( क) धारा के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करना।

8 ;

धारा के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना।

( ख)

9 ;

( ग) मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना।

धारा 34 के तहत।

( 2 ) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी।

उप-धारा (2) या उप-धारा में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना।

( अ)

धारा 16 की धारा (3); या

के तहत एक अंतरिम उपाय देने या देने से इनकार करना

( ख)

धारा 17.

( 3 ) अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

इस धारा के तहत, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं लेगा

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

44. जैसा कि ऊपर बताया गया है, विधि आयोग ने

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदान करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया गया

एक अदालत के रूप में धारा 9 के तहत अधिकार होंगे।

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

45. धारा 9 (1), खंड (i) और (ii) में यह निर्धारित करने के बाद कि कौन से अंतरिम उपाय या संरक्षण दिए जा सकते हैं, फिर जोड़ती है, "और

न्यायालय के पास आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में है।

46. अधुनिक स्टील्स लिमिटेड बनाम में व्याख्या के लिए इटैलिसाइज्ड शब्द उत्पन्न हुए। उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स (पी) लिमिटेड, (2007) 7 एससीसी

125. फैसले के पैराग्राफ 11 में, इस अदालत ने कहा:

" 11. यह सच है कि अधिनियम की धारा 9 अदालत की बात करती है। संरक्षण के लिए एक आदेश पारित करने वाले अंतरिम उपाय के लिए,

किसी भी माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री, जो हैं

मध्यस्थता समझौते का विषय और इस तरह का अंतरिम मामला

संरक्षण का उपाय जो न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो। एक अंतरिम निषेधात्मक निषेधाज्ञा या एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा का अनुदान प्रसिद्ध नियमों द्वारा शासित होता है।

और यह कल्पना करना मुश्किल है कि विधायिका अधिनियम बनाते समय

अधिनियम की धारा 9 का उद्देश्य एक प्रावधान करना था जो था

उन स्वीकृत सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो एक अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करते हैं। एक रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में भी यही स्थिति है क्योंकि यह खंड स्वयं "न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण" की अवधारणा लाता है।
किसी भी अंतरिम उपाय को पारित करने की बात करते हुए "सुविधाजनक"

संरक्षण। खंड के समापन शब्द, "और अदालत

आदेश देने की उतनी ही शक्ति होगी जितनी उसके पास है

उद्देश्य और उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंतरिम आदेश देने में अदालत को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को प्रावधान द्वारा समाप्त करने की मांग नहीं की जाती है। इसके अलावा, जब किसी पक्ष को उस संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया या नियमों का एक विशेष समूह प्रदान किए बिना देश के एक सामान्य न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार

दिया जाता है, तो उस न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य नियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करेंगे। इसी आधार पर

इसके अलावा, संतुलन की अवधारणा को बाहर रखना संभव नहीं है

सुविधा, प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और अवधारणा

के तहत अंतरिम उपायों को पारित करते समय उचित और सुविधाजनक अधिनियम की धारा 9 "।

47. उपरोक्त के अलावा, धारा 9 (1) के अंतिम भाग की भाषा स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 को संदर्भित करती है जिसे उसके आदेश XXXIX के साथ पढ़ा जाता है। सिविल संहिता की धारा 94

प्रक्रिया इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 94. पूरक कार्यवाही। न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए न्यायालय, यदि इस प्रकार निर्धारित किया गया है,

( अ)

प्रतिवादी को गिरफ्तार करने और उसके सामने लाने के लिए वारंट जारी करें

न्यायालय कारण बताएगा कि उसे अपनी उपस्थिति के लिए सुरक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए, और यदि वह किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है

सुरक्षा के लिए उसे सिविल जेल में भेजें;

प्रतिवादी को कोई भी प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दें

( ख)

उसकी संपत्ति को न्यायालय के निपटान में रखना या किसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देना।

संपत्ति;

एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें और अवज्ञा के मामले में

( (ग)

दोषी व्यक्ति को सिविल जेल में भेजें और आदेश दें

कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और बेची जाए;

किसी भी संपत्ति के प्राप्तकर्ता को नियुक्त करें और लागू करें

( (घ)

उसे संलग्न करके और बेचकर अपने कर्तव्यों का पालन करना संपत्ति;

ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश दें जो उन्हें प्रतीत हों

( ई)

न्यायसंगत और सुविधाजनक होना चाहिए।"

आदेश XXXIX, नियम 1,2 और 2-ए निम्नानुसार है:

" आदेश XXXIX

1. ऐसे मामले जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। जहाँ किसी मुकदमे में इसे शपथ पत्र या अन्यथा साबित किया जाता है।

कि मुकदमे में विवाद में कोई भी संपत्ति होने का खतरा है

( अ)

मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा बर्बाद, क्षतिग्रस्त या अलग किया गया, या डिक्री के निष्पादन में गलत तरीके से बेचा गया, या

कि प्रतिवादी हटाने या निपटाने की धमकी देता है, या इरादा रखता है

( ख)

अपने लेनदारों को धोखा देने की दृष्टि से अपनी संपत्ति का,

कि प्रतिवादी वादी को बेदखल करने की धमकी देता है या

( (ग)

अन्यथा किसी के संबंध में वादी को चोट पहुँचाना

मुकदमे में विवाद में संपत्ति,

न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे कार्य को रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कर सकता है, या रोक लगाने के उद्देश्य से ऐसा अन्य आदेश दे सकता है और AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v.

समान संपत्ति या अधिकार। ( 2 ) न्यायालय आदेश द्वारा निषेधाज्ञा की अवधि के बारे में ऐसी शर्तों पर, एक लेखा रखते हुए, ऐसा निषेधाज्ञा दे सकता है।

प्रतिभूति, या अन्यथा, जैसा कि न्यायालय उचित समझता है।

2 - ए. अवज्ञा या निषेधाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम।

( 1 ) दिए गए किसी आदेश की अवज्ञा के मामले में या

नियम 1 या नियम 2 के तहत किया गया अन्य आदेश या उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन जिस पर निषेधाज्ञा दी गई थी या आदेश दिया गया था, निषेधाज्ञा देने वाले या आदेश देने वाले न्यायालय का, या कोई भी न्यायालय जिसे मुकदमा या कार्यवाही हस्तांतरित की गई है, ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्ति की संपत्ति का आदेश दे सकता है

संलग्न, और ऐसे व्यक्ति को सिविल जेल में तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश भी दे सकता है, जब तक कि

इस बीच अदालत उसकी रिहाई का निर्देश देती है।

( 2 ) इस नियम के तहत की गई कोई भी कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी, जिसके अंत में, यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकता है और आय में से, न्यायालय घायल पक्ष को ऐसा मुआवजा दे सकता है जो वह उचित समझे और शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा। इसका हकदार पक्ष "।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 76 संशोधन अधिनियम "] से पहले, निषेधाज्ञा की अवज्ञा या [2021] 4 एस. सी. आर. का उल्लंघन।

इसकी किसी भी शर्त को आदेश के उप-नियम (3) और (4) के तहत लागू किया गया था। XXXIX, नियम 2 इस प्रकार है:

" 2. पुनरावृत्ति या निरंतरता को रोकने के लिए इंजंक्शन

उल्लंघन।

***

( 3 ) अवज्ञा या ऐसी किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में, निषेधाज्ञा देने वाला न्यायालय ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के दोषी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, और

ऐसे व्यक्ति को सिविल जेल में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का भी आदेश दें, जब तक कि इस बीच अदालत निर्देश न दे

उसकी रिहाई। "

( 4 ) इस नियम के तहत कोई भी कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी, जिसके अंत में, यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकता है, और आय में से न्यायालय ऐसा मुआवजा दे सकता है जो वह उचित समझता है, और शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान उसके हकदार पक्ष को करेगा।

एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या नियम 2 के उप-नियम (3) और (4) आदेश के नियम 1 के तहत दिए गए निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर लागू होते हैं।

XXXIX। इस विवाद को आदेश XXXIX, नियम 2 से उप-नियम (3) और (4) को हटाकर और आदेश XXXIX के लिए एक नया नियम 2-A पेश करके शांत किया गया था। इस प्रावधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" खंड 89-उप-नियम (iii)-नया नियम 2-ए नियम 1 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के परिणामों के लिए प्रावधान करने के लिए डाला जा रहा है, जो वर्तमान में शामिल नहीं है। संशोधन का उद्देश्य उल्लंघन के लिए प्रावधानों को लागू करना है, जो वर्तमान में नियम 2 के तहत दिए गए निषेधाज्ञा के तहत उपलब्ध हैं, उक्त वर्ग के मामलों में भी। इसे लेकर विवाद है क्या मौजूदा प्रावधान के तहत, एक अदालत जिसमें एक मुकदमा स्थानांतरित किया जाता है, पूर्ववर्ती अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा की अवज्ञा को दंडित कर सकता है। नया नियम 2-ए प्रदान करता है कि अंतरिती अदालत भी उस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। ( भारत का राजपत्र देखें। , 8थ.

अप्रैल 1974, पं. II, एस. 2. एक्स. पी। 335 )

48. आदेश XXXIX, नियम 2 (3) और 2 (4) जैसा कि यह मूल रूप से था, और आदेश XXXIX, नियम 2-ए जैसा कि 1976 के संशोधन के बाद है

अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के तहत AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v के रूप में "निर्धारित" करने के लिए है।

टोपी वह परिणाम है जब एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश और/या संपत्ति के प्राप्तकर्ता की नियुक्ति का उल्लंघन किया जाता है। धारा 94 (ग) और (घ) में उल्लिखित और आदेश द्वारा स्पष्ट किए गए परिणाम

XIX जैसा कि ऊपर कहा गया है।

49. श्री नानकानी ने खाद्य निगम के फैसले का हवाला दिया

ए वी। सुख देव प्रसाद, (2009) 5 एस. सी. सी. 665, जिसमें वे निर्भर थे।

इस न्यायालय की टिप्पणियाँ:

" 38. संहिता के आदेश 39 नियम 2-ए के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति दंडात्मक प्रकृति की है, जो अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दीवानी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के समान है। अवज्ञा या उल्लंघन की शिकायत करने वाले व्यक्ति को किसी भी संदेह से परे स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन किया गया है, उस व्यक्ति को कुछ विशिष्ट काम या कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देने वाला एक निषेधाज्ञा या आदेश था और यह कि

इस तरह के आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन। इस पर विचार करते हुए

आदेश 39 नियम 2-ए के तहत आवेदन, अदालत उस आदेश का अर्थ नहीं लगा सकती है जिसके संबंध में अवज्ञा/उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जो अनुमानों, संदेहों और निष्कर्षों पर कुछ ऐसा करने का दायित्व पैदा करता है जिसका "आदेश" में उल्लेख नहीं है। नियम 2-ए के तहत शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और जिम्मेदारी "।

उन्होंने यू. सी. सुरेंद्रनाथ बनाम के फैसले पर भी भरोसा किया।

एनबलीज बेकरी, (2019) 20 एस. सी. सी. 666, और विशेष रूप से पैराग्राफ 7,

: एच कहता है:

आदेश 39 नियम 2 के तहत-एक सी. पी. सी. मात्र नहीं होना चाहिए " अवज्ञा "लेकिन यह एक" जानबूझकर अवज्ञा "होनी चाहिए। जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप आपराधिक प्रकृति का है

दायित्व, इसे अदालत की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा कि अवज्ञा केवल "अवज्ञा" नहीं थी, बल्कि एक "जानबूझकर अवज्ञा" थी। जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलार्थी की दुकान पर आयुक्त की दूसरी यात्रा के दौरान, चाय के केक और मसाला केक बिना किसी आवरण/लेबल के बेचे जा रहे थे। केवल एक चीज जो आयुक्त ने नोट की है वह यह है कि अपीलार्थी की दुकान के सामने प्रदर्शित "जमाखोरी को न हटाना" जिसके लिए अपीलार्थी ने एक स्पष्टीकरण दिया है, जो हमारे सुविचारित विचार में,

स्वीकार्य है। "[2021] 4 एस. सी. आर.

50. यह कहना एक बात है कि अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

आदेश XXXIX के तहत, नियम 2-ए दंडात्मक प्रकृति का है और शक्ति के समान है। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दीवानी अवमानना के लिए दंड देना। यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि आदेश XXXIX, नियम 2-ए में "केवल अवज्ञा" नहीं बल्कि "जानबूझकर अवज्ञा" की आवश्यकता है। हम प्रथम दृष्टया

यह विचार कि आदेश XXXIX, नियम 2-ए में "विलफुल" शब्द जोड़ने का बाद का निर्णय बिल्कुल सही नहीं है और इसकी समीक्षा एक बड़ी पीठ द्वारा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आदेश XXXIX, नियम 1 और 2 के तहत पारित आदेशों के प्रवर्तन और अदालत की अवमानना में दिए गए आदेशों के बीच एक बड़ा अंतर है। अदालत की अवमानना करने वाले आदेश मुख्य रूप से अपराधी को जुर्माना या जेल की सजा या दोनों देकर दंडित करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरी ओर, आदेश XXXIX, नियम 2-ए मुख्य रूप से आदेश XXXIX, नियम 1 और 2 के तहत पारित आदेशों को लागू करने के लिए है, और उस उद्देश्य के लिए, दीवानी अदालतों को विशाल शक्तियां दी जाती हैं जिनमें संपत्ति कुर्क करने की शक्ति शामिल है।

कारावास, जो दंडात्मक प्रकृति के होते हैं। 1 धारा के तहत पारित आदेश

17 ( 2 ) मध्यस्थता अधिनियम के आदेश XXXIX में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, नियम 2-ए, इसलिए, उचित रूप से केवल मध्यस्थता अधिनियम के लिए संदर्भित हैं। उपर्युक्त निर्णयों में से कोई भी इसके विपरीत कानून के किसी भी प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण नहीं है।

51. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति, जो धारा 9 (1) और धारा 17 (1) दोनों में आती है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो प्रकृति में व्यापक है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति है।

महत्व। इस प्रकार, बांदेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. प्रसाद वासुदेव केनी, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 707 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 20. "के संबंध में" शब्द कई निर्णयों में न्यायिक चर्चा का विषय रहे हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान में, ऐसे दो निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य वक्फ बोर्ड में, मद्रास बनाम. अब्दुल अज़ीज़ साहिब, ए. आई. आर. 1968 मैड। 79 , वक्फ की धारा 57 (1) में निहित "संबंधित" अभिव्यक्ति अधिनियम , 1954 मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।

उच्च न्यायालय ने कहा:

" 8. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विद्वान न्यायाधीश, (जे. कैलासम), अपने विचार में सही थे कि दूसरा भी

1 जब स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आदेश लागू किया जाना है, तो आदेश XXI, नियम 32 एक नागरिक जेल में कुर्की और/या निरोध का प्रावधान करता है। आदेश XXI, नियम 32 के तहत पारित किए गए आदेश मुख्य रूप से आदेश XXXIX, नियम 2-A में निहित तरीकों के समान विधियों द्वारा निषेधाज्ञा फरमानों को लागू करने के लिए हैं। यह आदेश XXXIX के उद्देश्य को भी दर्शाता है, नियम 2-ए मुख्य रूप से अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेशों को लागू करने के लिए है।

मुक़दमे की व्याख्या शब्दों के दायरे में की जानी चाहिए धारा 57 (1) में नियोजित, अर्थात् "प्रत्येक वाद या कार्यवाही में

वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित "। पर्याप्त न्यायिक व्यवस्था है

इस दृष्टिकोण के लिए प्राधिकरण कि "संबंधित" या "संबंध में" जैसे शब्द व्यापकता के शब्द हैं जिनका संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष महत्व के साथ-साथ अप्रत्यक्ष महत्व भी हो सकता है। वे प्रतिबंधात्मक शब्द नहीं हैं। विषयवस्तु और इसका इतना अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। यह मामला एक से अधिक मामलों में न्यायिक निर्णय के लिए सामने आया है। द.

कम्पैग्नी फाइनेंसिक डे पैसिफिक बनाम में मामला। पेरूवियाई

गुआनो कंपनी, इस विशेष पहलू पर बहुत रुचि रखती है और ब्रेट, एल. जे. का निर्णय, "कार्रवाई में प्रश्नगत किसी भी मामले के लिए सामग्री" वाक्यांश के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय, 1875 के नियमों के ओ. 31, आर. 12 की व्याख्या की व्याख्या करता है। ब्रेट, एल. जे. ने कहा कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों परिणामों में हो सकता है और विद्वान न्यायाधीश के अनुसार परीक्षण यह था (पृष्ठ 63 पर):

" ..... एक दस्तावेज़ को उचित रूप से ऐसी जानकारी होने के लिए कहा जा सकता है जो शपथ पत्र की आवश्यकता वाले पक्ष को या तो सक्षम कर सकता है

अपने मामले को आगे बढ़ाने या उसके मामले को नुकसान पहुँचाने के लिए

विरोधी यदि यह एक दस्तावेज है जो उसे उचित रूप से एक तक ले जा सकता है

जांच की ट्रेन, जिसमें इनमें से कोई भी हो सकता है

परिणाम "।

. इसी तरह, मनसुखलाल धनराज जैन बनाम। एकनाथ विठ्ठल

गेल, (1995) 2 एस. सी. सी. 665, अभिव्यक्ति "वाद और कार्यवाही"

किसी अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तिधारी के बीच. की वसूली से संबंधित

प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज ऑर्ट्स एक्ट, 1882 की धारा 41 (1) के तहत इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव आया।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 14. ..... 'संबंधित' शब्द व्यापक महत्व के हैं और वे किसी भी मुकदमे को अपने पक्ष में ले सकते हैं जिसमें शिकायत की जाती है कि प्रतिवादी अवैध रूप से कब्जा वसूल करने की धमकी दे रहा है।

वादी से-लाइसेंसधारी। वादी से इस तरह के कब्जे को जबरन बरामद करने के प्रतिवादी की ओर से कथित अवैध प्रयासों के खिलाफ अचल संपत्ति के इस तरह के कब्जे की रक्षा के लिए मुकदमे, स्पष्ट रूप से "कब्जे की वसूली से संबंधित" शब्दों के व्यापक विस्तार से कवर किए जा सकते हैं जैसा कि नियोजित है।

धारा 41 (1) द्वारा।"

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

***

कारण न्यायालय अधिनियम प्रकृति में व्यापक है और इसके संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों और कार्यवाहियों का निपटारा करना।

सूट संपत्ति के कब्जे की वसूली के साथ

अनुज्ञप्तिधारी और, इसलिए, प्रतिवादी को इस तरह की जबरन वसूली करने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद

अनुज्ञप्तिधारी-वादी से कब्जा उक्त वाक्यांश के व्यापक विस्तार से पूरी तरह से कवर किया जाएगा। नतीजतन,

विचाराधीन मैदानों में कथन का प्रकाश और

अनुभाग की स्पष्ट भाषा में उसमें मांगी गई प्रार्थनाएँ 41
( 1 ) , यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि ये मुकदमे लघु कारण न्यायालय, बॉम्बे के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हो सकते हैं और

सिटी सिविल कोर्ट के पास इस तरह का विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

सूट।"

52. वास्तव में, थिसेन में इस न्यायालय का निर्णय

संघ जीएमबीएच वी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, (1999) 9 एस. सी. सी.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 85 को पैराग्राफ 2 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 2. नए अधिनियम की यह धारा 85 हम शुरुआत में पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" 85. रद्द करें और बचत करें। ( 1 ) मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और अभिसमय) अधिनियम, 1937 (1937 का 6), मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का 10) और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन)

अधिनियम, 1961 (1961 का 45) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ( 2 ) इस तरह के निरसन के बावजूद,

( अ)

उक्त अधिनियमों के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

इस अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के लिए जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, लेकिन यह अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा जो इस अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू किया गया;

( ख)

उक्त के तहत बनाए गए सभी नियम और प्रकाशित अधिसूचनाएँ अधिनियम, जिस हद तक वे इस अधिनियम के प्रतिकूल नहीं हैं, इस अधिनियम के तहत क्रमशः बनाए गए या जारी किए गए माने जाएंगे।

"के संबंध में" अभिव्यक्ति धारा 85 (2) (ए) में दिखाई देती है। न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुई और जिसका उत्तर AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. द्वारा दिया गया था।

न्यायालय, यह था कि क्या प्रवर्तन कार्यवाही को धारा 85 (2) (ए) के दायरे में शामिल किया जाएगा। यह मानते हुए कि उन्होंने ऐसा किया, इस न्यायालय ने राय दी:

" 32. ..... इसलिए, हमारी राय है कि यह पुराने अधिनियम के प्रावधान होंगे जो 1998 के सिविल अपील संख्या 6036 के मामले में पुरस्कार के प्रवर्तन पर लागू होंगे। धारा 85 (2) (ए) पर किसी भी अन्य निर्माण से केवल भ्रम और कठिनाई पैदा होगी। हमारे द्वारा बनाई गई यह संरचना इसके अनुरूप है

धारा 85 (2) (ए) के शब्दों में "प्रावधान" और "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह होगा कि एक बार पुराने अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के बाद यह होगा - पुराना अधिनियम जो पुरस्कार को लागू करने के लिए भी लागू होगा।

इस परिच्छेद को इस न्यायालय द्वारा बी. सी. सी. आई. बनाम में संदर्भित किया गया था। कोच्चि

क्रिकेट (पी) लिमिटेड, (2018) 6 एस. सी. सी. 287, पैराग्राफ 69 में, निम्नानुसार है:

" 69. हालांकि, श्री विश्वनाथन ने दृढ़ता से इस पर भरोसा किया

थिसेन में पैरा 32 में किए गए अवलोकन [थिसेन स्टालुनियन]

जीएमबीएच वी. सेल, (1999) 9 एस. सी. सी. 334] और हमीद जोहारन बनाम में निर्णय। अब्दुल सलाम [हमीद जोहारन बनाम। अब्दुल सलाम,

[ थिसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. वी. सेल, (1999) 9 एस. सी. सी. 334] पहले तो श्री विश्वनाथन के रुख का समर्थन करता है। हालाँकि, यह प्रवर्तन के लिए तंत्र के संदर्भ में कहा गया था 1940 के अधिनियम की धारा 17, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम की धारा 36 से अलग है, क्योंकि "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति, जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से शुरू होकर पूरे दायरे में आती है और

पुरस्कार के प्रवर्तन के साथ समाप्त होता है। यह 1940 के अधिनियम की संरचना के 1996 के अधिनियम की संरचना से पूरी तरह से अलग होने के संदर्भ में भी था, जिसने 1940 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। ..... "

हालाँकि, अंत में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 36, दायर धारा 34 के आवेदनों पर लागू होनी चाहिए।

2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले भी।

53. इसके साथ धारा 9 (1) और धारा 17 (1) में आने वाली "कोई भी कार्यवाही" भी एक अभिव्यक्ति होगी।

प्रवर्तन कार्यवाही में लेने के लिए पर्याप्त व्यापक। द.

इस न्यायालय के कुछ निर्णयों द्वारा "कोई भी" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाया गया है। इस प्रकार, श्री बालगणेशन धातु बनाम। एम. एन. षण्मुघम

चेट्टी, (1987) 2 एस. सी. सी. 707, तमिल [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 10 (3) (सी) के संदर्भ में।

तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1960, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 18. धारा 10 (3) (सी) के अर्थ में यह ध्यान रखना उचित है कि उपयोग किए गए शब्द "कोई भी किरायेदार" हैं न कि "एक किरायेदार" जिन्हें अपने व्यवसाय के हिस्से को खाली करने के लिए कहा जा सकता है। "कोई भी" शब्द का निम्नलिखित अर्थ है:

" कुछ; कई में से एक; एक अनिश्चित संख्या। एक अंधाधुंध या किसी भी प्रकार या मात्रा में।

शब्द 'कोई भी' के अर्थों में विविधता है और इसका उपयोग 'सभी' या 'प्रत्येक' के साथ-साथ 'कुछ' या 'एक' को इंगित करने के लिए किया जा सकता है और किसी दिए गए क़ानून में इसका अर्थ संदर्भ और संदर्भ पर निर्भर करता है।

विषय-कानून का विषय।

यह अक्सर 'या तो', 'प्रत्येक' या 'सभी' का पर्यायवाची होता है। इसकी व्यापकता संदर्भ द्वारा प्रतिबंधित हो सकती है; "(ब्लैक का नियम)

शब्दकोश, पाँचवाँ संस्करण)

19. जब तक कि विधायिका का इरादा यह नहीं था कि मकान मालिक को अतिरिक्त आवास प्रदान करने के लिए किराया नियंत्रक द्वारा दोनों वर्गों के किरायेदारों को खाली करने के लिए कहा जा सकता है, चाहे वह आवासीय हो या गैर-आवासीय। आवासीय उद्देश्यों के लिए, इसने इसके बजाय "कोई भी" शब्द का उपयोग नहीं किया होगा

एक किरायेदार को दर्शाने के लिए "ए" अक्षर का उपयोग करना। इसी तरह, लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम। एम. के. गुप्ता

( 1994 ) 1 एस. सी. सी. 243, इस न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत "सेवा" शब्द का अर्थ लगाते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 4. 'सेवा' शब्द का क्या अर्थ है? क्या यह घर या फ्लैट के निर्माण में कमी तक फैलता है? क्या ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी भी कमी के लिए वैधानिक प्राधिकरण या बिल्डर या ठेकेदार के खिलाफ अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। इन सब का जवाब शब्द की समझ पर निर्भर करेगा।

' सेवा '। इस शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। इसका कोई मतलब हो सकता है

लाभ या कोई कार्य जिसके परिणामस्वरूप ब्याज या खुशी को बढ़ावा मिलता है। यह संविदात्मक, पेशेवर, सार्वजनिक, घरेलू, कानूनी, वैधानिक आदि हो सकता है। इस प्रकार सेवा की अवधारणा बहुत व्यापक है। इसे कैसे समझा जाना चाहिए और इसका क्या अर्थ है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी अधिनियम में इसका उपयोग किस संदर्भ में किया गया है। परिभाषा खंड का खंड (ओ)

इसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 'सेवा' से किसी भी विवरण की सेवा अभिप्रेत है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा के संबंध में सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्ड

या आवास या दोनों, आवास निर्माण, मनोरंजन, मनोरंजन या समाचार या अन्य जानकारी का शुद्धिकरण, लेकिन इसमें किसी भी सेवा को मुफ्त में प्रदान करना शामिल नहीं है या

व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत; "

यह तीन भागों में है। मुख्य भाग के बाद समावेशी खंड आता है और अपवर्जन खंड समाप्त होता है। मुख्य खंड अपने आप में बहुत व्यापक है। यह संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई किसी भी सेवा पर लागू होता है। 'कोई भी' और 'संभावित' शब्द महत्वपूर्ण हैं। दोनों व्यापक आयाम के हैं। शब्दकोषीय रूप से 'कोई भी' शब्द का अर्थ है 'एक या कुछ या सभी'। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसे इस प्रकार समझाया गया है, "शब्द 'कोई भी' के अर्थ में विविधता है और इसका उपयोग 'सभी' या 'प्रत्येक' के साथ-साथ 'कुछ' या 'एक' को इंगित करने के लिए किया जा सकता है और किसी दिए गए क़ानून में इसका अर्थ संदर्भ और विषय पर निर्भर करता है। खंड (ओ) में उपयोग किए गए संदर्भ में 'कोई भी' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि इसका उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है।

एक से सभी तक फैला हुआ। .....

भारत संघ में v. ए. बी. शाह, (1996) 8 एस. सी. सी. 540, यह न्यायालय, कोयला खान विनियम, 1957 के तहत कोयला खान महानिदेशक द्वारा निर्धारित शर्तों में निहित "किसी भी समय" अभिव्यक्ति के उद्देश्य की जांच कर रहा है।

एस अधिनियम, 1952 निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया:

" 12. यदि हम उद्देश्य और उद्देश्य के साथ शर्तों 3 और 6 को देखें

अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ये शर्तें नहीं हैं

केवल शुरुआत में जो आवश्यक था उससे संबंधित

डिपिलरिंग प्रक्रिया, लेकिन आवश्यक लंबाई के लिए अनस्टोविंग आवश्यक है

हमेशा मौजूद है। अभिव्यक्ति "किसी भी समय" में जगह ढूँढना शर्त 6 का अर्थ है, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, "किसी भी समय", जिसका प्रभाव यह है कि आवश्यक लंबाई को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिसमें से एक खदानों में सुरक्षा है, इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बार-बार होने वाली खदान

आपदाओं की पृष्ठभूमि में जो खनिकों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। यह बताया जा सकता है कि 'कोई भी' शब्द के अर्थ में विविधता है और ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसे [2021] 4 एस. सी. आर. कहा गया है।

कि इस शब्द का उपयोग 'सभी' या 'प्रत्येक' को इंगित करने के लिए किया जा सकता है, और इसका अर्थ 'क़ानून के संदर्भ और विषय-वस्तु' पर निर्भर करेगा। स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश खंड में जो कहा गया है उसका एक संदर्भ। आई, इस बात का खुलासा कर रहा है कि 'कोई भी' शब्द के महत्व को पीपी से समझाया गया है। 145 चौथे संस्करण के 153 तक। , जिसके अवलोकन से पता चलता है कि इसके विभिन्न अर्थ हैं

मुख्य रूप से कानून के विषय और इसके उपयोग के संदर्भ पर। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम में इस न्यायालय की एक पीठ। एम. के. गुप्ता [(1994) 1 एस. सी. सी. 243] ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (ओ) में 'सेवा' को परिभाषित करते हुए इस शब्द को बहुत व्यापक अर्थ दिया। ( पैरा 4 देखें) "

54. ठीक से पढ़े जाने पर, "किसी भी कार्यवाही के संबंध में" और "किसी भी कार्यवाही" में किए गए आदेशों को लागू करने की शक्ति शामिल होगी। धारा 9 (1) के तहत, और अंतरिम आदेश देने के लिए आकस्मिक शक्तियों तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि श्री विश्वनाथन द्वारा सुझाव दिया गया था। इस प्रकार, यदि किसी भी पक्ष द्वारा धारा 9 (1) के तहत किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो धारा 9 (1) के तहत ऐसे आदेश देने वाले न्यायालय के लिए उसे लागू करने की कार्यवाही उपलब्ध है। इसलिए, इन शक्तियों का पता सीधे अधिनियम की धारा 9 (1) से लगाया जा सकता है-जो हमें सिविल प्रक्रिया संहिता की ओर ले जाती है। इस प्रकार, धारा 9 के तहत किए गए आदेश के प्रवर्तन में आदेश XXXIX नियम 2-ए के तहत किया गया आदेश भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 (1) के लिए संदर्भित होगा।

55. इस तथ्य को देखते हुए कि 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 17 (1) में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियां प्रदान की हैं जो एक अदालत को दी गई हैं, यह अभिनिर्धारित करना विसंगत होगा कि यदि न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और फिर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए के संदर्भ में अदालत द्वारा लागू किया गया था, तो ऐसा आदेश धारा 17 के लिए संदर्भित नहीं होगा। धारा 17 (2) की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को लागू करने पर पहले का कानून बहुत बोझिल पाया गया था। इस प्रकार, अलका चंदेवार बनाम। शमशुल इशरार खान, (2017) 16 एस. सी. सी. 119, इस न्यायालय ने पहले की स्थिति को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 8. श्री राणा मुखर्जी के इस कथन पर आते हुए कि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा 17 की उप-धारा (2) अब अंतरिम कानून के उल्लंघन के खिलाफ आवश्यक उपाय प्रदान करती है।

न्यायाधिकरण के आदेश, यह कहने के लिए पर्याप्त हैं कि स्वयं विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता पाई

दिल्ली AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. द्वारा धारा 27 (5) में जो प्रावधान किया गया था, उसकी तुलना में।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय [श्री कृष्ण बनाम। आनंद, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2472: ( 2009 ) 112 डीआरजे 657: ( 2009 ) 3 अरब एल. आर. 447]। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था: " अंतरिम उपायों का आदेश देने के लिए न्यायाधिकरण की शक्तियाँ

46. धारा 17 के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास शक्ति है

संरक्षण के अंतरिम उपायों का आदेश देना, जब तक कि पक्षों ने समझौते द्वारा ऐसी शक्ति को बाहर नहीं किया है। धारा 17 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो मध्यस्थता प्रणाली के काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिम उपायों के उद्देश्यों के लिए भी पक्षकार प्रतीक्षा करने के बजाय मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

अदालत का आदेश। हालाँकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के ऐसे अंतरिम आदेशों को लागू करने के लिए किसी भी उपयुक्त वैधानिक तंत्र की कमी को देखते हुए धारा 17 की प्रभावशीलता से गंभीर रूप से समझौता किया गया है।

47. सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में [सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम. एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड, (1999) 2 एस. सी. सी. 479], उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालांकि धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने की शक्ति देती है, लेकिन इसे किसी मध्यस्थ के आदेश के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय और यह केवल इसी कारण से है कि धारा 9 न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति देती है। इसके बाद, सेना कल्याण आवास संगठन बनाम।

सुमंगल सर्विसेज (पी) लिमिटेड, (2004) 9 एस. सी. सी. 619, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 17 के तहत कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने आदेश को लागू करने के लिए और न ही इसके न्यायिक प्रवर्तन के लिए प्रावधान करता है।

48. इस तरह की स्पष्ट न्यायिक राय के सामने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक उपयुक्त विधायी आधार खोजने का प्रयास किया

श्री कृष्ण बनाम में धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करना। आनंद, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2472: ( 2009 ) 112 डीआरजे 657: ( 2009 ) 3 ए. आर. बी. एल. आर. 447 [इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में इसके बाद। जुबली प्लॉट्स एंड हाउसिंग (पी) लिमिटेड, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2458]। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है।

धारा 17 को अधिनियम की धारा 27 (5) के तहत "कोई अन्य चूक करना" या "कार्यवाही के संचालन के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण की किसी भी अवमानना का दोषी" माना जाएगा। पीड़ित पक्ष का उपाय

तब उचित [2021] 4 एस. सी. आर. को पूरा करने के लिए अदालत में प्रतिनिधित्व करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण में आवेदन करना होगा।

सजा। एक बार जब अदालत को ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण से, न्यायालय सौदा करने के लिए सक्षम होगा

डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे पक्ष के साथ जैसे कि यह किसी आदेश की अवमानना में है

न्यायालय अर्थात या तो न्यायालयों की अवमानना के प्रावधानों के तहत

अधिनियम या संहिता के आदेश 39 नियम 2-ए के प्रावधानों के तहत

सिविल प्रक्रिया, 1908।

49. आयोग का मानना है कि हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को भी बल प्रदान करें

उनके प्रवर्तन का प्रावधान करने के लिए, दिल्ली का निर्णय श्री कृष्ण बनाम में उच्च न्यायालय। आनंद, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल

2472 : ( 2009 ) 112 डीआरजे 657: ( 2009 ) 3 अरब एल. आर. 447 पूर्ण नहीं है।

समाधान। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है

अधिनियम की धारा 17 में संशोधन जो इसे मजबूत बनाएगा

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश और वही वैधानिक रूप से होंगे न्यायालय के आदेशों के समान ही प्रवर्तनीय। इसमें

आयोग के विचार इसके अनुरूप हैं (हालांकि के अनुच्छेद 17 में 2006 के संशोधनों के रूप में दूर मत जाओ

UNCITRAL मॉडल कानून "।

( मूल में जोर)

9. इस 246 वीं रिपोर्ट के अनुसार, धारा 17 की उप-धारा (2)

2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ताकि बोझिल

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की प्रक्रिया को हर बार लागू करना पड़ता है अपने आदेशों की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय अब नहीं होगा

सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय और सिविल के तहत लागू किया जाएगा प्रक्रिया संहिता, 1908 उसी तरीके से जैसे कि वे आदेश थे

अदालत से। इस प्रकार, हम श्री राणा मुखर्जी को नहीं पाते हैं।

प्रस्तुतिकरण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा किसी भी सार का है

17 ( 2 ) एक "पूर्ण" प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था

"समस्या का समाधान"।

56. इस स्थिति को सुधारने के लिए धारा 17 (2) लागू की गई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं अपने आदेशों को लागू नहीं कर सकता है, जो केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अदालत द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अदालत, जब वह धारा 17 (2) के तहत कार्य करती है, तो उसी तरीके से कार्य करती है जैसे वह धारा के तहत किए गए अदालत के आदेश को लागू करने के लिए कार्य करती है।

9 ( 1 ) . यदि ऐसा है, तो जो स्पष्ट है वह यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित धारा 17 (2) के तहत लागू हो जाता है।

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

57. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 17 (2) एक कानूनी कल्पना पैदा करती है। यह कल्पना केवल अंतरिम लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की जा रही अपीलों तक विस्तारित करना एक बड़ी छलांग होगी जिसकी परिकल्पना नहीं की गई है।

उक्त कल्पना को अधिनियमित करने में विधायिका। वास्तव में, यह न्यायालय, परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आई. सी. डी. एस. लिमिटेड, (2006) 13 एस. सी. सी. 322 ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 पर विचार किया क्योंकि यह 2015 के संशोधन अधिनियम से ठीक पहले थी (धारा 36 जो तब थी, संशोधन के बाद की धारा 36 (1) की दर्पण छवि है)। उसके समक्ष उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए-कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार को प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 9 के उद्देश्य के लिए एक डिक्री कहा जा सकता है, इस न्यायालय ने कहा:

" 39. मध्यस्थता अधिनियम, 1899 की धारा 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

" पुरस्कार को लागू करना जैसे कि यह एक डिक्री हो। इस प्रकार, एक अंतिम पुरस्कार, वास्तव में एक डिक्री द्वारा अनुसरण किए बिना (जैसा कि बाद में 1940 के मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदान किया गया था), लागू किया जा सकता है, यानी एक डिक्री के रूप में उसी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। प्रवर्तन के इस सीमित उद्देश्य के लिए सी. पी. सी. के प्रावधान किए गए थे

दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध। हालाँकि, यह पुरस्कार एक पुरस्कार बना रहा और न तो सी. पी. सी. में परिभाषित एक आदेश बन गया और न ही अब तक एक पूरी तरह से अलग पुरस्कार के उद्देश्यों के रूप में।

दिवाला अधिनियम जैसे कानून संबंधित हैं।

40. 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 उसी स्थिति को वापस लाती है जो 1899 से 1940 तक थी। केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, पुरस्कार को अदालत का नियम बनाने की आवश्यकता थी, यानी एक निर्णय की आवश्यकता थी जिसके बाद एक

न्यायालय का आदेश। 41. दिवाला अधिनियम के तहत नोटिस जारी करना गंभीर परिणामों से भरा है: इसका उद्देश्य उस व्यक्ति की स्थिति में भारी बदलाव लाना है जिसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। उसे सभी परिचर अक्षमताओं के साथ दिवालिया घोषित करना।

इसलिए, सबसे पहले, इस तरह की सूचना का उद्देश्य नियमित रूप से गठित अदालत, न्याय के वितरण के लिए स्थापित न्यायिक अंग के एक घटक, द्वारा धन के भुगतान के लिए एक डिक्री या

आदेश पारित करने के बाद ही जारी किया जाना था। दूसरा, दिवाला अधिनियम के तहत एक नोटिस ऋण को लागू करने का एक तरीका नहीं है; प्रवर्तन धन की वसूली के लिए सी. पी. सी. के तहत उपलब्ध निष्पादन के लिए कदम उठाकर किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. शब्द "जैसे" उस पुरस्कार और डिक्री को प्रदर्शित करते हैं या
आदेश दो अलग-अलग चीजें हैं। बनाई गई कानूनी कल्पना इसके लिए है
एक फरमान के रूप में प्रवर्तन का सीमित उद्देश्य। कल्पना नहीं है
इसे सभी कानूनों के तहत सभी उद्देश्यों के लिए एक डिक्री बनाने का इरादा,
चाहे राज्य हो या केंद्र। ”

( जोर दिया गया)

58. श्री विश्वनाथन ने राजस्थान राज्य के फैसले का हवाला दिया
औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2013) 5 एस. सी. सी. 470। उनके इस तर्क का समर्थन करने की बजाय कि कानूनी कल्पना खंड में निहित है
17 ( 2 ) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील दायर करने का विस्तार किया गया है क्योंकि प्रवर्तन कार्यवाही अंतरिम आदेशों से अलग हैं, पैराग्राफ 26 में निम्नानुसार कहा गया है:

26. अभिव्यक्ति "जैसे" का उपयोग इस संबंध में लागू करने के लिए किया जाता है। दूसरे से। "जैसे" शब्द एक कानूनी कल्पना बनाते हैं। इसके द्वारा, जब
यह है कि, जबकि वास्तव में वह वह कुछ नहीं है, बल्कि उद्देश्यों के लिए है विधायिका के अधिनियम के अनुसार उसे कुछ ऐसा माना जाना आवश्यक है,
और अन्यथा नहीं। यह व्याख्या का एक सुव्यवस्थित नियम है कि,
केवल इस तरह की कल्पना ही काम कर सकती है। शब्द "जैसे" वास्तव में दर्शाते हैं दो चीजों के बीच अंतर और, ऐसे शब्दों का उपयोग केवल किया जाना चाहिए
एक सीमित उद्देश्य के लिए। वे आगे बताते हैं कि एक कानूनी कल्पना होनी चाहिए
यह उस उद्देश्य तक सीमित हो जिसके लिए इसे बनाया गया था। [ वीडियो राधाकिसन चामरिया बनाम। दुर्गा प्रसाद चामरिया [(1939-40)
67 आई ए 360: ( 1940 ) 52 एलडब्ल्यू 647: ए. आई. आर. 1940 पी. सी. 167], सी. आई. टी. बनाम। एस. तेजा

सिंह [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352], राम किशोर सेन बनाम। भारत संघ

[ ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 644], शेर सिंह बनाम। भारत संघ [(1984) 1

एससीसी 107: ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 200], महाराष्ट्र राज्य बनाम। लालजीत

राजशी शाह [(2000) 2 एससीसी 699: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 533: एयर 2000

एस. सी. 937], परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आईसीडीएस लिमिटेड [(2006) 13 एससीसी

322 पी पर। 341 , पैरा 28] और सी. आई. टी. v. विलियमसन वित्तीय सेवाएँ

[ ( 2008 ) 2 एससीसी 202]। "

( जोर दिया गया)

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम में प्रसिद्ध निर्णय।

फिन्सबरी बरो काउंसिल, 1952 एसी 109: ( 1951 ) 2 सभी ई. आर. 587 (एच. एल.) फिर पैराग्राफ 27 में अनुसरण करते हैं, इसके बाद पैराग्राफ 28 में इस न्यायालय का एक और निर्णय इस प्रकार है:

" 27. ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो

परिषद [1952 ए. सी. 109: ( 1951 ) 2 सभी ई. आर. 587 (एच. एल.)] यह न्यायालय अपनाए गए और अनुसरण किए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी

लगातार। इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: ( एसी पी। 133)

" ..... कानून कहता है कि आपको एक निश्चित कल्पना करनी चाहिए

मामलों की स्थिति; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको करना चाहिए जब बात आती है तो अपनी कल्पना को चौंका दें या अनुमति दें

उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम "।

28. औद्योगिक आपूर्ति (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1980) 4

एस. सी. सी. 341] इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: ( एससीसी p.351, पैरा 25)

" 25. यह अब स्वयंसिद्ध है कि जब एक कानूनी कल्पना है

एक कानून में शामिल, अदालत को यह पता लगाना होगा कि किस लिए

उद्देश्य कथा का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य का पता लगाने के बाद,

वैधानिक कल्पना को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे

अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचाएँ। अदालत को सब कुछ मान लेना होगा

तथ्य और परिणाम जो आकस्मिक या अपरिहार्य हैं

कल्पना को प्रभाव देने के लिए परिणाम। का कानूनी प्रभाव

खंड में 'मालिक' की परिभाषा में 'जैसे वह थे' शब्द

3 ( राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 2 (1) के साथ पढ़ा गया

खान अधिनियम यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता मालिक नहीं थे,

वे खदान के काम करने के लिए ठेकेदार हैं

प्रश्न, के रूप में व्यवहार किया जाना था हालांकि, वास्तव में, वे थे

ऐसा नहीं है "।

( जोर दिया गया)

59. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कानूनी कल्पना के तहत बनाया गया है

अंतरिम आदेशों के प्रवर्तन के लिए धारा 17 (2) केवल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इस तरह के आदेशों की अपीलों को शामिल करने के लिए इस कल्पना का विस्तार करना विधायिका के स्पष्ट इरादे से परे जाना है। धारा 17 (2) में "सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत" शब्दों पर जोर देने में श्री साल्वे का तर्क, इस प्रकार प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए एक सीमित कल्पना के रूप में कोई आधार नहीं रखता है, जिसे एक जीनी के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसे एक वैधानिक [2021] 4 एस. सी. आर. से जारी किया गया है।

प्रावधान और जिसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जो कभी भी विधायिका के विचार में नहीं होंगे।

60. भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक निर्णय में। वेदांत लिमिटेड, (2020) 10 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए एक याचिका, द्वारा शासित है

सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 137 और उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 136 द्वारा नहीं। यह निष्कर्ष इस प्रकार निकला:

" 69. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 36 एक वैधानिक व्यवस्था बनाती है।

एक "घरेलू" को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए कल्पना

न्यायालय की डिक्री के रूप में, भले ही यह अन्यथा एक मध्यस्थता कार्यवाही में एक पुरस्कार है [उमेश गोयल बनाम। एच. पी. कॉप। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2016) 11 एस. सी. सी. 313: ( 2016 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 795] इस काल्पनिक कल्पना के अनुसार, एक घरेलू पुरस्कार को अदालत का आदेश माना जाता है [सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड v. अब्दुल समद (2018) 3 एस. सी. सी. 622: ( 2018 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 593], भले ही यह एक दीवानी अदालत द्वारा पारित डिक्री नहीं है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे "अदालत" नहीं माना जा सकता है, और मध्यस्थता कार्यवाही दीवानी कार्यवाही नहीं है। डीमिंग फिक्शन पुरस्कार को निष्पादन के उद्देश्यों के लिए अदालत की डिक्री के रूप में मानने के लिए प्रतिबंधित है, भले ही यह वास्तव में, मध्यस्थता कार्यवाही में केवल एक पुरस्कार है। परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आई. सी. डी. एस. लिमिटेड, (2006) 13 एस. सी. सी. 322, इस न्यायालय ने एक घरेलू पुरस्कार के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया कि कल्पना का उद्देश्य किसी पुरस्कार को सभी उद्देश्यों के लिए, या सभी कानूनों के तहत, चाहे वह राज्य हो या केंद्र, एक डिक्री बनाना नहीं है। यह एक

कानूनी कल्पना जो उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था। परमजीत सिंह मामले में फैसले के पैरा 39 और 42

पाथेजा बनाम। आई. सी. डी. एस. लिमिटेड, (2006) 13 एस. सी. सी. 322] ( एससीसी पीपी। 345-46 )

" 39. मध्यस्थता अधिनियम, 1899 की धारा 15 में प्रावधान है

पुरस्कार को "लागू" करने के लिए जैसे कि यह एक डिक्री हो। इस प्रकार एक अंतिम पुरस्कार, वास्तव में एक डिक्री द्वारा अनुसरण किए बिना (के रूप में

बाद में 1940 के मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदान किया गया था), लागू किया जा सकता है यानी उसी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है जैसे

डिक्री। प्रवर्तन के इस सीमित उद्देश्य के लिए,

सी. पी. सी. के प्रावधानों को साकार करने के लिए उपलब्ध कराया गया था

धनराशि प्रदान की गई। हालाँकि, यह पुरस्कार एक पुरस्कार बना रहा और सी. पी. सी. और AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम में परिभाषित एक डिक्री नहीं बन गया।

अब तक एक पूरी तरह से अलग क़ानून के उद्देश्य बहुत कम हैं

जैसे कि दिवाला अधिनियम का संबंध है।

***

42. "जैसे" शब्द उस पुरस्कार को प्रदर्शित करते हैं और

फरमान या आदेश दो अलग-अलग चीजें हैं। कानूनी कल्पना

के रूप में प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए बनाया गया है

डिक्री। कल्पना का उद्देश्य इसे एक फरमान बनाना नहीं है सभी कानूनों के तहत सभी उद्देश्य, चाहे वह राज्य हो या केंद्र।

( मूल में जोर)

***

" 72. विदेशी पुरस्कार भारतीय दीवानी अदालत के आदेश नहीं हैं। एक कानूनी कल्पना द्वारा, धारा 49 में प्रावधान किया गया है कि एक विदेशी पुरस्कार, धारा 48 के तहत मान्यता और प्रवर्तन प्रदान किए जाने के बाद, सीमित उद्देश्य के लिए "उस अदालत" की डिक्री मानी जाएगी।

प्रवर्तन। वाक्यांश "वह न्यायालय" उस न्यायालय को संदर्भित करता है जिसने धारा 47 और 49 के तहत दायर याचिका पर निर्णय दिया है।

73. संबंधित उच्च न्यायालय की मानित डिक्री के रूप में विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन (2016 के अधिनियम 3 द्वारा धारा 47 के संशोधित स्पष्टीकरण के अनुसार विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है) अवशिष्ट प्रावधान यानी सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा। ए. तीन-केरल एस. ई. बी. बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। टी. पी

कुन्हालियममा [केरल एस. ई. बी बनाम। टी. पी. कुन्हालियममा, (1976) 4 एस. सी. सी. 634] ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 137 में "किसी भी अन्य अनुप्रयोग" वाक्यांश की व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अनुप्रयोग होने के लिए सामान्य न्याय के सिद्धांत पर नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 137 में प्रयुक्त वाक्यांश "कोई अन्य आवेदन" में किसी विशेष अधिनियम के तहत दायर "आवेदन" शब्द के भीतर याचिकाएं शामिल होंगी। यह सीमा अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत "आवेदन" की परिभाषा से स्पष्ट होगा, जिसमें एक याचिका शामिल है। अनुच्छेद 137 सीमा अधिनियम, 1963 के तीसरे खंड के भाग I में अन्य सभी अनुच्छेदों से अलग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

***

एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: ( 2011 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178; कांडला निर्यात निगम। वी. ओ. सी. आई. कार्पोरेशन। , ( 2018 ) 14 एससीसी 715: ( 2018 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 664; शिवनाथ राय हरनारैन (भारत) कं. v. ग्लेनकोर ग्रेन रॉटरडैम, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3564: ( 2009 ) 164 डी. एल. टी. 197; उषा ड्रैगर (पी) लिमिटेड v. ड्रैगरवर्क एजी, 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 2975 (2010) 170 डीएलटी 628; सुमितोमो कॉर्प। वी. सी. डी. सी. फाइनेंशियल सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड, (2008) 4 एस. सी. सी. 91; कॉनरॉस स्टील्स (पी) लिमिटेड बनाम। लु किन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2305: ( 2015 ) 1 अरब एल. आर. 463: ( 2015 ) 2 धारा 47 के तहत आवेदन आदेश 21 सी. पी. सी., 1908 के किसी भी प्रावधान के तहत दायर आवेदन नहीं है। आवेदन प्रवर्तन के लिए उपयुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है, जो केवल आदेश 21 सी. पी. सी. के प्रावधानों का सहारा लेगा।

विदेशी पुरस्कार के निष्पादन के उद्देश्य

डिक्री। धारा 5 में निहित बार, जिसमें एक शामिल नहीं है

आदेश 21 सी. पी. सी. के किसी भी प्रावधान के तहत दायर आवेदन, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत दायर एक ठोस याचिका पर लागू नहीं होगा। नतीजतन, एक पक्ष तथ्यों में आवश्यक होने पर देरी की माफी के लिए धारा 5 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

और मामले की परिस्थितियाँ।

इसलिए, यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 49 द्वारा बनाई गई कल्पना सीमित है

एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, इस महत्वपूर्ण परिणाम के साथ कि एक पुरस्कार को लागू करने के लिए एक आवेदन मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक आवेदन है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI के तहत एक आवेदन नहीं है (जिस मामले में, इस तरह के आवेदन को आदेश XXI के तहत एक निष्पादन आवेदन के रूप में सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 द्वारा नियंत्रित किया गया होगा, न कि सीमा अधिनियम के अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के तहत एक आवेदन)। श्री साल्वे का इस निर्णय को इस आधार पर अलग करने का प्रयास कि धारा 49 एक घरेलू पुरस्कार की प्रवर्तनीयता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग प्रक्रिया निर्धारित करती है, किसी भी तरह से इस निर्णय के अनुपात को अलग नहीं करती है, जो यह है कि एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने का आवेदन AMAZON.COM NV निवेश होल्डिंग्स LLC v के आदेश XXI के तहत नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता लेकिन मध्यस्थता अधिनियम के तहत। इसके अलावा, धारा 49 में एक डिक्री के संदर्भ में माना जाने वाला प्रावधान

न्यायालय ", जो उस न्यायालय को संदर्भित करता है जो संतुष्ट है कि विदेशी पुरस्कार प्रवर्तनीय है, फिर से, निर्णय के उपरोक्त अनुपात में कोई अंतर नहीं करता है।

61. श्री साल्वे ने तब प्रवर्तन कार्यवाही में तीसरे पक्ष के प्रभावित होने की एक अस्पष्ट तस्वीर चित्रित की। ऐसा कोई तीसरा पक्ष हमारे सामने नहीं है। जहाँ तक किसी तीसरे पक्ष की बात है, अर्थात एक पक्ष जो मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है और जो निर्णय के दायरे में आने वाली विषय वस्तु है और जो है प्रवर्तन में दिए गए आदेश से प्रभावित होकर, हम भविष्य के मामले के तथ्यों पर बहस करने के लिए प्रश्न को खुला छोड़ते हुए कुछ नहीं कहते हैं।

62. श्री साल्वे ने फिर न्यूजीलैंड के प्रावधानों को पढ़ा

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, हांगकांग मध्यस्थता अध्यादेश (कैप। 209), सिंगापुर मध्यस्थता अधिनियम, 2001 के साथ-साथ सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम, 1994 और अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 यह तर्क देने के लिए कि उपरोक्त सभी विधानों में, एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कारों को उनके प्रवर्तन के रूप में अलग-अलग प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के साथ इन विधानों का विरोधाभास, फिर से, हमें बहुत दूर नहीं ले जाता है, इस तथ्य को देखते हुए कि हमने उक्त अधिनियम की उचित व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित किया है कि

आपातकालीन मध्यस्थ को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 द्वारा कवर किया जाएगा, जब अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ ठीक से पढ़ा जाएगा।

63. श्री साल्वे और श्री विश्वनाथन ने तब तर्क दिया कि धारा 36 (1),

जो धारा 17 (2) के साथ एक समान सामग्री प्रावधान है, धारा 36 (3) के प्रावधानों के विपरीत होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि "सिविल संहिता के प्रावधानों के तहत धन आदेश पर रोक लगाने के प्रावधानों को ध्यान में रखने" के बीच एक बुनियादी अंतर है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार "एक पुरस्कार की प्रक्रिया और प्रवर्तन"। उनके अनुसार, यह स्पष्ट है कि धारा 36 की उप-धारा (2) और (3) के तहत स्थगन देने वाला न्यायालय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत धन डिक्री पर स्थगन देने के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता अधिनियम के तहत ऐसा करता है। इसके विपरीत, एक पुरस्कार लागू किया जाता है

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार और मध्यस्थता अधिनियम के तहत नहीं। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 17 (2) और धारा 36 (1) संदर्भ द्वारा विधान के उदाहरण हैं न कि निगमन द्वारा विधान।

21 ] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64. धारा 36 की व्याख्या हमारे सामने नहीं है -

धारा 9 के साथ पठित धारा 17 की व्याख्या है। जहाँ तक धारा 17 की बात है

संबंधित है, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर बताया गया है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की योजना धारा 9 के तहत दीवानी अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की योजना को प्रतिबिंबित करती है। धारा 9 के साथ पठित धारा 17 के प्रावधानों और धारा 36 के विपरीत के बीच यह महत्वपूर्ण अंतर इस तर्क को पुष्ट करता है।

65. अब हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विचार करेंगे। उन्होंने डेलीम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 511: ( 2009 ) 159 डी. एल. टी. 579 ["डेलीम औद्योगिक कंपनी"] इस प्रस्ताव के लिए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रवर्तन आवेदन मध्यस्थता कार्यवाही से स्वतंत्र हैं जो एक पुरस्कार में समाप्त होते हैं। द. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि निष्पादन आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 और 39 द्वारा शासित होंगे, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 को लागू नहीं किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 और 39 में उल्लिखित न्यायालयों के पास मध्यस्थता पुरस्कारों को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

66. सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। अब्दुल समद, (2018) 3 एस. सी. सी. 622, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में डेलीम इंडस्ट्रियल कंपनी को संदर्भित किया।

( ऊपर) अनुमोदन के साथ। इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया था, वह इस प्रकार था:

" इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की कानूनी राय का विचलन कि क्या मध्यस्थता के तहत एक पुरस्कार और

सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को पहले निष्पादन के लिए मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए और फिर डिक्री का हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए या क्या पुरस्कार को सीधे उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है और निष्पादित किया जा सकता है जहां परिसंपत्तियां स्थित हैं। वर्तमान अपील में निपटाया जाए। ”

इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता और मध्यस्थता अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद कहा:

" 14. ..... उपरोक्त प्रावधान से पता चलेगा कि एक पुरस्कार को उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाना है जैसे कि यह एक डिक्री हो।

इस प्रकार, यह AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रवर्तन तंत्र, जो एक डिक्री के प्रवर्तन के समान है, लेकिन पुरस्कार स्वयं दीवानी अदालत का डिक्री नहीं है क्योंकि दीवानी अदालत द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जाती है। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण है, जो एक निर्णय देता है और न्यायाधिकरण के पास डिक्री के निष्पादन की शक्ति नहीं है। एक डिक्री के निष्पादन के उद्देश्यों के लिए पुरस्कार को उसी तरह से लागू किया जाना है जैसे कि यह उक्त संहिता के तहत एक डिक्री थी।

निर्णय अंततः मध्यस्थता अधिनियम की धारा 32 पर बदल गया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही के बाद समाप्त होने पर अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं होगी। ऐसा होने पर, न्यायालय के समक्ष रखे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

" 20. इस प्रकार, हमारा बिना किसी हिचकिचाहट के यह विचार है कि इसके निष्पादन के माध्यम से एक पुरस्कार के प्रवर्तन को देश में कहीं भी दायर किया जा सकता है जहां इस तरह के आदेश को निष्पादित किया जा सकता है और ऐसा कोई आदेश नहीं है।

अदालत से डिक्री का हस्तांतरण प्राप्त करने की आवश्यकता, जिसका मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा।

यह निर्णय, किसी भी तरह से, मामले को आगे नहीं ले जाता है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 17 को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है और पूरी तरह से लागू है।

इस बारे में अलग-अलग बिंदु है कि क्या किसी पुरस्कार का निष्पादन केवल पहली अदालत में हो सकता है जिसे अधिनियम की धारा 42 के तहत संपर्क किया जाता है या एक कार्यवाही हो सकती है जिसे किसी भी अदालत में दायर किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है।

67. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तब जेमिनी बे में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया

प्रतिलेखन प्रा. लिमिटेड वी. इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 216 ए. आई. आर. 2018 बम 89 (एफ. बी.) ["जेमिनी बे"] जिसने एक ही प्रश्न से निपटा और निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा 42 अधिनियम के तहत प्रवर्तन आवेदनों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 और 39 के अभ्यास का पालन करना होगा। हालाँकि, अमेज़ॅन के विद्वान वकील ने दृढ़ता से निर्णयों पर भरोसा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज (ऊपर), काकड़े कंस्ट्रक्शन (ऊपर) और ग्लोबल एशिया वेंचर कंपनी बनाम. अरूप परिमल देब, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 13061। चूंकि ये निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के तहत दायर प्रवर्तन कार्यवाही से संबंधित हैं, इसलिए हम उनकी शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

68. श्री साल्वे ने तब पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति पर भरोसा किया

निगम लिमिटेड बनाम। अटवाल राइस एंड जनरल मिल्स, (2017) 8 एससीसी 116। यह निर्णय एक मध्यस्थता [2021] 4 एस. सी. आर. के प्रवर्तन पर आपत्तियों से संबंधित था।

निष्पादन में पुरस्कार। उपरोक्त आपत्तियों से निपटने के दौरान, न्यायालय ने कहा:

" 18. दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता पुरस्कार को दीवानी अदालत के आदेश का दर्जा दिया गया है और इसलिए, इसे संहिता के आदेश 21 के प्रावधानों और अन्य सभी प्रावधानों को लागू करके दीवानी अदालत के आदेश की तरह लागू किया जाता है, जो निष्पादन से संबंधित हैं।

दीवानी अदालत की डिक्री "।

यह निर्णय फिर से मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है। यह अधिनियम की धारा 17 से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, लेकिन धारा से संबंधित है। 36 जिसमें, जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है, धारा 17 के तहत अंतरिम आदेशों को लागू करने के लिए निहित योजना से अलग एक योजना शामिल है।

69. अब हम मध्यस्थता अधिनियम में अपील प्रावधान पर आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 37 अब तक एक पूर्ण संहिता है। मध्यस्थता अधिनियम के तहत दिए गए आदेशों और पुरस्कारों की अपीलों का संबंध है। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा गैर-अड़चन खंड को जोड़ने से यह और मजबूत हुआ है।

70. यह न्यायालय, कांडला निर्यात निगम बनाम। ओ. सी. आई

निगम, (2018) 14 एस. सी. सी. 715 ["कांडला निर्यात"] ने धारा 50 की अपील के संदर्भ में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 20. फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड v. में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: ( 2011 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178], जिसे संसद को यह जानने के लिए माना जाता है कि उसने मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 कब लागू किया था, और इस तथ्य को देखते हुए कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यह स्पष्ट है कि धारा 50 मध्यस्थता से संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता में निहित प्रावधान है, और जो प्रकृति में संपूर्ण है। इसमें फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड v. के पैरा 89 में उल्लिखित नकारात्मक आयात है। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: ( 2011 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] कि जिन अपीलों का उसमें उल्लेख नहीं है, वे अनुज्ञेय नहीं हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1), वाणिज्यिक विवादों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से संबंधित मध्यस्थता के लिए एक सामान्य प्रावधान होने के नाते, स्पष्ट रूप से

यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होता है।

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

21. तथापि, यह प्रश्न अभी भी उत्पन्न होता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के परंतुक में स्पष्ट रूप से क्यों शामिल किया गया था, जो एक स्व-निहित संहिता में निहित अपील का समान रूप से एक विशेष प्रावधान है, जो किसी भी मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के बाहर होगा। इसका एक उत्तर यह है कि यह असाधारण रूप से किया गया था।

एक अन्य उत्तर यह हो सकता है कि चूंकि धारा 37 को स्वयं मध्यस्थता संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो उसी दिन वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के रूप में लागू हुआ था, संसद ने अपने विवेक में सोचा कि इस बात पर जोर देना आवश्यक था कि संशोधित धारा 37 को सामान्य प्रावधान पर प्राथमिकता दी जाएगी।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में निहित है। संयोगवश, 2015 के संशोधन ने मध्यस्थता अधिनियम में अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में एक और श्रेणी पेश की, अर्थात् एक ऐसी श्रेणी जहां धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने का आदेश दिया जाता है। संसद ने इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक पाया होगा कि धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने वाला आदेश धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य नहीं है और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत अपील योग्य नहीं होगा। धारा 13 (1) के परंतुक में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 को शामिल करने का अंतिम कारण जो भी हो, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन [फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड v. जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: ( 2011 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 178] लागू होगा, और ऐसा होने पर, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 के तहत दायर अपीलें

केवल धारा 50 की कवायद का पालन करना होगा।

22. वास्तव में, यह धारा 50 की भाषा से ही मिलता है। विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के सभी मध्यस्थता मामलों में, केवल धारा 50 ही अपील प्रदान करती है। अपील के लिए प्रावधान करने के बाद, अपील का मंच "ऐसे आदेशों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय" पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए, धारा 50 को ठीक से पढ़ने का अर्थ यह होगा कि यदि कोई अपील उक्त प्रावधान के तहत है, तो अकेले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) को उस मंच को निर्धारित करने के रूप में आकर्षित किया जाएगा जो ऐसी अपील की सुनवाई और निर्णय करेगा।

23. वास्तव में, सुमितोमो कॉर्प में। वी. सीडीसी फाइनेंशियल सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड. [सुमितोमो कॉर्प. वी. सी. डी. सी. फाइनेंशियल सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड, (2008) 4 एस. सी. सी. 91], इस न्यायालय ने धारा [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50 मध्यस्थता अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 (1) (ए) और 10-एफ में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक बार धारा 50 में अपील का प्रावधान किया गया है, ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय तब कंपनी अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) और 10-एफ में पाया जाएगा। वर्तमान मामला मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 का एक समानांतर उदाहरण है जो अपील का प्रावधान करता है, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) ऐसी अपील के लिए मंच प्रदान करती है। केवल, वर्तमान मामले में, क्योंकि धारा के तहत कोई अपील नहीं है 50 मध्यस्थता अधिनियम के तहत, इसके लिए कोई मंच प्रदान नहीं किया जा सकता है।

***

" 25. ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह धारा 50 है जो अपील के लिए प्रावधान करती है, न कि पत्रों के पेटेंट के लिए, अपील के विषय को देखते हुए। इसके अलावा, अपील का निर्णय इसके भीतर किया जाना चाहिए

केवल धारा 50 के मापदंड। साथ ही, जहां धारा 50 एक अपील को बाहर करती है, ऐसी कोई अपील नहीं होगी।

अतः यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि मध्यस्थता अधिनियम संबंधित मामलों पर एक स्व-निहित संहिता है -

मध्यस्थता, जो प्रकृति में संपूर्ण है। उस मामले में अपील प्रावधान (धारा 50) को एक नकारात्मक निहितार्थ रखने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल ऐसे मामले जो धारा में उल्लिखित हैं अनुमेय हैं, और जिन मामलों का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें लाया नहीं जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इसके बाद जो होता है वह यह है कि अपील का मूल प्रावधान निहित है। अधिनियम की धारा 50 में, जिसे केवल पढ़ा जाना चाहिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) एक सामान्य प्रावधान है, जिसे

धारा 50 में निहित विशिष्ट प्रावधान को रास्ता दें।

71. इसी तरह, डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. ओ. एन. जी. सी. (2020) 15 एस. सी. सी. 706, इस न्यायालय ने राय दी:

" 15. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि 1996 के अधिनियम ने पिछले तीन अधिनियमों को निरस्त कर दिया था ताकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की वैधानिक नीति यह है कि न केवल मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, बल्कि धारा 34 के संदर्भों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

तय करने के लिए। समान रूप से, भारत संघ बनाम। वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (2020) 2 एससीसी 111: ( 2020 ) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 277, दिनांक 17-9-2018,2013 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23155 का निपटान करते हुए, यह AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v.

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय ने धारा 37 के तहत पहली अपीलों पर एक ही सीमा लागू की है ताकि मध्यस्थता पुरस्कारों के दायरे में आने वाले सभी मामलों का समय पर समाधान किया जा सके।

16. सबसे महत्वपूर्ण धारा 5 में निहित अबाधित खंड है जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मध्यस्थता के भाग I के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में।

अधिनियम, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया है। धारा 37 कुछ निर्णयों और आदेशों के खिलाफ पहली अपील का एक संकुचित अधिकार प्रदान करती है और किसी अन्य के खिलाफ नहीं। इसके अलावा, सांविधिक अधिदेश में चेरी पर एक काटने का भी प्रावधान है, और दायर की जा रही दूसरी अपील को रोकता है [अधिनियम की धारा 37 (2) देखें]।

72. बी. जी. एस. में एस. जी. एस. सोमा जे. वी. v. एन. एच. पी. सी., (2020) 4 एस. सी. सी. 234, यह न्यायालय उस मामले में अधिनियम की धारा के तहत एक अपील की स्थिरता पर विचार करता है जिसमें धारा 34 के तहत एक आवेदन को उस अदालत से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र अदालत नहीं थी, जिसकी अधिकार क्षेत्र थी। इस प्रश्न का निर्णय करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में कांडला निर्यात (ऊपर) के लिए बहुत कुछ लिखा है। तब यह

तय करने के लिए:

" 13. इस तथ्य को देखते हुए कि अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के तहत, जो केवल अपील दायर करने का मंच प्रदान करता है, यह केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के मापदंड हैं जिन पर यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान अपीलें विचारणीय थीं। धारा 37 (1) यह स्पष्ट करती है कि अपील केवल उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित आदेशों से होगी और

किसी और से नहीं। कबूतर का छेद जिसे उच्च न्यायालय ने

विवादित निर्णय [एनएचपीसी लिमिटेड बनाम. जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 1304: ( 2019 ) 193 ए. आई. सी. 839] ने यह कहना चुना है कि वर्तमान मामलों में अपीलें बनाए रखने योग्य थीं जो उपखंड (सी) है। उच्च न्यायालय के अनुसार, जहां धारा 34 के आवेदन को उपयुक्त अदालत में वापस करने का आदेश दिया जाता है,

इस तरह का आदेश एक आदेश के बराबर होगा "एक अलग रखने से इनकार करना"

धारा 34 "के तहत मध्यस्थता पुरस्कार। 14. दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1-ए) के प्रावधान के तहत आदेश 43 सी. पी. सी. का भी उल्लेख किया गया है।

आदेश 43 नियम 1 (ए) इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. आदेशों से अपील। से एक अपील होगी

धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेश,

अर्थात्

( क) आदेश 7 के नियम 10 के तहत शिकायत वापस करने का आदेश।

जहां आदेश 7 के नियम 10-ए में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया है, उसे छोड़कर उचित अदालत में पेश किया जाएगा।

यह प्रावधान धारा 37 में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जिसे केवल अलग रखने वाले आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है, या निर्धारित करने से इनकार किया जा सकता है।

धारा 34 के तहत पुरस्कारों को अलग करें। इसके अलावा, क्या याद किया जाता है विवादित निर्णय [एनएचपीसी लिमिटेड बनाम. जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड,

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 1304: ( 2019 ) 193 ए. आई. सी. 839] "धारा 34 के तहत" शब्द है। इस प्रकार, एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार धारा 34 के तहत होना चाहिए, यानी धारा 34 में निर्धारित आधारों को विचाराधीन मध्यस्थता पुरस्कार पर लागू किए जाने के बाद, और न्यायालय द्वारा ऐसे आधारों को अस्वीकार करने के बाद। मान लीजिए, इन मामलों के तथ्यों पर, संविधान की धारा 34 के तहत कोई निर्णय नहीं हुआ था।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996-केवल इतना ही किया गया था कि विशेष

गुरुग्राम के वाणिज्यिक न्यायालय ने आदेश 7 नियम 10 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन को अनुमति दी, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि गुरुग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था -

धारा 34 आवेदन के साथ आगे बढ़ें, और इसलिए,

इस तरह के आवेदन को नई दिल्ली स्थित सक्षम अदालत में वापस करना होगा।

यह निर्णय हमारे सामने के मुद्दे का निर्धारक है क्योंकि यह

विशेष रूप से संहिता के आदेश XLIII नियम 1 के तहत अपीलों को खारिज कर दिया

सिविल प्रक्रिया जब मध्यस्थता अधिनियम के तहत आदेश दिए जाने की बात आती है। 73. इस मोड़ पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 37 2015 के संशोधन अधिनियम से अछूती नहीं रही। वास्तव में, ए

एक नई उप-धारा (1) (ए) जोड़कर उक्त प्रावधान में अपीलों की नई श्रेणी डाली गई, जो इस प्रकार है:

कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित, एक अपील निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से होगी मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अदालत

आदेश पारित करने वाला न्यायालय, अर्थात्:

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( क) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना;

***

74. उसी संशोधन द्वारा धारा 17 में संशोधन किए जाने के बावजूद

अधिनियम, धारा 17 (1) को अंतरिम उपायों के रूप में धारा 9 (1) की दर्पण छवि बनाकर और इसके परिणामस्वरूप धारा 17 (2) को जोड़कर, धारा 37 (2) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

( ख) इसे आदेश XLIII, नियम 1 (r) के अनुरूप लाना। उक्त धारा ने केवल धारा 17 के तहत कोई अंतरिम उपाय देने या देने से इनकार करने के आदेश से अपील करना जारी रखा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 17 के तहत कोई भी अंतरिम उपाय देने या देने से इनकार करने से केवल धारा 17 (1) (i) और 17 (1) (ii) के तहत अंतरिम उपायों के अनुदान या गैर-अनुदान का उल्लेख करें। वास्तव में, धारा 17 (2) के प्रारंभिक शब्द, अर्थात्, "धारा 37 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन" भी।

यह विधायिका की इस समझ को दर्शाता है कि धारा 37 के तहत अपील में पारित किए गए आदेश केवल धारा 17 (1) से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी जा सकती है, जिस मामले में धारा 17 की उप-धारा (2) अपील में पारित आदेश को लागू करने के लिए लागू होती है। इसके अलावा, विधायिका ने धारा 37 (1) (बी) के तहत आदेश XLIII, नियम 1 (आर) के अनुरूप लाने के लिए धारा 9 के तहत किसी भी उपाय को देने या देने से इनकार करने में कोई संशोधन नहीं किया। इससे जो बात स्पष्ट है वह यह है कि प्रवर्तन कार्यवाही अपील के दायरे में नहीं आती है। प्रावधान।

75. हालांकि, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के हाल के एक फैसले को सेवा में लगाया

चिंटेल्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम भयाना बिल्डर्स (पी) लिमिटेड, (2021) 4 एस. सी. सी. 602। इस न्यायालय के समक्ष जो सटीक प्रश्न उठा वह यह था कि अपील दायर करने में देरी की माफी की मांग करने वाला आवेदन कब खारिज किया जाता है, क्या यह धारा 34 के तहत "मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार" के बराबर होगा और इस प्रकार अधिनियम की धारा 37 (1) (सी) के तहत अपील योग्य होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 (1) का उल्लेख किया और इस तथ्य पर जोर दिया कि एक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन धारा 34 की उप-धाराओं (2) और (3) के अनुसार होना चाहिए-पैराग्राफ 9 देखें। न्यायालय ने तब धारा 34 (3) निर्धारित की और राय दी:

11. धारा 34 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुरस्कार को अलग रखने के लिए किया गया आवेदन तदनुसार होना चाहिए।

दोनों उप-धाराओं (2) और (3) के साथ। इसका मतलब यह है कि

आवेदन केवल सीमा अवधि [2021] 4 एस. सी. आर. के भीतर नहीं होना चाहिए।

उप-धारा (3) द्वारा विहित, लेकिन फिर ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए उप-धारा (2) और/या (2-ए) के तहत आधार निर्धारित करना होगा। इसके बाद जो बात सामने आती है वह यह है कि आवेदन को ही समय के भीतर होना चाहिए , और यदि तीन महीने की अवधि के भीतर नहीं है, तो देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ होना चाहिए, बशर्ते कि यह 30 दिनों की और अवधि के भीतर हो, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू नहीं होती है और 120 दिनों से अधिक की किसी भी देरी को माफ नहीं किया जा सकता है-राज्य देखें

एच. पी. वी. हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स [राज्य एच. पी. बनाम।

हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स (2010) 12 एस. सी. सी. 210: ( 2010 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 605] पैरा 5 पर।

धारा 37 (1) (सी) पर आते हुए, न्यायालय ने तब निर्णय दिया:

धारा 16 की उप-धारा (2) या (3) में निर्दिष्ट याचिका स्वीकार की जाती है। इससे पता चलता है कि विधायिका, जब वह उल्लेख करना चाहती थी पूरे खंड के विपरीत, एक खंड के हिस्से ने ऐसा किया। विरोधाभासी

धारा 37 (1) (सी) की भाषा के साथ, जहां "धारा 34 के तहत" अभिव्यक्ति पूरी धारा को संदर्भित करती है और केवल धारा 34 (2) को नहीं, यह तथ्य कि धारा 34 (3) के तहत देरी को माफ करने से इनकार करने के लिए एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखने से इनकार किया जा सकता है, और अधिक मजबूत हो जाता है।

धारा 34 की भाषा के विपरीत, धारा 17 के शाब्दिक अध्ययन से पता चलता है कि धारा के तहत अंतरिम उपायों का अनुदान या गैर-अनुदान

37 ( 2 ) ( ख) केवल अधिनियम की धारा 17 (1) को संदर्भित करता है। इसके अलावा, धारा 37 (2) (बी) के संदर्भ में, धारा 17 की संपूर्णता का उल्लेख तब किया गया था जब धारा 17 और 37 को पहली बार 1996 में अधिनियमित किया गया था। 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा ही धारा 17 को दो उप-धाराओं में विभाजित किया गया था। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संशोधित धारा 17, एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. v. को इसके दायरे में शामिल करने के लिए धारा 37 (2) (बी) में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह निर्णय भी अलग है और इसलिए, उत्तरदाताओं के तर्क को आगे नहीं बढ़ाता है।

76. इस प्रकार पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर यह घोषित करते हुए दिया जाता है कि

एक आदेश के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की जाती है।सेक्टी के तहत किए गए आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश का प्रवर्तन

17 ( 2 ) अधिनियम से। नतीजतन, इस न्यायालय के सभी अंतरिम आदेश खाली हो जाते हैं डिवीजन बेंच के 8 फरवरी, 201 और 22 मार्च, 2021 के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है। याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।तदनुसार।

याचिका

ओं का निपटारा

निधि जैन